खण्ड-479, अंक-6
मंगलवार, 15 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(05 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 479 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	1-6
मथुरा में कोसीकला के दंगे तथा प्रदेश में कानून व्यवस्था विषयक नियम-311 की सूचना के सर्वप्रथम लिए जाने की मांग	...	...	7-10
प्रश्नोत्तर	...	...	10-41
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	...	...	41-43
जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम तिउलक, वसिलिया सल्लिया, जमलापुर तक जल भराव के कारण टिकरा से तिउलक तक नाला खुदवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	43
जनपद वाराणसी के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में नगर निगम के पाइपों से विनायका वार्ड में काला पानी तुलसीपुर एवं रानीपुर में पीला एवं दुर्गन्धपूर्ण पानी एवं शिवाला एवं बंगाली टोला के मोहल्लों में पाइप में पानी न आने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	43-44
जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	44
गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में कन्या इण्टर कालेज एवं डिग्री कालेज स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		44
जनपद बलरामपुर सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा बिजलीपुर में राप्ती नदी के कटान को रोकने हेतु तथा शमशान घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	44-45
जनपद सीतापुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	45
विधान सभा क्षेत्र मेहनौन, जनपद गोण्डा के ब्लाक इटियाथोक में सरयू नहर खण्ड-4 के गनवरिया माइनर द्वारा गोण्डा बैराज माइनर से पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	45-46
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव वरियायाही सम्पर्क मार्ग से कटियारा सलारपुर तथा मंगरूवा पण्डित पुरवा सम्पर्क मार्ग पेन्टेड रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	46
जनपद महोबा में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने एवं पशुओं को भी पीने का पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा दोषी जल संस्थान एवं जल निगम के अधिकारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		46-47

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में बाढ़ के समय नाविकों के पारिश्रमिक तथा बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा का भुगतान समय से न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद आगरा के अन्तर्गत एतमादपुर विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र यमुनापार की सैकड़ों मलिन बस्तियों एवं कालोनियों के सीवरेज की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47-48
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के ग्राम वंशीपुर तथा महुलीबाजार के मध्य पसियान बस्ती के बगल नाले पर रपटा पुल तथा एप्रोच रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद प्रबुद्धनगर के तहसील कैराना में मुरली मनोहर इण्टर कालेज नामक संस्था में विषयों की मान्यता हेतु रुपये की मांग की जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48-49
जनपद बहराइच के पयागपुर विकास खण्ड में पुनर्वास विभाग द्वारा विस्थापित बंगाली शरणार्थी परिवारों को 300 एकड़ भूमि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49-50
जनपद सहारनपुर के कस्बा सरसावां में डिग्री कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	50
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नगर निकाय चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया को दोषपूर्ण मानते हुए निकाय चुनाव हेतु जारी अधिसूचना को निरस्त कर पुनः आरक्षण निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	51-56
प्रदेश के इंजीनियरिंग, मेडिकल कालेजों में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं की फीस की प्रतिपूर्ति का प्राविधान बजट में न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	56-58
नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	58-66
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	66-119
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	120
जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्रामों की सिंचाई हेतु लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	121
जनपद व तहसील बिजनौर में गंगा तट के किनारे बसें गांवों की कृषि योग्य भूमि एवं मकानों को कटान से बचाये जाने के सम्बन्ध में कुं0 भारतेन्दु द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत) . .	121

विषय	पृष्ठ-संख्या
सदस्यों की अनुपस्थिति पर वक्तव्यों को किये जाने व्यपगत होने की व्यवस्था ...	121
जनपद गोरखपुर में विद्युत सप्लाई 6 घण्टे से अधिक समय तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	122-123
जनपद मेरठ शहर में जे0एन0एन0यू0एम0 योजना के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र भड़ाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	123-126
प्रदेश में फ्रूड एण्ड सेफ्टी ऐक्ट, 2006 के अन्तर्गत नये लाइसेन्स एवं नवीनीकरण प्रक्रिया की आनलाइन व्यवस्था के साथ मैनुअल का भी विकल्प लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	126
वाराणसी में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	126-127
जनपद आगरा के मासूमों के साथ आये दिन हो रही यौन दुराचार एवं हत्याओं के सम्बन्ध में ठाकुर सूरजपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	128-129
जनपद मथुरा में यमुना नदी पर स्थित वृन्दावन-मांट पुल के सम्पर्क मार्ग को कटान से बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	129
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के विकास खण्ड बेलघाट में कम्हरिया घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्त प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	129
प्रदेश में मांस निर्यात मूलक इकाई द्वारा विदेशों में अधिकतम मांस निर्यात के कारण दूध उत्पादन पर पड़ रहे कुप्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	129
जनपद पंचशील नगर के गढ़ मुक्तेश्वर नगर में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सीवर से सम्बन्धित घटिया कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	129-130
जनपद कुशीनगर में श्री सत्येन्द्र दुबे पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर हुए कातिलाना हमले के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य . .	130

विषय	पृष्ठ-संख्या
आगरा महानगर की पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	130-132
जनपद सोनभद्र में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	132
प्रदेश की नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न कल कारखानों द्वारा उसमें डाले जाने वाले विषैले रसायनयुक्त जल कचरे को रोकने हेतु कठोर प्राविधान करने विषयक दिनांक 29 मई, 2012 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन	132

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार दिनांक 05 जून, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-313

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
13. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
25. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
26. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
28. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
29. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
31. अविनाश, श्री — सोनभद्र
32. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
33. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
34. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
35. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
36. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
37. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
38. आशीष यादव, श्री — बदायूं
39. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
40. इकबाल, श्री — बिजनौर
41. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
42. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
43. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
44. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
45. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
46. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
47. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
48. उदयराज, श्री — उन्नाव
49. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
50. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
51. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
52. उमाशंकर, श्री — बलिया

53. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
54. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
55. ओम कुमार, श्री बिजनौर
56. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
57. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
58. कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
59. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
60. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
61. काली चरन सुमन, श्री आगरा
62. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
63. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
64. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
65. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
66. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
67. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
68. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
69. गंगा, श्री कुशीनगर
70. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
71. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
72. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
73. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
74. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
75. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
76. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
77. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
78. गोमती यादव, श्री लखनऊ
79. गोरख पासवान, श्री बलिया
80. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
81. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
82. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
83. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
84. जगपाल, श्री सहारनपुर
85. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
86. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
87. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
88. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
89. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
90. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
91. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
92. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
93. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
94. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
95. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
96. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
97. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
98. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
99. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
100. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
101. दलजीत सिंह, श्री बांदा
102. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
103. दिलनवांज खान, श्री बुलन्दशहर
104. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
105. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
106. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
107. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
108. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
109. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
110. धर्मराज, श्री बाराबंकी
111. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
112. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर

113. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
114. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
115. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
116. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
117. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
118. नारद राय, श्री बलिया
119. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
120. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
121. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
122. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
123. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
124. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
125. पीतमराम, श्री पीलीभीत
126. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
127. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
128. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
129. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
130. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
131. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
132. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
133. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
134. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
135. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
136. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
137. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
138. बदलू खां, श्री उन्नाव
139. बाबू खां, श्री हरदोई
140. बाबूलाल, श्री गोण्डा
141. बावन सिंह, श्री गोण्डा
142. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
143. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
144. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
145. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
146. बैजनाथ, श्री मऊ
147. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
148. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
149. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
150. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
151. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
152. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
153. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
154. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
155. मनबोध, श्री देवरिया
156. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
157. मनीष रावत, श्री सीतापुर
158. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
159. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
160. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
161. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
162. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
163. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
164. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
165. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
166. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
167. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
168. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
169. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
170. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
171. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
172. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
173. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
174. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर

175. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
176. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
177. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
178. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
179. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
180. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
181. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
182. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
183. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
184. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
185. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
186. यासर शाह, श्री बहराइच
187. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
188. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
189. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
190. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
191. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
192. रणजीत सुमन, श्री एटा
193. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
194. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
195. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
196. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
197. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
198. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
199. रवि शर्मा, श्री झांसी
200. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
201. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
202. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
203. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
204. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
205. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
206. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
207. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
208. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
209. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
210. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
211. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
212. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
213. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
214. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
215. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
216. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
217. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
218. राम करन आर्य, श्री बस्ती
219. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
220. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
221. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
222. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
223. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
224. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
225. राम मगन, श्री बाराबंकी
226. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
227. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
228. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
229. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
230. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
231. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
232. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
233. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
234. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत

235. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
236. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
237. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
238. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
239. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
240. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
241. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
242. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
243. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
244. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
245. विजय पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
246. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
247. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
248. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
249. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
250. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
251. विजय सिंह, श्री रामपुर
252. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
253. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
254. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
255. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
256. वीरपाल राठी, श्री बागपत
257. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
258. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
259. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
260. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
261. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
262. शाकिर अली, श्री देवरिया
263. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
264. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
265. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
266. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
267. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
268. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
269. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
270. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
271. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
272. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
273. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
274. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
275. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
276. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
277. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
278. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
279. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
280. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
281. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
282. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
283. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
284. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
285. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
286. सन्तराम, श्री जालौन
287. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
288. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
289. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
290. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
291. सियाराम सागर, डा0 बरेली
292. सीमा, श्रीमती जौनपुर
293. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
294. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा

295. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
296. सुधाकर, श्री मऊ
297. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
298. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
299. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
300. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
301. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
302. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
303. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
304. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
305. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
306. सुल्तान बेग, श्री बरेली
307. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
308. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
309. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
310. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
311. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
312. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
313. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) भी सदन में उपस्थित थे।

मथुरा में कोसी कलां के दंगे तथा प्रदेश में कानून व्यवस्था विषयक नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है कोसी कलां में जो दंगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी बात तो सुन लें तब ही तो आप उस पर निर्णय देंगे। हम चाहते हैं कि जब इस पर बात हो माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय यहां पर उपस्थित रहें। इसलिए अगर आज हो रहा है तो आज रहें नहीं तो कल जब इस पर बात हो माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय उपस्थित रहें।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, मैंने इस सम्बन्ध में माननीय हुकुम सिंह जी से बात कर ली। उनकी नियम 56 में इस पर सूचना है। मौर्या जी का भी कानून व्यवस्था पर है। आपकी राय से हम सहमत हैं और सबसे मैं निवेदन करता हूं कि इस विषय को अगर कल लावें तो अति उत्तम होगा। मैं समझता हूं कि आप भी इससे सहमत होंगे। हुकुम सिंह जी भी सहमत होंगे माननीय मौर्या जी भी सहमत होंगे। मौर्या जी सहमत हैं।

नेता विरोधी दल (स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून राज ध्वस्त हो रहा है। कहीं थाने में बलात्कार हो रहा है, कहीं मथुरा में कोसी कलां में दंगे हो रहे हैं। इस तरीके से कानून व्यवस्था ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। बात हो गई है कि कल इस पर बहस होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण विषय है, इस पर मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मथुरा में कानून व्यवस्था इस तरह से खराब हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर सभी नेता सहमत हैं और कल इस पर बात होगी नियम-56 के अन्तर्गत। जब तय हो गया तो फिर आप लोग क्यों इसको दोहरा रहे हैं। माननीय प्रदीप जी, आपके नेता से ही मेरी बात हुई, सबसे बात हो गई अब यह बार-बार आप क्या बोल रहे हैं। यह कौन सा तरीका है। बैठ जाइये।

जब बात तय हो गई, आपके नेता ने प्रस्ताव कर दिया कि कल जब मुख्य मंत्री जी होंगे तब इसको रखा जायेगा तो फिर क्यों बोल रहे हैं। बैठिये, अब न सुना जायेगा, न लिखा जायेगा और न ही वह कार्यवाही का अंग बनेगा।

(श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ कहेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

इसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन यह है कि विपक्ष का पक्ष आ गया और आप आगे बढ़ गये।

श्री अध्यक्ष-

आप कहें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपकी रुलिंग आ गई कि कल जब मुख्य मंत्री जी होंगे, तो विपक्ष का पक्ष आ गया कल के अखबारों में विपक्ष का पक्ष होगा, सत्ता पक्ष का पक्ष नहीं होगा तो एक पक्षीय पक्ष सदन में रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना पक्ष रख दीजिये। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं आप अपना पक्ष रख दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपका निर्देश तो हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि आपसे वार्ता हो चुकी थी और आपसे मैंने बात कर ली थी। आपने कहा था कि जैसा आप कहेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जब कह दिया कि मुख्य मंत्री जी के सामने प्रस्तुत होगा विपक्ष के लोग आपके निर्देश पर बैठ गये हमने कुछ नहीं कहा। जब इधर से कोई पक्ष ही नहीं गया तो किस बात का जवाब आप देंगे। जब हमने कोई बात कही नहीं तो संसदीय कार्य मंत्री जी किसका जवाब देंगे आपने हमें निर्देश दिया हम बैठ गये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुन लें। आपने कानून व्यवस्था के बारे में बात कर ली।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जब विपक्ष की कोई भी सूचना इसलिए नहीं ली गई कि आपका निर्देश था कि माननीय मुख्य मंत्री जी आज सदन में नहीं हैं यह गम्भीर मामला है इसलिए अच्छा होगा इस पर तब बात हो जब नेता सदन में मौजूद हों। आपके निर्देशों का अनुपालन कर लिया। जब हम इस पर कोई अपनी

बात रख ही नहीं रहे हैं जब बात कोई आई नहीं तो सरकार किस बात का जवाब देगी। जवाब तो सरकार तब देती जब आप हमारी कोई बात आने देते। आपके निर्देश पर हमने अपनी बात को तत्काल रोक दिया। आज हम आपके निर्देश पर कोई सूचना प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। जब कोई सूचना प्रस्तुत नहीं कर रहे तो बिना सूचना के किसका जवाब आयेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप कार्यवाही निकलवाकर देखें नेता कांग्रेस का पक्ष आ गया है। उनके जज्बात भी आ गये और ठीक आ गये हैं, उसे हम गलत नहीं कर रहे हैं उनका विरोध आ गया। आप कार्यवाही निकलवाकर देख लें और यही पक्ष कल पढ़ा जायेगा। सरकार का पक्ष तो आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

देखिये मौर्या जी, सिर्फ हुकुम सिंह जी ने उस बात को नहीं उठाया है। जबकि उनकी मुख्य सूचना थी और उन्होंने मेरे आग्रह पर एक शब्द भी नहीं कहा। आपने कह दिया उसका उद्धरण देकर प्रमोद तिवारी जी ने भी कह दिया फिर कैसे कह रहे हैं कि नहीं आया है। पूरा प्रकरण नहीं आया है प्रकरण की शुरुवात तो हो ही गई है। आप संसदीय कार्यमंत्री को सुन लीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

संसदीय कार्यमंत्री मैं भी रहा हूं। आप वरिष्ठ हैं। मैं आग्रह यह करना चाहता हूं कि चर्चा अगर आज ही होनी है तो मैं अपनी बात शुरू करूं। अगर माननीय नेता सदन के सामने होनी है तो संसदीय कार्यमंत्री भी अपने आसन पर विराजमान हैं हम भी यहीं पर हैं। कल तक के लिए इसको स्थगित किया जाये। लेकिन अगर संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनना है तो पहले हम कहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल सही है कि नेता भा0ज0पा0 की तरफ से कोई बात नहीं आई। सबसे पहले नेता कांग्रेस की तरफ से आई और पूरी बात आ गई है और बढ़कर आनी है तो कल जायेगी। परसों जब माननीय मुख्य मंत्री जी होंगे। हमारी तरफ से यह बात आनी चाहिए कि आज वहां पर पूरी तरह से शान्ति है और शान्ति बनाये रखने का प्रयास किया जा रहा है। गुनहगारों को सजा दी जा रही है और जो सजा बची है वह दी जायेगी। बाकी बहस मुख्य मंत्री जी की मौजूदगी में होगी।

(शोर)

एक सदस्य-

मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें बात हो गई है।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष-

ठाकुर साहब आप बैठ जायें। संसदीय कार्यमंत्री जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। कुछ लिखा नहीं जायेगा। जब चर्चा होनी है तब बात होगी।

(चिकित्सा मंत्री को पुकारे जाने पर और उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इसका जवाब आप देंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के उपाय

**1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने की सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार जनसंख्या वृद्धि की दर को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनाकर समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को एक समय सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की तर्ज पर प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर तक लाना है। जनसंख्या नीति के अन्तर्गत समस्त संबंधित विभागों यथा शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदि को मिलकर कार्य करना है। वर्ष 2005 से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत भी कुल प्रजनन दर को 2012 तक 2.8 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नवत् गतिविधियां संचालित की जा रही हैं-

अन्तराल विधियां-

- सेवा केन्द्रों पर खाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
- सेवा केन्द्रों पर निरोध का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
- सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क आई0यू0डी0 380ए का निवेशन किया जा रहा है, जो 10 वर्ष तक प्रभावी होती है।
- हाल ही में प्रदेश के 45 चयनित जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के द्वार तक गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण "आशा" कार्यकर्त्रियों द्वारा किये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी है।

स्थायी विधियां-

- जिला महिला/पुरुष चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय व मेडिकल कालेजों में नियमित रूप से तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियत दिवस पर निःशुल्क महिला एवं पुरुष नसबन्दी की सेवायें प्रदान की जाती हैं।

अन्य गतिविधियां-

- प्रत्येक पुरुष नसबन्दी स्वीकारकर्ता को रु0 1100.00 की धनराशि तथा प्रत्येक महिला नसबन्दी स्वीकारकर्ता को रु0 600.00 की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु जनपदों को अलग से धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है।
- नसबन्दी कार्यक्रम में पुरुषों की सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु जनपदों में एन0एस0वी0 शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
- सुदूर क्षेत्रों में नसबन्दी शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- प्रसव उपरान्त महिलाओं को नसबन्दी करवाने अथवा अन्य परिवार नियोजन विधियों के सम्बन्ध में सलाह प्रदान करने हेतु प्रदेश में प्रथम सन्दर्भन इकाईयों पर संविदा पर फैमिली वेलफेयर काउन्सलर की तैनाती की गयी है।
- नसबन्दी (महिला एवं पुरुष) स्वीकारकर्ताओं हेतु नसबन्दी उपरान्त मृत्यु, असफल नसबन्दी व नसबन्दी उपरान्त जटिलताओं हेतु आई0सी0आई0सी0आई0 बीमा कम्पनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है।

जी हां। प्रदेश में बढ़ती आबादी को एक समय सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की तर्ज पर प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति 2000 में प्रख्यापित की गयी है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016 तक कुल प्रजनन दर 2.1 के स्तर तक लाना है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, क्या यह सदन की अवमानना नहीं है ? सदन को इतने हल्के-फुल्के तरीके से लेना कि प्रश्न लगा हुआ है और अल्पसूचित में लगा हुआ है, मंत्री जी यहाँ पर हैं नहीं, इस प्रकार यदि सदन के साथ मखौल किया जायेगा तो यह आपका और सदन की भी अवमानना है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सम्बन्धित मंत्री को अभी सदन के सामने पेश किया जाए कि सदन के प्रति उनके मन में इज्जत है या नहीं ? यह औपचारिकता निभाने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी नेता विधान परिषद् भी हैं, वहाँ भी प्रश्न लगा होगा।

श्री हुकुम सिंह-

यह कोई बात नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष-

मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, आप भी यहाँ रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मैं भी रहा हूँ लेकिन हमेशा सम्बन्धित मंत्री को उपस्थित रखने का प्रयास किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने भी कोशिश किया है, आपको पता है।

श्री हुकुम सिंह-

लगता है, मंत्री जी फाइल भी साथ ले गए, फाइल भी इन्हें नहीं दे गए हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यदि उत्तर न हो तो दूसरा प्रश्न ले लें। बाद में यदि मंत्री जी को बुला लें तो बाद में इस प्रश्न को ले लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी, क्या स्वास्थ्य मंत्री ने आपको यह लिखकर दिया है कि व्यक्तिगत कारणों से या किन्हीं कारणों से वह सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे और उनके जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आज तो लिखकर नहीं दिया है लेकिन पिछली बार उन्होंने एक पत्र दिया था, जब उनका स्वास्थ्य का प्रश्न लगा था कि उनके स्थान पर शंखलाल मांझी जी जवाब देंगे। उन्होंने माननीय राज्य मंत्री को अधिकृत किया था, लेकिन आज राज्य मंत्री भी नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूँगा, नियमावली से इधर-उधर जाने की जरूरत नहीं है, यह सुविधा है कि किन्हीं कारण से यदि मंत्रिगण अनुपस्थित रहते हैं तो वह आपको पत्र लिखकर भेजेंगे। अगर आपके पास पत्र नहीं है तो मैं आपसे कहूँगा, फाँसी चढ़ाने की बात नहीं है, इसको आज स्थगित कर दीजिए और स्थगित करने के बाद यह प्रश्न दोबारा आये और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो यह नियमों के विपरीत होगा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, तिवारी जी, आप भी यहाँ रहे हैं, यदि कोई मंत्री जवाब देना चाहता है तो दे सकता है। कार्यालय ज्ञापन आया है इसमें मुख्य मंत्री जी की तरफ से आया है, विधान मण्डल सत्र 2012 में कि निम्न प्रकार से मंत्रिगण, राज्य मंत्रीगण किन्हीं कारणों से मंत्रिगण की अनुपलब्धता की दशा में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा प्रश्नोत्तर वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

भारत का संविधान 162(2) तो स्वयं कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व है लेकिन परम्परा न तोड़े।

श्री अध्यक्ष-

मुख्यमंत्री जी की तरफ से लिखकर आया है। तिवारी जी, अब आप बैठिए।

(संसदीय कार्यमंत्री उत्तर पढ़ने के लिए खड़े हुए)

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, खन्ना साहब जनसंख्या वृद्धि के मामले में बहुत चिन्तित हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं खुद ही बहुत चिन्तित हूँ। खन्ना साहब, क्यों इसमें इतनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

यह जनसंख्या घटाने में सरकार का सहयोग कर रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

सरकार इनकी जबरदस्ती शादी करा दे।

(हँसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से दो प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। मान्यवर, 1975 के बाद किसी भी सरकार ने जनसंख्या वृद्धि घटाने पर बात करने की भी हिम्मत नहीं की है। यह निर्विवाद सत्य है। कितने ही संसाधन हम बढ़ायें लेकिन सारे संसाधन जनसंख्या वृद्धि की दर के सामने बौने और छोटे साबित होते हैं। आपने प्रश्न को कितने हल्के तरीके से लिया, जरा उत्तर देख लें। उत्तर की जो पहली पांच लाइने हैं वही उत्तर के आखिर में भी दोहराई गयी हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के अनुसार सदन में यह एक सरकारी जवाब होना चाहिए लेकिन यह केवल एक औपचारिकता अदा करने के लिए कि सदन में प्रश्न आया है इसलिए उसका उत्तर देना है। चाहें जैसा उत्तर दे दो। मान्यवर, प्रश्न करने का हमारा उद्देश्य यह था कि क्या सरकार कोई योजना नये तरीके से इसको सोचकर कि हमारे सामने जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है इस पर विचार करके कोई ऐसी नयी योजना कार्यान्वित करेगी जो प्रभावी हो। मान्यवर, अभी तक की जो सभी योजनाएँ थी वह निष्प्रभावी हुयी हैं। दूसरी बात यह कि अगर वह योजना लागू करेगी तो कब से। क्योंकि वर्ष 2000 की नीति इन्होंने दोहरा दी। पहला स्टेंजा और आखिरी स्टेंजा एक सा है। इसलिए इसको हल्के तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि अगर इस पर विशेष रूप से कोई प्रभावी योजना बनायी हो तो उसकी जानकारी दे दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 खन्ना साहब को याद हो या न हो मुझे तो याद है, बसपा सरकार से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी आपका यह प्रश्न था और तब भी उत्तर मैंने ही दिया था। मान्यवर, इस सवाल के पीछे खन्ना साहब की क्या मंशा रहती है, यह तो मझे नहीं मालूम, लेकिन 1975 का जो हवाला दिया है, उसके नतीजे भी देश के सामने हैं। कोई भी इस तरह का कार्यक्रम जोरजबरदस्ती से ताकत से जबरन नहीं मनवाया जा सकता है और अमलदरामद नहीं हो सकती। जाहिर है लोगों को एकजूट करना होगा, उनके अन्दर भाव पैदा करना होगा, उनके अन्दर एहसास पैदा

करना होगा और परिवार नियोजन का कार्यक्रम कि बच्चे कम पैदा करें, उसके लिए क्या तरीके हों, पोस्टर्स लगे, हैण्डबिल्स बटें, फिल्म बनाई जायं, दिखाई जायं, एक दूसरे से बात करें, कम बच्चों की अच्छाई बतायें, ज्याद बच्चों से क्या पेरशानी होती है, वह बतायें। वह कार्यक्रम भी होता है और उसके साथ ही सही ढंग से बच्चों को रोकने के जो तरीके इसमें चार-पांच बिन्दु हैं वह पिछले 10-15 साल से आप पढ़ रहें हैं और सीख रहें हैं और आप उससे कोई सबक नहीं ले रहें हैं। तो इन्हीं तरीकों से मान्यवर, कण्ट्रोल हुआ भी है और लोगों में जागरूकता आई है और वह जागरूकता देखी जा सकती है। अगर आप किसी एक मोहल्ले की स्टडी करायेंगे, ऐसे मोहल्ले की जहां शिक्षा कम हो, वहां भी यह पाया गया है कि जिन परिवारों में बहुत बच्चे हुआ करते थे, आज जो नई नस्ल है उनके बहुत कम बच्चे होते हैं एक या दो बच्चों से ज्यादा नहीं होते है। तो लोगों के अन्दर खुद-ब-खुद जागरूकता पैदा हो रही है। इससे फायदा जरूर हुआ है, लेकिन बढ़ती आबादी, मँहगाई, शिक्षा की मँहगाई, जिन्दगी खुद पर बोझ, यह सब चीजें खुद सिखा देती है। लोगों को खुद इस बात का एहसास है कि ज्यादा बच्चे पैदा होने से उनका अपना भविष्य अन्धकारमय होगा, लिहाजा खुद भी लोग सीख रहे हैं और जो भी सरकारें आई हैं सबकी कोशिश यही रही है और हमारी भी रही है और सरकारों की भी रही हैं और यह गत सरकारों की कोशिशों का नतीजा है, इस सरकार की और कोशिशें होंगी उसके बारे में आश्वासन दिया गया है, करेंगे और बेहतर करेंगें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 2000 में शुरू हुई और 2016 का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया 2.1 का है तीन चौथाई गुजर गया 2012 में केवल चार साल बाकी है, चौथाई समय बाकी है और यह संयोग की बात है कि 12 साल में हर दल को सत्ता में आने का अवसर मिला, हमने योजना बनाई थी उसके बाद सत्ता में आप भी आये, आप भी आये, सत्ता का उपभोग तो इन्होंने ज्यादा किया, योजना बनाने वाले हम रहे। केवल में इतना पूछना चाहता हूँ कि 12 साल हो गये कार्यक्रम को लागू किये हुए इन 12 साल में समीक्षा करने के उपरान्त हम कहां तक पहुँचे हैं, लक्ष्य के कितने नजदीक पहुँचे हैं या लक्ष्य से उतने ही दूर है जितने पर शुरूआत की गयी थी। इतना बताने का कष्ट करें कि 2012 में हम लक्ष्य की प्राप्ति में कितनी पीछे हैं या कहां तक पहुँच चुके हैं। कितनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में और जनसंख्या की वृद्धि को कितने प्रतिशत कम करने में हम सफल हुए?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जाहिर है इस योजना से चाहे वह आपकी बनाई हुई हो बल्कि यह तो और अच्छी बात है, खन्ना जी को इससे सबक लेना चाहिए, यह आपकी बनाई हुई योजना है तो अब हम से कुछ शिकायत कम हो गयी होगी। मान्यवर, इस योजना से ही जनसंख्या कण्ट्रोल की गई है। जो बातें हमने आपको अभी बताई है कि जिन परिवारों में बच्चे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, उनमें भी काफी कम हुए हैं, तो मान्यवर काफी कम हुई है जनसंख्या। अब मेरे पास क्योंकि वह आंकड़े नहीं है कि फला सन् में कितनी संख्या थी, आज कितनी जनसंख्या है, आगे आने वाली जनसंख्या कितनी हो सकती है, यह मूल प्रश्न भी नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

यह अनुपूरक प्रश्न है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हां अनुपूरक है, लेकिन अनुपूरक में भी उसकी जानकारी लेने की जरूरत होगी मान्यवर और यह जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी की साफगोई के लिए उन्हें मुबारकवाद देता हूं और मा0 खन्ना साहब को कि 1975 के बाद से किसी ने इस दिशा में गम्भीरता नहीं दिखायी। हमें देश की आजादी के समय 40 करोड़ की आबादी मिली थी, आज बढ़कर 01 अरब, 21-22 करोड़ के आस-पास हो गयी है। मान्यवर, काश हमने इस पर नियंत्रण रखा होता। मा0 अध्यक्ष जी, इस गम्भीर प्रश्न पर कि अगर आबादी में नियंत्रण रखा होता तो आज हमें बहुत सी समस्याओं से मुक्ति मिली होती। मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से चूंकि सामान्य ज्ञान से वे भी जवाब दे रहे हैं और सामान्य ज्ञान से मैं पूछ रहा हूं और क्योंकि उनकी ब्रीफिंग नहीं हुई है, ये उनके उत्तर से झलक रहा है। इसलिए में इस प्रश्न को बहुत गम्भीरता से नहीं दबाता कि ये बतायें कि कितने प्रतिशत बढ़ी। प्रतिशत की जानकारी सम्भवतः मंत्री जी के पास नहीं होगी क्योंकि ब्रीफिंग नहीं हुई, ब्रीफिंग होती तो हो जाती। मान्यवर, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रोत्साहन के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा करेगी क्योंकि लाख प्रयास करने के बाद भी जनता की सहभागिता उतनी नहीं हो पा रही है। क्या सरकार कुछ प्रोत्साहन की योजनायें बनायेगी कि जो लोग स्वयं परिवार नियोजन अपनायेंगे, उनको कई तरीके के लाभ मिलें और सहभागिता बढ़े। मान्यवर, मैं एक चीज बहुत गम्भीरता के साथ जानना चाहता हूं कि आदर्शों की शुरुआत हमेशा ऊपर से होनी चाहिए। मैं आपको अलग कर देता हूं, मुख्यमंत्री जी को अलग कर देता हूं। क्या मंत्रिमंडल आज यह घोषणा करेगा कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिले ? इससे सहभागिता लोगों की बढ़ सकती है। क्या सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि मंत्रिपरिषद् में वही लोग सम्मिलित होंगे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे न हों।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, ये श्रेय कांग्रेस को जरूर जाता है कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी और पूरा देश कैदखाना बना था। ये श्रेय कांग्रेस को जाता है। इसका श्रेय भी जाता है कि नसबंदी किस तरह लागू की गयी थी और कैराना की मस्जिद के अन्दर एक इमाम को लिटा कर लकड़ियों से ढक कर उसे आग लगा दी गयी थी। आज भी फर्श पर उसकी चर्बी के निशान हैं। नसबंदी को लेकर देश में जो कुछ हुआ था उसे इतिहास याद रखेगा कि तब की हटी हुई कांग्रेस आज तक उत्तर प्रदेश में वापस नहीं आ सकी, यह कांग्रेस जानती है। 1975 की यादें बहुत गहरी हैं और बहुत कड़वी है और ये श्रेय पहली बार कांग्रेस ने लिया है कि नसबंदी का वो जुल्म जिसे पूरे देश ने सहा था और उत्तर प्रदेश ने खासतौर से। पहली बार प्रमोद तिवारी जी ने स्वीकारा है कि वो उन्होंने किया था। हमारी सरकार जब्र नहीं करेगी। हमारी सरकार ऐसा कोई कानून नहीं लायेगी जो लोकतांत्रिक न हो जिसमें उनकी राय और मर्जी से काम न हो। जहां तक 2 बच्चों से ज्यादा वाले वजीर नहीं बनेंगे। इमरजेंसी

के बाद केन्द्र सरकार में ऐसे लोग मंत्री बने जिनके 12 बच्चे हुए। आज भी केन्द्र सरकार को उनका समर्थन हासिल है। क्योंकि बहुत सी योजनायें हैं जो खासतौर से केन्द्र से ही चलती है। केन्द्र का भी लक्ष्य सही है। चाहे वो 1975 से शुरू हुआ हो या 2012 में हो। अगर वहां इसकी पहल होगी तो केन्द्र की बहुत सी चीजों का साया यहां पर देखा जाता है तो यहां भी विचार किया जा सकता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बहुत-बहुत आभारी हूं कि मा0 मंत्री जी ने जो आश्वासन दे दिया है। कम से कम यह आश्वासन तो बन गया कि हां विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने केन्द्र पर कहा है कि अगर वहां होगा, तब यहां होगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, इन्होंने कहा, अगर केन्द्र में शुरू हुई तो यहां भी होगी, आश्वासन हो गया। अब केन्द्र में तो मैं हूं नहीं प्रश्न पूछने के लिए। तो मा0 मंत्री जी की तरफ मैं यह उम्मीद लगा कर बैठा हूं कि बहुत जल्दी अपना आश्वासन पूरा करेंगे। एक प्रश्न मैं स्पष्ट कर दूं कि सदन में कोई मंत्री अगर गलत जानकारी दे तो उसे सदन के रिकार्ड में नहीं रहना चाहिए। आपने कहा कि सन् 1975 के बाद कांग्रेस लौट के नहीं आयी। सन् 80 में भी यहां कांग्रेस की सरकार बनी, सन् 85 में बनी तो थोड़ी सी जानकारी दुरूस्त कर लें। तब आप वहां बैठते थे और मैं यहां बैठ के आपको जवाब देता था। एक तो यह स्पष्ट कर दूं, दूसरा मान्यवर, कुछ बातें ऐसी भी कही जाती हैं जिनका हल्का जवाब आ सकता था। अब आपने बिल्कुल उस पर चला दिया, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी, कांग्रेस की सरकार भी इस नीति में कायम है कि इसमें जनता की सहभागिता चाहिए। जनता का अपनी तरफ से योगदान चाहिए। जबरदस्ती करने के पक्ष में हम भी नहीं मान्यवर, मैं इस बात से सहमत हूं। जहां तक सहयोग की बात है, तो सहयोग तो आपका भी है। अब कितने-कितने हैं, ये आप गिन लीजिये।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल और
श्री अखिलेश कुमार सिंह के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब इसी एक सवाल पर आप लोग कितने प्रश्न पूछेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि जो मूल प्रश्नकर्ता होता है उसे बाद में भी एक बार मौका दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अगर नियमावली से चलेंगे तो दो ही प्रश्न होते हैं।

(श्री अखिलेश कुमार सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब को पूछ लेने दें। अभी आप पूछ लीजियेगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं इस प्रश्न के लिए जो वर्ष 2011 के आंकड़ें आये हैं, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में है। 15 बड़े राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अगर किसी प्रदेश की है तो वह उत्तर प्रदेश की है, इस नाते यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। वर्ष 2000 में जनसंख्या नीति लागू हुई है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़ें आये हैं। वह पहले से और अधिक खराब है। इस नीति के लागू होने के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ावा हुआ है। मा0 मंत्री जी ने जो जवाब दिया है जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में, उन्होंने सिर्फ प्रजनन दर की चिन्ता की है, अर्थात् सरकार यह मानती है कि जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करने का जो सिर्फ एक तरीका है वह है प्रजनन दर पर नियंत्रण। दूसरी जो बड़ी बात है मृत्यु दर उसकी चर्चा सरकार ने नही की। जनसंख्या वृद्धि दो चीजों पर आधारित होती है, कितनी प्रजनन दर है और कितने लोग मरते हैं ? क्या मैं यह मानूं कि सरकार यह मानती है कि अगर मृत्यु दर घटाई जायेगी, तो जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ जायेगी। इसलिए मृत्यु दर को घटाने के कोई उपाय नहीं किये जाने चाहिए। पहली बात तो सरकार यह बता दे कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु मृत्यु दर निगेटिव होती है, फिर भी मृत्यु दर पर नियंत्रण हेतु सरकार ने क्या उपाय किया है ? दूसरी चीज जो प्रश्न घूम गया प्रोत्साहन का, जिसे मैं विधायकों इत्यादि पर नहीं लाना चाहता। जब हम अपना परिवार छोटा करते हैं और हमारे पास एक बच्चा होता है तो हम बहुत डरे हुए होते हैं। जो हमारी स्थिति है, जो इन्फेन्ट मॉर्टलिटी है, जो फाइव इयर मॉर्टलिटी है, उसमें जो निगेटिव फैक्टर होता है, मां बाप के सामने कि अगर हमने एक बच्चा पैदा किया और यदि उसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, हमारे परिवार में कोई बच्चा ही नहीं होगा। मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि जो लोग एक बच्चे की नीति पर या दो बच्चे की नीति पर चलना चाहते हैं, बहुत से देशों ने यह प्रोत्साहन दिया जाता है कि उनके लिए क्या किया जाये। जब वह गर्भवती हो, तो उनको क्या सुविधा दी जाये ? जब वह पैदा हो तो कितना धन देकर के उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाये। जिससे कि लोगों को यह प्रोत्साहन मिले कि यदि एक बच्चा भी हुआ तो भी उन्हें सारी सुविधायें अन्य लोगों से अधिक मुहैया करायी जायेंगी। क्या सरकार ऐसी कोई नीति बनायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने तो पढ़ दिया है कि ये-ये नीति हैं, प्रोत्साहन नीति है, इत्यादि।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पूछा है कि मां-बाप कैसे प्रोत्साहित हो छोटे परिवार के लिए। अगर हम उन्हें मदद नहीं देंगे, वो परिस्थितियां नहीं देंगे तो वह हिम्मत कैसे जुटायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

उसमें जवाब में तो लिखा है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि उपचार के स्तर पर पूरी सहायता की जाती है। जहां तक मैंने कहा कि एजूकेट करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह कार्यक्रम आगे चलेगा भी और 2016 तक हमारा इसको पूरा करने का लक्ष्य भी है। इसमें और जो जरूरतें पेश आयेंगी, उसमें भी सरकार विचार कर लेगी।

(सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब क्या पूछना है, आप तो जनसंख्या वृद्धि को एक भी परसेंट तो क्या जीरो भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या बार-बार सवाल पूछते हैं पूछिये ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, यहां पर इन छोटे परिवारों को प्रोत्साहन करने की बात तो आई कि ऐसे छोटे परिवारों को क्या प्रोत्साहित करने की कोई योजना है। मा0 मंत्री जी का जवाब आ गया। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं कि वह लोग, जिन मां-बाप ने 3 बच्चे या उससे ज्यादा पैदा किये हैं या उनकी योजना होती है, जहां तक एजूकेट करने की बात है यह देखा गया है कि एजूकेशन वाले लोग, जो ज्यादा एजूकेटेड हैं, वहां लिंग अनुपात भेद ज्यादा है। एक हजार लड़कों के ऊपर 550 लड़कियां रह गयी हैं। वह सब अपना अल्ट्रासाउण्ड कराकर एबार्शन करा देते हैं। नतीजा क्या होता है कि जहां एजूकेशन ज्यादा है वहां लिंग अनुपात भेद की एक नई समस्या पैदा हो गयी है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात यह पूछना चाहता हूं कि आप छोटे परिवारों को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो क्या ऐसे मां-बाप को हतोत्साहित करने की कोई योजना है कि जिनके तीन या ज्यादा बच्चें हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ऐसी कोई योजना हो भी नहीं सकती, होना चाहिए भी नहीं और है भी नहीं।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जनसंख्या नियंत्रण हमारे देश और दुनिया का बहुत गम्भीर मामला है और जो योजनायें सरकार ने बताई हैं, केवल उससे जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। सबसे पहले 1938 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने जनसंख्या नियंत्रण की योजना बनाई थी। उसके बाद किसी सरकार और किसी नेता ने योजना नहीं बनाई। तो मान्यवर, आबादी में चीन हमसे कहीं ज्यादा है और अगले 5 साल में हम उससे ज्यादा जनसंख्या वाले होने वाले हैं। तो क्या सरकार यह बतायेगी कि सरकार के अन्दर यह इच्छाशक्ति है कि एक या दो से अधिक बच्चे पैदा करने वालों के लिए कानून बने कि यदि वह इससे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं जैसा कि चीन में है कि उनको सरकारी नौकरियां नहीं दी जायेगी और सहूलियतें नहीं दी जायेगी ? जब तक सख्त कानून नहीं बनता, मजहब और धर्म की आड़ में इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जहां तक चीन का मामला है, चीन में यह कानून बहुत देर से बना और उसने यह कहा कि पूरी दुनिया आबादी को अपने लिए प्रकोप कहती है जबकि यही आबादी मेरी ताकत है और

उसने यह भी कहा, उसको हम यहां लागू नहीं कर रहे और उसे मानते भी नहीं। लेकिन उसने यह भी कहा कि जो एक पेट लेकर आता है वह दो मजबूत हाथ भी लेकर आता है और हम उन दो हाथों से काम भी लेते हैं। तो चीन ने दोनों कंसेप्ट सामने रखे, एक बढ़ती हुई आबादी से काम लेने वाला और दूसरा यह कि उस पर कंट्रोल करे। लेकिन वहां भी कोई ऐसा तरीका अख्तियार नहीं किया गया जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है और आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी है हर मैदान में। वहां कोई भूखा नहीं है, वहां कोई अशिक्षित नहीं है, वहां कोई बेघर नहीं रहता। हर शख्स के पास सवारी है। सबसे बड़ी फौजी ताकत इस वक्त है पूरी दुनिया की। व्हाइट हाउस आकर बीजिंग में यह कहता है कि अपनी तोपों के रूख बदल दो। इस हद तक ताकतवर देश है तो उनके यहां दोनों कंसेप्ट हैं। आबादी को रोकने का भी और बढ़ी हुई आबादी को अपने लिए प्रकोप न मानने का भी। लिहाजा वह उसूल हमारे यहां नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि यहां तानाशाही नहीं है, यहां ताकत के बल पर किसी चीज को रोका नहीं जा सकता। यहां लोकतंत्र है और यहां जो भी कानून बनेगा वह लोकतांत्रिक परिधि के अन्दर बनेगा, उसी के दायरे और उसी के फ्रेम वर्क के अन्दर बनेगा। यहां लोगों को समझाया जा सकता है, एजूकेट किया जा सकता है, शिक्षित किया जा सकता है, मनाया जा सकता है, लेकिन 1975 की तरह इमरजेंसी लगाकर बच्चे रोकने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता।

प्रदेश की जेलों में निरुद्ध रुग्ण एवं असहाय सिद्धदोष पुरुष व महिला बन्दियों की रिहाई की योजना

**2-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में काफी समय से सजा काट रहे अथवा निरुद्ध, वृद्ध एवं बीमार कैदियों की रिहाई के लिए सरकार क्या कोई योजना/नीति बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद तथा कारागार मंत्री (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया')-

प्रदेश की विभिन्न जेलों में निरुद्ध रूग्ण, उम्रदराज, विकलांग व असहाय सिद्धदोष पुरुष व महिला बन्दियों की समय पूर्व रिहाई पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 सपठित उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर 195, 196, 197 एवं 198 के अन्तर्गत फार्म ए/नामिनल रोल/इनफरमिटी रोल एवं संविधान के अनुच्छेद 161 में प्राप्त शक्तियों के अधीन उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर 87 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर विहित प्राधिकारियों की आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार कर महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के आदेश प्राप्त किये जाते हैं।

उक्त विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे बन्दियों की रिहाई के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 02 जून, 2008 निर्गत किया गया है।

उपर्युक्तानुसार वर्णित व्यवस्था लागू है, जो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान से लगाकर शासनादेश तक, ऐसे तमाम कैदी, जो वृद्ध है, बीमार हैं, असहाय हैं, विकलांग हैं, उनकी क्षमा याचिकायें स्वीकृत करने के लिए प्राविधान बनाये गये हैं। 02 जून, 2008 को जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक शासनादेश जारी हुआ

है, तो यह शासनादेश क्या है ? और जेल मैनुअल के प्रस्तर 87 के अन्तर्गत कितनी क्षमा याचिकायें वर्ष 2008 के बाद दायर की गई और उन याचिकाओं में कितनी स्वीकृत हुई, कितनी अभी लम्बित हैं ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया"-

श्रीमन् शासनादेश में यह है कि बोर्ड का निर्णय होता है, उस बोर्ड में मेडिकल कालेज के एक डाक्टर रहते हैं, सी0एम0ओ0 या सी0एम0एस0 रहते हैं, एक डाक्टर यूनानी या आयुर्वेद के रहते हैं और जेल विभाग का एक डाक्टर उसमें रहता है। इन डाक्टरों का बोर्ड उन वृद्ध बन्दियों को चिन्हित कर देता है कि यह अशक्त हैं इनमें सुधार होने या स्वस्थ होने की अब कोई आशा नहीं है, इस बात की संस्तुति बोर्ड करके भेजता है। जहां तक रिहाई का प्रश्न है तो फार्म ए के आधार पर 80, नामिनल रोल के आधार पर 51, दया याचिका के आधार पर 71 और इनफरमिटी रोल के आधार पर रिहा किये गये बन्दियों की संख्या 03 है। शासनादेश 22 जरवरी, 2011 के अन्तर्गत रिहा किये गये बन्दियों की संख्या 189 है। इस तरह कुल 394 बन्दियों की रिहाई वर्ष 2007 से लेकर 2011 तक हो चुकी है।

(श्री अखिलेश कुमार सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 अखिलेश जी, प्रश्न का तो पूरा उत्तर आ गया है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मान्यवर, आदरणीय कारागार मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक आदि में जो 14 साल के सजायाफ्ता बन्दी हैं, उनको मानवता के आधार पर रिहा कर दिया जाता है क्या उत्तर प्रदेश में भी इन राज्यों की तर्ज पर ऐसा कानून बनेगा ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह " राजा भइया"-

श्रीमन् इस पर विचार चल रहा है और बहुत जल्दी इसमें कोई निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, जेलों में उनकी सुख-सुविधा, उनका रख-रखाव नहीं हो पा रहा है और कई बार यह विचार भी शासन की ओर से आये हैं कि जेलों में जो अशक्त लोग हैं जिनसे कोई काम भी नहीं लिया जा सकता है, उनको रिहा करने के प्रावधान बनाये जायें, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ? मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2008 से लेकर 2012 तक केवल 394 लोग छोड़े गये हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई अभियान चलाकर जो वास्तव में अशक्त हैं उनको शासन विशेष प्रयास करके छोड़ने का काम करेगा, जिससे जेलों में बढ़ती हुई संख्या कम हो और जेल में दबाव कम हो ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह " राजा भइया"-

माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के बाद से बहुत कम जेलों का निर्माण हुआ है जबकि आबादी लगभग तीन गुना बढ़ गयी है इसलिए स्वाभाविक रूप से हर कारागार पर बढ़ती हुई आबादी का दबाव

है। मैं यह भी बताना चाहूं कि 9 कारागार निर्माणाधीन हैं और 7 प्रस्तावित हैं। इसके अलावा जो पुरानी जेलें हैं। उनमें नई बैरकों का निर्माण और दो मंजिली बैरकों का निर्माण कार्य चल रहा है। बन्दियों की रिहाई सम्बन्धी जो प्रक्रियायें हैं वह मूलतः चार प्रक्रियायें हैं उनको मैंने आपके माध्यम से बता दिया है, इस श्रेणी में जो भी बन्दी आयेंगे वह छोड़े जायेंगे, यह इस सरकार का निर्णय है।

(मा0 सदस्य कुंवर कौशल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 कौशल जी, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है अब आप कौन सा प्रश्न पूछेंगे ?

कुंवर कौशल सिंह-

मान्यवर, एक चीज रह गई है कि एक सजायाफ्ता कैदी जिसे सेन्ट्रल जेल में होना चाहिए, क्या ऐसी व्यवस्था की गई है।

श्री अध्यक्ष-

यह कौन सा सवाल है, यह इससे सम्बन्धित नहीं है, बैठिये। प्रश्न समझकर पूछिये, कृपया आप बैठिये।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वैट की दरों को संशोधित करने की मांग

*1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगाये गये वैट की दरें दिल्ली एवं मध्य प्रदेश की अपेक्षा अधिक है जिससे प्रदेश की जनता पर कर का बोझ अधिक पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य प्रदेशों में लगाये गये करों का तुलनात्मक अध्ययन कर वैट की दरों को संशोधित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

प्रदेश में वैट की दरें राज्यों के वित्त/कर मंत्रियों की इम्पावर्ड कमेटी द्वारा संस्तुत दरों 0 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 4 प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत के अनुरूप रखी गयी हैं। यही दरें दिल्ली एवं मध्य प्रदेश में भी वैट व्यवस्था के अन्तर्गत प्रचलित हैं। अतः प्रदेश में वैट की दरें दिल्ली, मध्य प्रदेश एवं अन्य निकटवर्ती राज्यों की भांति ही इन्हीं 04 श्रेणियों में रखी गयी हैं तथा अधिकांश वस्तुओं पर वैट की दरें दिल्ली एवं मध्य प्रदेश के समतुल्य हैं। प्रदेश की वित्तीय आवश्यकता एवं सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत रूप से कर की दरें निर्धारित की जाती हैं।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि तारांकित प्रश्न के अन्तर्गत मुझे अवसर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि वैट की दरें दिल्ली तथा मध्य प्रदेश

की दरों के अनुसार हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली तथा मध्य प्रदेश में एक लीटर पेट्रोल पर कितना वैट है तथा इसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में एक लीटर पेट्रोल पर कितना वैट है ? साथ ही यह भी पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

पहले एक प्रश्न का उत्तर आ जाने दीजिये।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री फरीद महफूज किदवई)-

माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में डीजल पर जो दर है, वह हमारी है 17.23 प्रतिशत और दिल्ली में 12.5 प्रतिशत। मान्यवर, दिल्ली व मध्य प्रदेश के मुकाबले हमारी दरें कम हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रश्न के संदर्भ में जानना चाहूंगा, पेट्रोलियम की मूल्यवृद्धि चिन्ता का विषय है। चूंकि उत्तर प्रदेश ने अभी नहीं किया है जबकि उत्तराखण्ड व अन्य राज्यों दिल्ली व केरल ने वैट कम किया है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि दिल्ली और उत्तराखण्ड की तरह पेट्रोल व डीजल पर, खासतौर से पेट्रोल पर वैट की दरें कम करेंगे ?

श्री फरीद महफूज किदवई-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड के मुकाबले में तो यू0 पी0 में दरें यूं ही कम हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न यह है कि जो दर इस समय है उसमें क्या कुछ कमी करेंगे ?

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, वह पहले से ही कम है। जो हमारे सीमित संसाधन होते हैं उसके हिसाब से दरें हम लगाते रहते हैं। हमारी दरें पहले से ही कम हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं माननीय मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि सभी आस-पास के प्रदेशों ने अपना प्रतिशत कम किया है तो क्या एक बार विचार करेंगे और यहां पर भी पेट्रोलियम पर वैट कम करेंगे ?

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि पहले से दरें कम हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

चूंकि पेट्रोलियम जैसे संवेदनशील विषय पर यह सरकार वैट की दर घटाने पर सहमत नहीं है, जबकि सभी कांग्रेसी राज्यों ने वैट दरें कम की हैं। इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से वाक-आउट करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

दाम किसने बढ़ाया ?

श्री हुकुम सिंह-

राजस्थान में भी तो इन्हीं की सरकार है वहां क्यों नहीं कम किया ?

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बच्चों, बुजुर्गों व गर्भवती महिलाओं में कुपोषण का प्रतिशत एवं इससे बचाव के उपाय का विवरण

*1-श्री सुरेश राणा (अनुपस्थित)-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुपोषण का प्रतिशत बच्चों, बुजुर्गों एवं गर्भवती महिलाओं में क्या है ? क्या कुपोषण से बचाव हेतु सरकार ने कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 897 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष आयु के लगभग 278 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। वर्ष 2011-12 में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण की श्रेणी में पाये गये। बुजुर्गों एवं गर्भवती महिलाओं के सम्बन्ध में निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जी हां।

भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में आई0सी0डी0एस0 योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत कुपोषण से बचाव हेतु अनुपूरक पुष्टाहार दिये जाने के साथ-साथ प्रतिरक्षण (टीकाकरण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, निर्देशन एवं संदर्भन सेवायें तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधायें प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

(सदस्य के उपस्थित न होने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस प्रश्न में मेरी रुचि है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी यह कांग्रेस का वाक-आउट राज्य सरकार के लिए था या केन्द्र सरकार के लिए, यह बात साफ नहीं हुई ? क्योंकि केन्द्र सरकार ने तेल के दाम बढ़ाये हैं, यह तो अच्छा लक्षण है। इसके लिए तो कांग्रेस को मुबारकवाद देना चाहिए कि केन्द्र सरकार के बढ़ाये हुए दामों के लिए बहिर्गमन कर गये, इसके लिए कांग्रेस को धन्यवाद।

नोट :-तारांकित प्रश्न-1 श्री हुकुम सिंह की रुचि पर तारांकित प्रश्न सं0 4 के उपरान्त लिया गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, 3 प्रश्न और हैं, समय बच जायेगा उसी में पूछ लीजियेगा। माननीय हुकुम सिंह जी, तारांकित प्रश्न 1 जो सुरेश राणा जी का था स्थगित हो गया था समय बचा है, आपने इच्छा जाहिर की थी, पूछना चाहें। नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या 1 महिला एवं बाल विकास का है। मुकेश जी, आप बैठ जायं, अब क्या पूछेंगे मंत्री जी का उत्तर आ गया है कि मिल रहा है। अनुग्रह नारायण जी, आप नियमावली का उद्धरण देते हैं, बैठ जायं। मंत्री जी ने कहा है कि मिल रहा है। अब अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो जाइये जांच करके लाइये, सबूत दीजिये। मंत्री जी ने कहा कि मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो प्राविधान है नियमों में, आप मिनिस्टर के खिलाफ सूचना दीजिये और जाकर जांच वांच करके सैम्पुल लाइये, सूचना दीजिये। बैठ जायं। हुकुम सिंह जी आपको प्रश्न पूछना है तो कहें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी उत्तर पढ़ें।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, बाल विकास की यह योजना कई वर्षों से चल रही है। इस योजना को चलते 37 साल हो गये हैं। 37 साल में परिणाम आपके सामने है कि अभी भी 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। अगर 37 साल में अभी भी 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार है तो यह योजना कितनी प्रभावी है उसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है नहीं है। एक बात और आपने कही उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने कहा कि बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के सम्बन्ध में निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जब आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो उनको पुष्टाहार किस आधार पर दिया जा रहा है। तब तो यह समझ में आता है कि दो-चार बोरी दे दिये किसी को मिले या ना मिले। निश्चित जानकारी के आधार पर ही तो उपलब्ध करायेंगे। जब निश्चित जानकारी है ही नहीं तो कहां से उपलब्ध करायेंगे। यह दो बातें मैंने आपके सामने रखी मान्यवर। अब सवाल मेरा यह है कि यह जो सामग्री मिलती है यह आज मैं नहीं, सदन में बैठे सारे सदस्य मान्यवर, इसके साक्षी हैं कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं में यह सामग्री कहीं नहीं जाती। कहीं जाती है तो इसको कोई खाता नहीं। यह सीधे-सीधे पशु आहार के रूप में इस्तेमाल हो रही है और वहीं जा रही है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर देना चाहता हूं मान्यवर, जब यह प्रश्न हमारे सामने आया तो इसका समाधान का रास्ता भी कुछ होना चाहिए। केवल यह नहीं कि हमने उत्तर भेज दिया हम उसके ऊपर जम कर बहस कर करेंगे। क्योंकि हम वहां बैठे हैं तो उस उत्तर के गुलाम थोड़ी बन गये। हमें अपना विवेक भी इस्तेमाल करना चाहिए। दो चीजों का आप नोटिस ले सकते हैं कि यह पुष्टाहार जो सो काल्ड पात्र व्यक्ति हैं चाहे गर्भवती महिलाएं हों या बच्चे हों। यह सामग्री उन तक पहुंच भी रही है कि नहीं ? पहुंच भी रही है तो पुष्टाहार में यह है ही नहीं यह तो पशु आहार में जा रही है और पशु भी इसको खा लें तो तब मान्यवर, 37 साल के अनुभव के बाद में भी

मान्यवर, जब 40 प्रतिशत बच्चे पुष्टाहार खाने के बाद में भी कुपोषित हैं तो इसका उपयोग क्या है मान्यवर ? इन सारी बातों को देखते हुए क्या इस योजना के समस्त प्रारूप पर सरकार पुनर्विचार करेगी। विचार करने के लिए मेरा अनुरोध है। क्योंकि सरकार के ऊपर ही सारा बोझ नहीं, सदन की चिन्ता की बात है। मेरा कहना है कि विशेषज्ञों को बुलाकर सदन की समिति बनाकर इस प्रकरण पर विचार किया जाये तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस प्रश्न पर सरकार बहुत चिन्तित है। आपका यह कहना कि सहूलियत नहीं मिल रही है पुष्टाहार की। इसको सरकार गम्भीरता से ले रही है, दिखवा रही है, और जहां कमी है, उन कमियों पर नजर है। जहां उसको सुधारने की जरूरत है उसको सुधारने की भी कोशिश हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि करीब भविष्य में इसको सुधारने में कामयाब होंगे। पिछली गल्तियों के हम कोई सफाई नहीं देना चाहते हैं लेकिन आगे गलती न हो इसके लिए हमारी कोशिश जारी है।

श्री हुकुम सिंह-

मैं आपको दोष नहीं देता पिछली गल्तियों के लिए, हम सब भागीदार हैं। हमने इसको गम्भीरता से नहीं लिया अपनी औपचारिकता निभा ली कि हमने बजट पास करा दिया। बजट पास होने के बाद इसका पूर्णतया दुरुपयोग हुआ। लोगों की जेब में गया। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों के कन्धों पर इसको चलाने का बोझ है वह गांव की लड़कियां हैं। उनको हजार पन्द्रह सौ रुपया वेतन मिलता है और वेतन मिलने में भी जो उनका कष्ट है। मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं उनकी कठिनाइयों का, जिस तरह से शोषण उन बच्चों का होता है अधिकारियों से लेकर बाकी लोगों तक सताया जाता है प्रताड़ित किया जाता है, उन लोगों को इस पर भी विचार होना चाहिए। हजार पन्द्रह सौ जो उनको दिया जाता है वह भी उनको नहीं देते हैं समय के अन्दर। मान्यवर, जब आप योजना पर विचार करेंगे तो इस पर भी विचार कर लीजिए कि जो कार्यकत्री इस योजना को लागू करने पर लगी हुई हैं उनको भी प्रभावी तरीके से सक्षम बना सकें। मेरा आग्रह है हम 37 साल में कुछ नहीं कर पाये मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी कर देंगे। लेकिन बहुत जल्दी वाली बात तो बहुत लम्बी है। 37 साल में नहीं हो पाया तो मैं चाहूंगा कि क्या कोई समयबद्ध योजना बतायेंगे कि चार-छः महीने के अन्तर्गत करके सदन को सूचित करायेंगे ?

पुष्टाहार एवं बेसिक शिक्षा बाल विकास राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

इसके सुधार के लिए हमने प्रयास किया है पहले बोरी आती थी 20 किलो की, 25 किलो की अब दो किलो का पैकेट होगा उस पर सब डिटेल होगी। किस गांव का है, और मोबाइल नम्बर भी होगा किस आंगनबाड़ी के किस केन्द्र का है यह सारी डिटेल होगी ताकि कहीं किसी को ऐसी बोरी मिल जाये तो वह हमको आपको सूचना दे सके और जहां तक मानदेय की बात है मानदेय हमने बढ़ा दिया है। अब उनके बैंक में खाते खुलवा रहे हैं ताकि डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा सकें। कहीं और न जाये इसलिए ऐसी व्यवस्था की है।

सुश्री सावित्री बाई फुले-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहती हूं कि जनपद बहराइच में 282 बिल्हा विधान सभा क्षेत्र है वहां जो कार्यकत्री और सहायिका हैं, कार्यकत्री वहां आती नहीं हैं सी0डी0पी0ओ0

डायरेक्ट कहती हैं कि पांच सौ रुपये महीना और जो खाद्यान आता है वह पांच बोरी दीजिये और आप अपने घर पर बैठे रहिये।

श्री अध्यक्ष-

सवाल कहिये।

सुश्री सावित्री बाई फुले-

और जो खाद्यान दिया जाता है वह सीधे पशुओं के लिए दिया जाता है। इसको बेचा जा रहा है इसको मैंने शनिवार को मैनपुरवा ब्लाक में बैठक थी मैंने प्रमाण के रूप में दिया था कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। यह समस्या पूरे बहराइच के बिल्हा जनपद की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की है। इसमें क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वह सदन में बतायें ?

श्री अध्यक्ष-

साध्वी जी का प्रश्न है कि बाजार में बिल्हा ब्लाक में खाद्यान बेच दिया जाता है जबकि बिल्हा ब्लाक बहराइच से इस प्रश्न का कोई संबंध नहीं है। लेकिन इन्होंने शिकायत की है तो इसको गम्भीरता से दिखवा लीजियेगा और इसमें कार्यवाही करा लीजियेगा।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी "दादा" बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी, आपका प्रश्न तो बड़ा घुमावदार होता है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी "दादा"-

अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है। पहले तो मैं संसदीय कार्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि मैं इसे ठीक करूंगा, मुझे विश्वास है कि जरूर ठीक होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हुकुम सिंह जी ने और अन्य सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि जो तनख्वाहें उनको मिलनी चाहिए उसमें भी बन्दरबांट होता है। जो खाद्यान्य गर्भवती माताओं और बच्चों के लिए दिया जाता है, उसका आधे से ज्यादा पशुओं के उपयोग के लिए दिया जा रहा है, इससे पशु पुष्ट हो रहे हैं और इसको जो बांटने वाले अधिकारी हैं, मुख्य सेविकायें हैं और अन्य लोग हैं वह पुष्ट हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण योजना है, इसमें जो भ्रष्टाचार है, इसमें जो शोषण है, उसको रोकने के लिए जैसा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है, कोई प्रभावी कार्यवाही अवश्यक करें, इतना मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है।

श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आपका क्या कहना है ?

श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। आज का नत्थी ख का पहला प्रश्न है, जिसमें पेट्रोलियम पर वैट की दरें कम करने के सम्बन्ध में बात आई है। इसके सम्बन्ध में यहां पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ गया है, अब आप बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता, आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आप बैठिये, इसमें कोई सवाल नहीं। उत्तर पूरा आ गया है।

प्रदेश के शिक्षामित्रों का मानदेय तथा उनकी सेवाओं को स्थाई किये जाने की योजना की जानकारी

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने तथा उनकी सेवाओं को स्थाई किये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। यद्यपि शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित कराकर समायोजित किये जाने की राज्य सरकार की प्राथमिकता में है।

प्रदेश में कुल 1.70 लाख शिक्षामित्र संविदा पर कार्यरत हैं। कुल 1.24 लाख स्नातक शिक्षामित्रों में से 60 हजार शिक्षामित्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इनका प्रशिक्षण जून, 2013 में पूर्ण हो जायेगा, जो शैक्षणिक सत्र 2013-14 में नियुक्ति हेतु उपलब्ध हो सकेंगे। अवशेष 64 हजार शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण अगस्त, 2012 से प्रस्तावित है, जो कि प्रशिक्षणोपरान्त शिक्षण सत्र 2014-15 में नियुक्ति हेतु उपलब्ध हो सकेंगे।

लगभग 46 हजार इण्टर पास शिक्षामित्रों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अनुमति से प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पहले भी आया है। मैं इस बारे में आपके माध्यम से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप उत्तर देखें तो उत्तर से स्पष्ट है कि 64 हजार लोगों को वर्ष 2014-15 में नियुक्ति मिलेगी आज महंगाई का यह आलम है कि उसमें 3500 रुपये माहवार में

यह शिक्षामित्र अपना गुजारा कर रहे हैं। एक लाख से ज्यादा लोगों को इससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा उनको पांच साल तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब तक उनको पूर्ण नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक क्या मंत्री जी क्या उनका मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, उत्तर में सारी बातें आ गई हैं। हम उनको मानदेय पर नहीं बल्कि पूरा का पूरा समायोजित करने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम उनको पूरी की पूरी तनख्वाह देने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए उनको प्रशिक्षित करके पूरे के पूरे लोगों को समायोजित करने की बात कर रहे हैं इसलिए ऐसा कुछ नहीं है।

टी0 ई0 टी0 (शिक्षक पात्रता परीक्षा) के विषय में निर्णय हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) तथा श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टी0 ई0 टी0 (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सेवायोजित करने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त परीक्षा परिणाम में दिनांक 15-5-2012 तक कितनी बार संशोधन किये गये हैं ? क्या सरकार सभी संशोधनों को मान्यता प्रदान करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। कतिपय प्रश्नों/उत्तरों में त्रुटियों एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-12-2011 के अनुपालन में संशोधन किये गये और उक्त संशोधनोपरान्त दिनांक 12 जनवरी, 2012 को परीक्षा परिणाम सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् को सौंप दिया गया।

उक्त टी0 ई0 टी0 (शिक्षक पात्रता परीक्षा) के विषय में शीघ्र निर्णय लिये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। शेष प्रश्न नहीं बनता।

श्री श्यामदेव देव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन छोटे-छोटे अनुपूरक करना चाहूंगा। एक तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस विषय का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। दूसरे अंश में मैंने यह पूछा था कि उक्त परीक्षा परिणाम में दिनांक 15-5-2012 तक कितनी बार संशोधन किए गए हैं। इसका उत्तर नहीं आया है मैं आपके माध्यम से इसका उत्तर चाहूंगा। अन्तिम पैरा में जो सरकार का निर्णय है कि उक्त टी0 ई0 टी0 शिक्षक पात्रता परीक्षा के विषय में शीघ्र निर्णय लिए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है उनको क्या कोई समयबद्ध सीमा दी गई है कि इतने समय के

अन्दर आप निर्णय ले लेंगे ताकि यह जो लाखों टी0 ई0 टी0 उत्तीर्ण छात्र हैं उनके भविष्य के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था के तहत कब तक यह नियुक्त हो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य के दो प्रश्न हैं कितनी बार संशोधन किया गया दूसरे इसमें कोर्ट में कौन सा विषय विचाराधीन है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मेरे प्रश्न छोटे-छोटे कि प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है वह किस विषय पर विचाराधीन है।

मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि 15 मार्च, 2012 तक कितनी बार संशोधन किये गये। सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है क्या उस समिति को कोई समय दिया गया है कि इतने समय के अंदर वह रिपोर्ट दे देगी ?

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, इसमें पूरी की पूरी अनियमितता बरती गयी थी। इसमें कुछ टी0ई0टी0 के साथी भी थे जो कोर्ट में चले गये थे। कितनी बार संशोधन हुए यह बताना जरा मुश्किल है क्योंकि कुछ अभिलेख सील हैं और कुछ पुलिस कस्टडी में हैं। जिन्होंने इसको किया था वह खुद जेल में हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, टीईटी पर फैसला कब तक हो जायेगा।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, यह जो उच्च स्तरीय समिति बनी थी उसने अपना वियू सरकार को दे दिया है तो जल्दी ही उसका निस्तारण हो जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, वैसे तो यह प्रश्न का उत्तर यहां पर आना ही नहीं चाहिए जब मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो शासन की ओर से यह बात आ जाती कि माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। चलिये अब जवाब आ ही गया है और यह लोकमहत्व का है तो कहना चाहता हूं कि टी0ई0टी0 परीक्षा में लगभग सौलह लाख लोग बैठे थे जिसमें से करीब तीन लाख लोग सफल घोषित हुए हैं। अब जो सफल हुए हैं उनके भविष्य पर तलवार लटक रही है। इसमें कई अधिकारी दोषी पाये गये हैं। जो उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था उसमें कौन-कौन अधिकारी सम्मिलित थे। टी0ई0टी0 में जो घपला हुआ है उसमें कई बड़े-बड़े अधिकारी जेल में हैं। जो जेल में हैं उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी ही तो जांच कर रहे होंगे और उच्चस्तरीय समिति में होंगे। इसमें हम चाहते हैं कि इसमें सरकार जल्दी फैसला करा दे ताकि सफल अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, उच्चस्तरीय समिति इस विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी थी और इसमें प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव न्याय, पुलिस महानिदेशक, सचिव माध्यमिक शिक्षा, सचिव बेसिक शिक्षा

ही और अधिकारी भी सम्मिलित थे। इसमें पूरे नामों की सूची नहीं है इस समय हमारे पास इसलिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है उनको नाम बता दीजियेगा। इसका कब तक निस्तारण हो जायेगा यह वे जानना चाहते हैं।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, जल्दी ही।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें हम आपका संरक्षण चाहते हैं। आप प्रश्न भी देख लें और जो उत्तर है उसको कृपया देख लें। यह बात सदन में आ चुकी है अब मान्यवर, इसमें आपका विवेक काम करेगा। जब प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो फिर किसी प्रकार की घोषणा यहां सदन में की जानी उपयुक्त नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मैं अगला प्रश्न ले लेता हूं। आप लोग बैठ जायें।

(तारांकित प्रश्न संख्या 4 पुकारे जाने एवं कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं इसकी खुद जांच कराऊंगा कि जब यह प्रकरण विचाराधीन था न्यायालय में, तो कैसे यह प्रश्न आ गया। मैं खुद इसकी जांच कराऊंगा, आप लोग बैठिये, दादा आप बैठ जायें।

मैंने अब मुकेश श्रीवास्तव का प्रश्न ले लिया है, रघुनन्दन सिंह जी यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है यह किसी कारण से आ गया, वह अलग बात है। आप बैठिये, आप नहीं मानेंगे तो आपकी बात लिखी नहीं जायेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, कैबिनेट में जा चुका है तो इसको जल्दी लागू करवा दें यही अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे दिखवाता हूं।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में "मिड-डे-मील" के स्थान पर सूखा भोजन दिये जाने की मांग

*4-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में "मिड-डे-मील" में विद्यार्थियों को दी जाने वाली खुराक की निम्न स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए क्या शासन "मिड-डे-मील" में पके भोजन के स्थान पर सूखा भोजन यथा लइया चना, चिवड़ा, बिस्कुट, फल, सत्तू, गुड़ इत्यादि देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0 196/2001 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्देशों के क्रम में मध्यान्ह भोजन योजना लागू की गयी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में गर्म पका-पकाया भोजन छात्रों को उपलब्ध कराया जाय। उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन से बच्चों को न्यूनतम 300 किलो कैलोरी ऊर्जा एवं 10 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो सके। विद्यालयों में बच्चों को उपलब्ध कराये जाने वाले मध्यान्ह भोजन का जो मीनू निर्धारित किया गया है उससे प्राथमिक स्तर के छात्रों को न्यूनतम 450 किलो कैलोरी ऊर्जा तथा 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होता है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को न्यूनतम 700 किलो कैलोरी उर्जा तथा 20 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। यदि पके पकाये भोजन के सापेक्ष सूखा भोजन यथा लइया चना, चिवड़ा, बिस्कुट, फल, सत्तू, गुड़ इत्यादि उपलब्ध कराया जायेगा तो मानक के अनुसार निर्धारित खाद्यान्न से निर्धारित ऊर्जा एवं प्रोटीन प्राप्त हो पाना सम्भव नहीं होगा। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा छात्रों को गर्म पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं, अतएव यदि बच्चों को सूखा भोजन दिया जाता है तो मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवमानना होगी।

श्री अध्यक्ष-

यह भी न्यायालय में हैं इसलिए इसमें प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, अब यह न्यायालय में पेन्डिंग नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अनुग्रह नारायण सिंह जी, आप ही तो नियमावली का उद्धरण दे रहे थे, बैठिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इसमें निर्णय दे दिया है अब उसमें जो मार्ग निर्देशक तत्व हैं उसके अनुसार ये काम कर रहे हैं, अब यह लम्बित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

उसी में तो कहा है कि भूजा सत्तू से प्रोटीन नही मिलेगा जो सूखा भोजन है, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि सूखे भोजन से वह प्रोटीन नहीं मिलेगा, जो प्रोटीन उसमें मिलता है।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मध्यान्ह् भोजन के अन्तर्गत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन से बच्चों को न्यूनतम 300 किलों कैलोरी ऊर्जा एवं 10 ग्राम प्रोटीन मिल सके इसके अनुसार प्राथमिक स्तर के छात्रों को 450 किलों कैलोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को न्यूनतम 700 किलों कैलोरी ऊर्जा तथा 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होने वाला पकाया हुआ भोजन दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, दिया जा रहा है ?

श्री वसीम अहमद-

जी हां।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी कह रहे हैं दिया जा रहा है। चलिये बैठिये।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्य कत्रियों/सहायिकाओं को बढ़ी हुई दर पर मानदेय भुगतान के आदेश

1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं को केन्द्र सरकार ने 21 जुलाई, 2011 के शासनादेश द्वारा एक अप्रैल, 2011 से क्रमशः 3,000/- तथा 1,500/- प्रतिमाह मानदेय देने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त दर से प्रदेश की आंगनबाड़ी सहायिकाओं/कार्यकत्रियों को मानदेय का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 16 मई, 2012 द्वारा 01-04-2011 से बढ़ी हुई दर से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के मानदेय भुगतान के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र के सम्बन्ध में जानकारी

2-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने चल रहे हैं और कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं की नियुक्ति न होने के कारण नहीं चल रहे हैं ? क्या सरकार बन्द पड़े आंगनबाड़ी केन्द्रों को चलाने हेतु उन पर कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद बहराइच में वर्ष 2012-13 में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का लक्ष्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद बहराइच में कुल 3094 आंगनबाड़ी केन्द स्वीकृत हैं। स्वीकृत सभी केन्द्र संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0सी0डी0एस0 भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र पुरोधानित योजना है। केन्द्रों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जनसंख्या के मानकों के आधार पर की जाती है। वर्ष 2012-13 में जनपद बहराइच में नये केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी को प्रोत्साहन देने हेतु छोटे-छोटे स्टेडियम बनवाने का कथित प्रकरण

*3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ग्रामों में छोटे छोटे स्टेडियम बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम्य विकास, खेलकूद, युवा कल्याण मंत्री (श्री कामेश्वर उपाध्याय)-

जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी को प्रोत्साहन देने हेतु ग्रामों में छोटे-छोटे स्टेडियम बनवाने की कोई योजना नहीं है।

जनपद प्रबुद्धनगर के पशुचिकित्सालय के गर्भाधान केन्द्र में उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध कराये जाने की मांग

4-श्री सुरेश राणा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रबुद्धनगर के कितने पशु चिकित्सालयों में उत्तम नस्ल के पशु, गर्भाधान हेतु रखे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रत्येक गर्भाधान केन्द्र पर उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, पशुधन मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

जनपद प्रबुद्धनगर में किसी भी पशु चिकित्सालयों पर उत्तम नस्ल के पशु, गर्भाधान हेतु नही रखे गये हैं।

विभाग में पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों तथा पैरावेट्स द्वारा उत्तम नस्ल के अतिहिमीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं की मान्यता के लम्बित आवेदन एवं पटट्े की भूमि पर बने विद्यालयों को मान्यता देने के सम्बन्ध में जानकारी

5-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं की मान्यता के लिये कितने आवेदन-पत्र वर्ष 2010 से दिनांक 09 मई, 2012 तक लम्बित हैं? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ऐसी जमीन जिसको 55 साल या तीस साल के पट्टे पर लेकर विद्यालय बनाये गये हैं, को मान्यता देने में क्या कठिनाई है ? क्या सरकार ऐसे विद्यालयों को मान्यता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

माध्यमिक कक्षाओं की मान्यता के लिये वर्ष 2010 से दिनांक 09 मई, 2012 तक कुल 1858 प्रकरण लम्बित हैं।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन बनाये गये परिषद् विनियमों में कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की मांग

6-श्री सुरेश राणा-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन किन-किन आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है ? क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के अन्तर्गत कुल 382 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इसमें से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 24 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्मित कराये गये हैं, 05 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माणाधीन हैं, शेष केन्द्र प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों, सार्वजनिक भवनों/किराये के भवनों में संचालित है।

योजना के अन्तर्गत विभागीय बजट की उपलब्धता के अनुसार भवन निर्माण की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

7-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में नगर शिक्षा अधिकारी का पद पिछले पांच साल से रिक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या : 533/15-2-2011-27 (80)/2010 दिनांक 14 जुलाई, 2011 द्वारा यह कार्य अब खण्ड शिक्षा अधिकारियों को आवंटित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज डुमरियागंज की शिक्षिका श्रीमती सुमित्रा देवी की फर्जी जाति प्रमाण-पत्र की जांच पर कार्यवाही की मांग

8-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज डुमरियागंज में कार्यरत शिक्षिका श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री अलगू गौड़ पिछड़ी जाति (कहार) द्वारा तथ्यों को छिपाकर अनुसूचित जाति के फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी किये जाने के शिकायत के आधार पर शिक्षा निदेशक (मा0 शिक्षा) उ0 प्र0, इलाहाबाद नियुक्ति अनुभाग, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक संख्या-(2)/3307/2008-09, दिनांक 23-12-2008 को संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती मण्डल, बस्ती द्वारा जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच आख्या एवं साक्ष्य के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जांच आख्या अस्पष्ट एवं अंसतोषजनक होने के कारण पुनः जांच कराने के आदेश दिये गये हैं। तद्नुसार पुनः जांच प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की संख्या एवं सस्ती शिक्षा दिलाये जाने की सरकार की योजना

9-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं और मानक के अनुरूप कितने विद्यालयों की कमी है ? क्या सरकार मानक के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा दिलाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में प्रदेश में 1135 राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय हाईस्कूल संचालित है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार 5 कि0 मी0 की दूरी पर नवीन हाईस्कूल की स्थापना किये जाने के मानक के अनुसार प्रदेश में लगभग 3400 विद्यालयों की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप में असेवित क्षेत्रों में राजकीय विद्यालय स्थापित कराये जाने की योजना है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत असेवित क्षेत्रों में नवीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना तथा पूर्व में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराकर छात्र छात्राओं के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था किए जाने की योजना है।

जनपद बहराइच नगर क्षेत्र के अधीन कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन की सहायक अध्यापिका श्रीमती नूर फात्मा के सेवानिवृत्त समस्त देयों का भुगतान कराये जाने की मांग

10-श्री उदय राज-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 एस0 ए0 जनपद बहराइच नगर क्षेत्र के अधीन कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन से मई/जून, 2011 में कितने अध्यापक/अध्यापिकायें सेवानिवृत्त हुए है ? क्या उनके पेंशन, ग्रेच्युटी आदि समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मात्र एक सहायक अध्यापिका, श्रीमती नूर फात्मा, सेवा निवृत्त हुई है।

जी हां।

पेंशन का भुगतान किया जा चुका है, ग्रेच्युटी देय नहीं है और पेंशन राशिकरण का विकल्प सम्बन्धित अध्यापिका द्वारा नहीं चुना गया।

जी0 पी0 एफ0 का भुगतान चेक संख्या ए0एम0 894021 दिनांक 12-8-2011 द्वारा रु0 6,35,797/- तथा माह मार्च, 2012 पेंशन का भुगतान चेक संख्या 436664 दिनांक 30 अप्रैल, 2012 तथा माह अप्रैल, 2012 की पेंशन का भुगतान चेक संख्या 436743 दिनांक 4-5-2012 तथा अवशेष पेंशन माह जुलाई, 2011 से माह फरवरी, 2012 तक का भुगतान चेक संख्या 0436888 दिनांक 30-5-2012 द्वारा रु0 1,31,712/- कर दिया गया है। चूंकि श्रीमती नूर फात्मा 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त हुयी हैं। अतः इन्हें ग्रेच्युटी देय नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद तथा उन्हें भरे जाने की मांग

11-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के दिनांक 11-5-2012 तक कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि रिक्तियों के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा कितने शिक्षकों की नियुक्तियां की गयी हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों (पुरुष शाखा) में प्रवक्ता के कुल 135 पद, स्नातक वेतनक्रम (पुरुष शाखा) के 1694 पद तथा (महिला शाखा) में प्रवक्ता के 379 पद एवं स्नातक वेतन क्रम के 2073 पद रिक्त है।

प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के 475 तथा प्रशिक्षित स्नातक के 1900 पद रिक्त है।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन संख्या 2/2011 दिनांक 17-1-2012 द्वारा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के स्नातक वेतनक्रम के 1479 पदों का तथा विज्ञापन संख्या 3/2011 दिनांक 17-1-2012 द्वारा प्रवक्ता के 393 पदों का विज्ञापन किया जा चुका है। शेष प्रवक्ता के 82 तथा प्रशिक्षित स्नातक के 421 रिक्त पदों को चयन बोर्ड द्वारा आगामी विज्ञापन में शामिल किया जायेगा। चयन की कार्यवाही गतिमान है।

शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त प्रवक्ता के पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर पदों को भरा जायेगा। राजकीय विद्यालयों में स्नातक वेतनक्रम के (पुरुष/महिला) नियुक्ति प्राधिकारी मण्डलीय संयुकत शिक्षा निदेशक है। पुरुष शाखा के रिक्त पदों का प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण बाधित है। महिला शाखा के प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम के पदों को भरने की कार्यवाही संयुक्त शिक्षा निदेशक के स्तर पर गतिमान है।

प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के बाद अन्तिम चयन परिणाम तैयार करने में कम से कम एक वर्ष का समय लगता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक चयन बोर्ड के अधिनियम की धारा 18 को पुनर्स्थापित किये जाने की मांग

12-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अधिनियम की धारा 18 में प्राविधानित कालेजों में अशासकीय प्रबन्ध तंत्र द्वारा शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार किन कारणों से स्थगित कर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त धारा 18 को पुनर्स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रबन्धतंत्र द्वारा शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार से चयन बोर्ड के चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाते जिससे उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 05 सन् 1982 के द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन का उद्देश्य विपरीत दिशा में प्रभावित होता है।

उपरोक्त कारणों से धारा 18 को पुनर्स्थापित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 05 सन् 1982 के द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया है। कालान्तर में यह अनुभव किया गया है कि तदर्थ नियुक्ति के कारण चयन बोर्ड के चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाते इसलिए धारा 18 को पुनर्स्थापित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारियों को ए0 सी0 पी0 एवं ग्रेड वेतन के लाभ के सम्बन्ध में जानकारी

13-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक समीक्षा अधिकारी को वित्त वेतन आयोग-2 के शासनादेश दिनांक 27-11-2009 के द्वारा नवम्बर, 2009 से ग्रेड पे रु0 2800 के स्थान

पर रु0 4200 स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि ऐसे सहायक समीक्षा अधिकारी जिन्हें नवम्बर, 2009 से पूर्व ए0 सी0 पी0 अनुमन्य है, उन्हें प्रथम ए0 सी0 पी0 में ग्रेड पे रु0 4200 ही दिया गया है, जबकि नवम्बर, 2009 के बाद प्रथम ए0 सी0 पी0 पाने वाले सहायक समीक्षा अधिकारियों को ग्रेड पे रु0 4600 दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दिनांक 1-1-2006 से नवम्बर, 2009 के मध्य ए0 सी0 पी0 पाने वाले सहायक समीक्षा अधिकारियों को भी ग्रेड पे रु0 4600 देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 नवम्बर, 2009 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर रु0 2800/- के स्थान पर रु0 4200/- अनुमन्य कराये जाने सम्बन्धी निर्णय सचिवालय प्रशासन विभाग को संसूचित किया गया। उक्त निर्णय के क्रम में आदेश दिनांक 27 नवम्बर, 2009 के माध्यम से सम्बन्धित व्यवस्था सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा की गयी।

जी हां।

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये ए0 सी0 पी0 की व्यवस्था दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी की गयी है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसे सहायक समीक्षा अधिकारी, जिन्हें दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से 26 नवम्बर, 2009 के मध्य ए0 सी0 पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ के रूप में ग्रेड वेतन रु0 4200 अनुमन्य कराया गया है, उन्हें शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2009 के माध्यम से की गयी व्यवस्था के अनुसार सहायक समीक्षा अधिकारी पद के ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की तिथि (दिनांक 27 नवम्बर, 2009) से ग्रेड वेतन रु0 4200/- के स्थान पर ग्रेड वेतन रु0 4600 अनुमन्य हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का प्राविधान

14-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु नीति निर्धारण की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2011 में स्थानान्तरण के संबंध में नियम 21 में प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव के ग्रेड पे के सम्बन्ध में जानकारी

15-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त वेतन आयोग-2 ने अपने शासनादेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव को दिनांक 1-1-2006 से प्रकल्पित आधार पर ग्रेड पे रु0 4200 के स्थान पर रु0 4600 अनुमन्य किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सहायक समीक्षा अधिकारियों को भी दिनांक 1-1-2006 से प्रकल्पित आधार पर ग्रेड पे रु0 4200 अनुमन्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2010 द्वारा राजकीय कर्मचारियों को पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रु0 6500-10500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 (9300-34800) एवं ग्रेड वेतन रु0 4200 के स्थान पर वेतन बैण्ड-2 (9300-34800) एवं ग्रेड वेतन रु0 4600 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से स्वीकृत किये जाने की सामान्य व्यवस्था की गयी है। उक्त व्यवस्था के क्रम में सचिवालय के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, जो पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रु0 6500-10500 में थे, को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से ग्रेड वेतन रु0 4200 के स्थान पर ग्रेड वेतन रु0 4600 अनुमन्य हो गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर उ0प्र0 सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसके समकक्ष पद केन्द्र सरकार में उपलब्ध नहीं हैं, के पदों पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन का लाभ केन्द्रीय समकक्षता के सिद्धान्त से हटकर पदों की प्रास्थिति के आधार पर अनुमन्य कराया गया है।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत ग्रेड की अनुमन्यता केन्द्र सरकार के समकक्ष पदों से समकक्षता के आधार पर न होने की स्थिति में, उच्चीकृत ग्रेड वेतन शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से ही स्वीकृत किये जाने का सामान्य सिद्धान्त अपनाया गया है।

प्रदेश में खनन उद्योग के टेण्डर शीघ्र डलवाने की मांग

16-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खनन उद्योग पर पाबन्दी लगा दी गई है ? यदि हां, तो क्या खनन ठेकों का दुबारा टेण्डर न होने से खनन व्यवसायियों का रोजगार बन्दी के कगार पर पहुंच गया है तथा राज्य को भी भारी राजस्व क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पाबन्दी हटाते हुए इन खनन ठेकों का टेण्डर शीघ्र डलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी समय-समय पर उपलब्ध एवं उपयुक्त क्षेत्रों का विनिश्चय कर उनकी उपलब्धता घोषित कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करते हैं।

आवश्यकता नहीं।

प्रदेश में गरीबी उन्मूलन हेतु कारगर योजना बनाये जाने की मांग

17-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की गणना अभी भी गरीब राज्यों में ही की जाती है ? यदि हां तो वह क्या सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु कोई कारगर योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राज्यों को गरीब राज्य की श्रेणी में विभक्त करने का कोई सर्वमान्य मापदण्ड नहीं है।

प्रदेश के चहुमुखी विकास तथा गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये सरकार कटिबद्ध है। गरीबी उन्मूलन को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ की गभाना तहसील में कोषागार स्थापित करने की मांग

18-ठाकुर दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की गभाना तहसील में कोषागार स्थापित न होने से जनता को भारी परेशानी होती है तथा इस कार्य के लिये जिला मुख्यालय तक आना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार गभाना तहसील में कोषागार स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अलीगढ़ जनपद की गभाना तहसील में शासनादेश दिनांक 30-03-1998 द्वारा उप कोषागार, गभाना की स्थापना की जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासकीय लेन-देन की अनुमति प्राप्त न होने के कारण उप कोषागार गभाना का कार्य संचालित नहीं हो पा रहा है। उक्त उप कोषागार के शासकीय लेन-देन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर से अनुरोध किया गया है।

प्रदेश के किसानों के कर्जो की माफी का विचाराधीन प्रकरण

19-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के किसानों के कर्जो को माफ करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में किसानों द्वारा निजी खेत में मिट्टी खनन के दायर वादों को वापस लेने की मांग

20-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों द्वारा अपने घरेलू उपयोगार्थ अपने निजी खेत से मिट्टी खोदने पर खनन एक्ट का उल्लंघन माना जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि इस प्रकार के मुकदमें जनपद बुलन्दशहर में कितने किसानों पर विगत 05 वर्षों में दायर हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मुकदमों को वापस लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 जून, 2012 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें 15 सूचनायें स्वीकार की गयी।

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम तिउलक, वसिलिया, सल्विया, जमलापुर तक जलभराव के कारण टिकरा से तिउलक तक नाला खुदाये जाने के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की जनपद वाराणसी के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र में नगर निगम के पाइपों से विनायका वार्ड में काला पानी, तुलसीपुर एवं रानीपुर में पीला एवं दुर्गन्धपूर्ण पानी एवं शिवाला एवं बंगालीटोला के मोहल्लों में पाइप में पानी न आने के संबंध में। तीसरी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना शीघ्र किये जाने के संबंध में। चौथी सूचना श्री जाकिर अली की गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में कन्या इण्टर कालेज एवं डिग्री कालेज स्थापित कराये जाने के संबंध में। पांचवीं सूचना श्री जगराम पासवान की जनपद बलराम के अन्तर्गत ग्रामसभा बिजलीपुर में राप्ती नदी के कटान को रोकने हेतु तथा शमशान घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में। छठवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की अनुपस्थित हैं। सातवीं सूचना श्रीमती नन्दिता शुक्ला की विधान सभा क्षेत्र महनोन, जनपद गोण्डा के ब्लाक इटियाथोक में सरयू नहर खण्ड 4 के गनवरिया माइनर द्वारा गोण्डा बैराज माइनर से पानी छोड़े जाने के संबंध में। आठवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव बरियाही सम्पर्क से कटियारा सलारपुर तथा मगरूआ पण्डित पुरवा सम्पर्क मार्ग पेटेन्ट रोड बनाये जाने के संबंध में। नौवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की अनुपस्थित हैं। दसवीं सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया की जनपद महोबा में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये एवं पशुओं को भी पीने का पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा दोषी जल संस्थान एवं जल निगम के अधिकारियों को दण्डित किये जाने के संबंध में। ग्यारहवीं सूचना श्री अभय नारायण सिंह की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में बाढ़ के समय नाविकों के पारिश्रमिक तथा बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा का भुगतान समय से न किये जाने के संबंध में।

श्री अभय नारायण सिंह-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(श्री अभय नारायण सिंह ने अपनी सूचना पढ़ी)

बारहवीं सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा के अन्तर्गत एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र जमुनापार की सैकड़ों मलिन बस्तियों एवं कालोनियों में सीवरेज की समस्या के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरावं के ग्राम वंशीपुर तथा महुलीबाजार के मध्य पसियान बस्ती के बगल के नाले पर रपटा पुल तथा ऐप्रोच रोड बनाये जाने के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद प्रबुद्धनगर के तहसील कैराना में मुरली मनोहर इण्टर कालेज नामक संस्था में विषयों की मानता हेतु रुपये की मांग की जाने के संबंध में है। पंन्द्रहवी सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव की जनपद बहराइच के पयागपुर विकास खण्ड में पुनर्वास विभाग द्वारा विस्थापित बंगाली शरणार्थी परिवारों को 300 एकड़ भूमि प्रदान किये जाने के संबंध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी श्री अजय कुमार लल्लू, श्री दलजीत सिंह, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री मनीष असीजा, श्री उमाशंकर, श्री सुभाष पासी, श्री उमेश पाण्डेय, डा0 धर्मपाल सिंह सैनी, श्री राजेश त्रिपाठी, ठा0 दलवीर सिंह, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री रमेश चन्द्र।

डा0 धर्मपाल सिंह सैनी-

मान्यवर, नियम 301 में जो दो अनुपस्थित हैं उसकी जगह मेरी सूचना ले लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जो दो अनुपस्थित हैं एक श्री तस्लीम अहमद जी। अच्छा उनका भी ले लीजिए और श्री राधेश्याम जायसवाल नहीं हैं तो आपकी सूचना ले लीजिए।

श्री राधेश्याम जायसवाल-

मान्यवर, मैं उपस्थित हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप तो अभी आये हैं न।

श्री राधेश्याम जायसवाल-

मान्यवर, मैं तो देर से बैठा हूं। मैं पानी पीने चला गया था।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, अब हम ही को झूठा साबित कर रहे हैं। तब से बोल रहा हूं, जायसवाल साहब, जायसवाल साहब।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनकी सूचना भी ले लीजिए, चलिए, 15 सूचना की जगह 16 सूचनायें हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, आपकी सूचना ले ली जाएगी लेकिन उपस्थित रहा जाता है। और यह कहना कि मैं बहुत देर से बैठा हूं। मैं बुलाकर चारों तरफ देखता हूं आप खड़े नहीं हुए। आप नहीं थे तो स्वीकार करना चाहिए कि मैं पानी पीने चला गया था। यह स्कूल थोड़े ही है। ठीक है, जायसवाल जी की सूचना ले लीजिए और एक उनकी है।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुयी मानी जाती हैं।)

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम तिउलक, वसिलिया, सल्विया, जमलापुर तक जलभराव के कारण टिकरा से तिउलक तक नाला खुदाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम तिउलक, वसिलिया, सल्विया, जमलापुर टिकरा आदि ग्रामों में खेतों में पानी भरा है। सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न है। छोटे काश्तकार जिनके के पास 2-4-10-12 बीघा जमीन है उनके सामने भुखमरी का संकट है। एक दाना खेतों में पानी भरने के कारण पैदा नहीं होता है। जनहित में इन खेतों से पानी निकलना आवश्यक है। इसके लिए ग्राम टिकरा से तिउलक तक एक कच्ची नाली खुद जावे तो सैकड़ों बीघा जमीन पर पैदावार होने लगेगी।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम टिकरा से तिउलक तक नाला खुदवाने की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र में नगर निगम के पाइपों से विनायका वार्ड में काला पानी, तुलसीपुर एवं रानीपुर में पीला एवं दुर्गन्धपूर्ण पानी एवं शिवाला एवं बंगालीटोला के मोहल्लों में पाइप में पानी न आने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[महोदय, कहते हैं जल ही जीवन है लेकिन आज शहरी इलाकों में जल ही जान लेवा साबित हो रहा है। वाराणसी के कैन्ट विधान सभा के हर वार्ड में गंदा, दूषित, संक्रमण युक्त पेयजल की आपूर्ति हो रही है। नगर निगम के पाइपों से विनायका वार्ड में काला पानी, तुलसीपुर एवं रानीपुर में पीला एवं दुर्गन्धयुक्त पानी तो शिवाला एवं बंगालीटोला के मोहल्लों में पाइप में पानी ही नदारद है। वे कहीं का भी पानी पीने को स्वतंत्र है। सरकार का जल कर तो बढ़ता जा रहा है लेकिन न तो नल में पानी है न हैण्डपम्प में ? कुएं सूखे पड़े हैं या गंदगी से भरे हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस समय लोग असहनीय जल संकट भोग रहे हैं। इस अति महत्वपूर्ण विषय पर शासन अविलम्ब ध्यान दे, हैण्डपम्पों की मरम्मत, कुओं की सफाई के साथ जल संस्थान द्वार शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करे।]

जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[महोदय, जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज में अग्निकाण्ड की 27 घटनाऐं हो चुकी है। अग्नि शमन केन्द्र जिला केन्द्र पर स्थापित है। जिला केन्द्र से कैसरगंज तहसील की बाराबंकी जनपद व गोण्डा से मिला क्षेत्र 70 किमी0 की दूरी पर स्थित है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल को पहुंचने में लगभग दो घन्टे का समय लगता है तब तक पूरा गांव जलकर नष्ट हो जाता है। अग्नि काण्ड में राहत के लिए कैसरगंज तहसील पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु काफी समय से मांग की जा रही है परन्तु अभी तक अग्निशमन केन्द्र न खोले जाने से क्षेत्र की जनता में असन्तोष है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कैसरगंज तहसील पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में कन्या इण्टर कालेज एवं डिग्री कालेज स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जाकिर अली-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र लोनी जनपद गाजियाबाद औद्योगिक नगरी में आता है जहां की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वर्तमान में लगभग 12 लाख की आबादी है यहां से लगभग 20 कि0मी0 की दूरी पर इण्टर कालेज है जो काफी दूरी पर है। यहां पर अभी तक कोई भी सरकारी कन्या इण्टर कालेज नहीं है, जिससे यहां के मध्यमवर्गीय निवासियों की लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।

मैं सदन के माध्यम से जनहित में लोनी क्षेत्र में कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की मांग करता हूं और सरकार से वक्तव्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर सदर के अन्तर्गत ग्रामसभा बिजलीपुर में राप्ती नदी के कटान को रोकने हेतु तथा शमशान घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगराम पासवान-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि कृपया मेरे विधान सभा क्षेत्र 294, बलरामपुर सदर के अन्तर्गत राप्ती नदी के तट पर ग्राम सभा बिजलीपुर में शमशान घाट स्थित है। उक्त घाट पर जनपद के सभी शहर व ग्रामवासियों के शवों का अन्तिम संस्कार किया जाता है। नदी का बड़े पैमाने पर कटान जारी है। उक्त कटान की रोकथाम शीघ्र न की गयी तो शमशान घाट नष्ट हो जायेगा। जिससे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शहर व ग्रामवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तट पर जीना निर्माण होने से नदी की कटान को रोका जा सकता है। साथ ही शमशान घाट पर शवदाह करने वाले लोगों को काफी सुविधा उपलब्ध होगी।

अतः महोदय जी सादर अनुरोध है कि कृपया जनहित में ग्रामसभा बिजलीपुर जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के तट के कटान को रोकने हेतु शमशान घाट का सौन्दर्यीकरण/जीना आदि का निर्माण कराने के आदेश देने की कृपा करें।]

जनपद सीतापुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद सीतापुर के शहर पुराना सीतापुर क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, काफी पिछड़ा क्षेत्र है। शहर में उच्च शिक्षा हेतु मात्र एक महाविद्यालय होने से अधिकांश छात्राओं को काफी दूर जाकर जनपद से बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है इसलिए पुराने शहर में एक राजकीय कन्या विद्यालय खोला जाना आवश्यक है। जिला योजना वर्ष 2011-12 में कन्या डिग्री कालेज भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को आया है परन्तु अभी तक स्वीकृत न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। यह गम्भीर लोक महत्व का विषय है। छात्राओं से जुड़ा हुआ है तत्काल धन आवंटित किये जाने की आवश्यकता है। और पुराने शहरवासियों की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु एक राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण तत्काल जनहित में होना चाहिये जिससे कन्याओं को शिक्षा लेने में कोई असुविधा न हो सके।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु जिला योजना 2011-12 के प्रस्ताव के अनुसार धन आवंटित किये जाने एवं भवन निर्माण व अन्य कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र महनोन, जनपद गोण्डा के ब्लाक इटिया थोक में सरयू नहर खण्ड-4 के गनवरिया माइनर द्वारा गोण्डा बैराज माइनर से पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती नन्दिता शुक्ला-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहती हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र महनोन के ब्लाक इटिया थोक में सरयू नहर खण्ड-4 के गनवरिया माइनर जो पारा सराय ग्राम में मियापट्टी व टेमई पुरवा से होकर जाता है तथा गोण्डा बैराज गनवरिया माइनर व धानेपुर राजबहा माइनर से पानी एक साथ छोड़ दिया गया। माइनर की सफाई भी कभी नहीं होती है। पटरी नीचे बनी होने से टेमईपुरवा ग्राम सभा में पानी भर गया है। इस तरह बराबर परेशानी किसानों को बनी रहती है। दिनांक 29.5.2012 को पानी छोड़ दिया गया था जिससे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूरा गांव जलमग्न हो गया था। पशुओं का चारा, भूसा आदि बर्बाद हो गया। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा लिखित रूप से अनुरोध करने के बावजूद भी सिंचाई विभाग के अभियंताओं द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यह गम्भीर एवं जनहित का विषय है तथा किसानों से जुड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्या का समाधान किये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हर गांव बरियाही सम्पर्क से कटियारा सलारपुर तथा मंगरुआ पण्डित पुरवा सम्पर्क मार्ग पेटेन्ट रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[कृपया अवगत करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र हरगांव (सीतापुर) के विकास खण्ड हरगांव के अर्न्तगत ग्राम बरियाडीह सम्पर्क मार्ग से सलारपुर कटियारा एवं मंगरुवा से पंडित पुरवा (लक्षिमन पुर) का रास्ता कच्चा तथा ऊबड़ खाबड़ है। जिससे क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है आने-जाने का रास्ता ठीक न होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण जनता को काफी परेशानी होती है जबकि ग्रामीण अंचल के मुख्य मार्ग हैं। वर्षा के महीनों में कच्चा मार्ग होने के कारण काफी परेशानी होती है, कस्बा हरगांव आने के लिए तथा अवध शुगर मिल्स हरगांव आने जाने के लिए इस मार्ग के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। गन्ना किसानों को अपना गन्ना लाते समय काफी दुर्घटनायें भी हो जाती हैं तथा जन व धन की हानि होती है।

अतएव मैं निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के अन्तर्गत विकास खण्ड हरगांव में बरियाडीह सम्पर्क से कटियारा सलारपुर तथा मंगरूवा पंडित पुरवा (लक्षिमन पुर) का सम्पर्क मार्ग (पेटेड) रोड बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद महोबा में जनता को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने एवं पशुओं को भी पीने का पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा दोषी जल संस्थान एवं जल निगम के अधिकारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

[कृपया अवगत करना चाहूंगा कि जनपद महोबा में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न हो गया है मेरी विधान सभा क्षेत्र महोबा के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में जल स्तर नीचे जाने के कारण हैण्डपम्पों ने पानी देना बन्द कर दिया है तथा जिन बांधों एवं तालाबों से शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र की जलापूर्ति की जाती है उनमें पानी कम होने के कारण तथा जल निगम द्वारा बनायी गयी पानी की टंकियों एवं बिछाई गयी घटिया स्तर की पाइप लाइनों के फट जाने एवम् लिकेज टंकियों में रिसाव के कारण नलों में खास तौर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी आना बन्द हो गया है। प्रशासन द्वारा कुछ टैंकर जलापूर्ति हेतु उपलब्ध कराये गयें है। जो अपर्याप्त है। जिससे क्षेत्र की जनता में भारी जनाक्रोश है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि क्षेत्रीय जनता को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने एवं पशुओं को भी पीने का पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा जल संस्थान एवं जल निगम के द्वारा घटिया निर्माण एवं उदासीनता, लापरवाही से सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में बाढ़ के समय नाविकों के पारिश्रमिक तथा बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा का भुगतान समय से न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभय नारायण सिंह-

महोदय, मैं निम्नलिखित लोक महत्व की सूचना आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

मैं आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधान सभा क्षेत्र से इस माननीय सदन का सदस्य हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र घाघरा नदी के किनारे स्थित है और कई गांव तो घाघरा नदी के किनारे (बन्धे के अन्दर) स्थित है, इसलिए तमाम गांव बरसात में जलमग्न हो जाते हैं। बाढ़ आने पर मेरे क्षेत्र में उक्त गांवों में आने जाने व लोगों को बाढ़ से बचाने का एक मात्र साधन नाव ही रह जाता है। बाढ़ लगभग एक से डेढ़ महीने तक रहती है और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जनता को बाढ़ से बचाने के लिए स्थानीय नाविकों को लगा दिया जाता है परन्तु उन्हें पारिश्रमिक मात्र 8-10 दिन का ही दिया जाता है उसका भी लगभग 8-10 माह बाद भुगतान किया जाता है। यहां पर इस बिन्दु का भी उल्लेख किया जाना मैं आवश्यक समझता हूं कि बाढ़ पीड़ितों की जो फसल बरबाद हो जाती है उसका मुआवजा उन्हें नहीं दिया जाता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस लोक महत्व के विषय को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय नाविकों को पूरा पारिश्रमिक तथा स्थानीय निवासियों की प्रतिवर्ष बाढ़ से बरबाद होने वाली फसल का मुआवजा समय से भुगतान किये जाने की व्यवस्था की जाय।

जनपद आगरा के अन्तर्गत एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के शहरी क्षेत्र जमुनापार की सैकड़ों मलिन बस्तियों एवं कालोनियों में सीवरेज की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्मपाल सिंह-

[महोदय, उपरोक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र टेड़ी बगिया, नरायच, नगला किशनलाल, इस्लामनगर, सुशील नगर, हनुमान नगर, नुनिहाई, नगला बालचन्द, मोतीमहल, फाउण्ड्री नगर आदि क्षेत्रों की सैंकड़ों कालोनियों एवं मलिन बस्तियों में सीवरेज व्यवस्था न होने के कारण भयंकर समस्या बनी हुई है। निवासरत जनता को जल भराव एवं गंदगी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आगरा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर की सीवरेज व्यवस्था हेतु वर्ष 2040 की आवश्यकता के अनुरूप यमुना कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसमें के केन्द्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रस्तावित योजना जोकि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एनआरसीडी विभाग से 70 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 30 प्रतिशत राज्य सरकार के अनुपात में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है को यदि स्वीकृत करा लिया जाता है तो इन क्षेत्रों की सीवरेज व्यवस्था ठीक हो सकती है। सरकार के इस कदम से सीवरेज जोन-1 ट्रांस यमुना सीवरेज जोन के अन्तर्गत टेड़ी बगिया, नरायच, नगला किशनलाल, इस्लामनगर, सुशील नगर, हनुमान नगर, नुनिहाई, नगला बालचन्द, मोतीमहल, फाउण्ड्री नगर आदि क्षेत्रों की सैंकड़ों कालोनियों एवं मलिन बस्तियों में निवासरत गरीब मजदूर जनता की हालत सुधर जायेगी।

लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के ग्राम वंशीपुर तथा महुली बाजार के मध्य पसियान बस्ती के बगल नाले पर रपटा पुल तथा एप्रोच रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल-

[महोदय, अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कोरांव के विकास खण्ड कोरांव अन्तर्गत ग्राम वंशीपुर तथा महुली बाजार के बीच पसियान बस्ती के बगल एक चौड़ा नाला है जिससे लोगों को महुली बाजार आने जाने में काफी परेशानी होती है इसके अलावा वर्षा होने तथा बाढ़ के समय नाले में पानी काफी बढ़ जाता है जिससे ग्रामीणों को नाल-पार करने में काफी असुविधा होती है। दुर्घटना की संभावना के कारण लगभग 10 किमी0 का चक्कर लगाकर आना जाना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी असुविधा होती है।

अतः जनहित में ग्राम वंशीपुर तथा महुली बाजार के मध्य पसियान बस्ती के बगल नाले पर काजवे (रपटा पुल) तथा एप्रोच रोड बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रबुद्धनगर के तहसील कैराना में मुरली मनोहर इण्टर कालेज नामक संस्था में विषयों की मान्यता हेतु रुपये की मांग की जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हुकुम सिंह-

[महोदय, जनपद प्रबुद्धनगर (शामली), तहसील कैराना यमुना नदी का खादर क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा माध्यमिक (सेकेण्डरी) एवं उच्च माध्यमिक (हायर सेकेण्डरी) शिक्षा संस्थान की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों द्वारा अपने साधनों से मुरली मनोहर इण्टर कालेज नामक संस्था की स्थापना की गई। जिसकों सरकार द्वारा विभिन्न विषयों में मान्यता प्राप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विगत दो वर्षो से संस्था कृषि एवं विज्ञान विषयों की मान्यता के लिए प्रयासरत है। दो वर्षों से आवेदन दिया हुआ है। उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण भी कर दिया गया है। दुर्भाग्य से पूर्व में मान्यता के लिए प्रति विषय ढाई लाख रु0 की मांग की गई संस्था द्वारा संभव नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप मान्यता भी नहीं दी गई। हजारों बच्चों को भविष्य प्रभावित हो रहा है।

मैं माननीय सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त संस्था में विज्ञान एवं कृषि विषयों की मान्यता प्रदान की जाय।]

जनपद बहराइच के पयागपुर विकास खण्ड में पुनर्वास विभाग द्वारा विस्थापित बंगाली शरणार्थी परिवारों को 300 एकड़ भूमि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[महोदय, मैं आपका ध्यान निम्न विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद बहराइच के पयागपुर विकास खण्ड में स्थित विस्थापित परिवारों को वन विभाग की भूमि पुनर्वास विभाग द्वारा वर्ष 1964 में दिया गया है के बदले में पुनर्वास विभाग ने जंगल विभाग को 688 एकड़ भूमि नैनिया खड़िया नानपारा जनपद बहराइच को दिया था। यह भूमि पुनर्वास केन्द्र पयागपुर में शरणार्थी परिवारों को अतिरिक्त राहत पहुंचाने के लिए प्रदान किया पुर्नवास विभाग तथा वन विभाग के शर्तनामा शासनादेश सं0 8437/14ए- दिनांक 5.2.1962 के अनुसार पुनर्वास विभाग ने वन विभाग से विकास खण्ड में 300 एकड़ वन भूमि व 40 हजार रुपये के एवज में नैनिया खड़िया तहसील की उक्त 688 एकड़ भूमि के बदले में लिया था, किन्तु वन विभाग ने का हस्तानान्तरण व 40 हजार रुपया लेना नहीं दर्शाया है। वर्ष 2002-03 में उक्त 40 हजार रुपये के एवज में शासन ने अपने पत्र सं0 42 वर्ष 2002 द्वारा 40 हजार रुपये के बदले में 5.75 लाख रुपया वन विभाग, उ0प्र0 शासन ने अदा किया है। किन्तु अभी तक उक्त भूमि का सीमांकन आदि के बारे में कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी है।

शासन ने अपने पत्र सं0 1629/16-2002-65 (1)/2000 दिनांकित 2002 द्वारा विस्थापितों को सैद्धान्तिक रूप से पट्टा देना स्वीकार करते हुये किया, जिसमें उक्त भूमि के स्वामित्व एवं डिमारकेशन आदि के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करना था, परन्तु अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी।

वन विभाग की विस्थापितों के उक्त भूमि पर स्थानीय कुछ दबंग एवं मुकदमें बाज लोग राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ करके इस भूमि को बंजर भूमि आदि दर्शाकर फर्जी पट्टा बनवा लिया है, जिससे आए दिन विस्थापितों व पट्टा धारकों के बीच कब्जा व पैमाइश को लेकर मार पीट आदि की घटनाएं हो रही हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि या तो वन विभाग तथा पुनर्वास विभाग द्वारा आपसी शर्तनामा के अनुरूप पयागपुर व विभाग की भूमि पुनर्वास विभाग को दे दिया जाए अथवा पुनर्वास विभाग की नैनिया खड़िया तहसील नानपारा जनपद बहराइच स्थित 688 एकड़ पुर्नवास विभाग को वापस करके उक्त भूमि पर विस्थापितों का कब्जा दे दिया जाए, ताकि इस समस्या का शीघ्र हल निकल सके।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र उपरोक्त समस्या का समाधान कराया जाए।

अतः मैं उक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के कस्बा सरसावां में डिग्री कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्मपाल सिंह सैनी-

[कृ0 संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला सहारनपुर के मेरे निर्वाचन क्षेत्र नकुड के कस्बा सरसावां के अन्तर्गत नगर पालिका, चार बैंक, शुगर मिल, रेलवे स्टेशन, सी0 एच0 सी0, थाना, विकास खण्ड कार्यालय, हाईस्कूल एवं तीन इण्टरमीडिएट कालेज स्थित हैं, लेकिन एक भी डिग्री कालेज नहीं है। स्थानीय छात्र-छात्राओं शिक्षा हेतु अत्यधिक कठिनाई का समाना करना पड़ता है। स्थानीय एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा छात्र-छात्राओं को शिक्षा हेतु काफी दूर जाना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता द्वारा छात्र-छात्राओं की शिक्षा हेतु डिग्री कालेज खोले जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कस्बा सरसावां में डिग्री कालेज का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 जून, 2012 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 सूचनायें प्राप्त हुयी- पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नगर निकाय चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया को दोषपूर्ण मानते हुए निकाय चुनाव हेतु जारी अधिसूचना, दिनांक 23 मई, 2012 को निरस्त कर पुनः आरक्षण निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में है, सुनी जायेगी। दूसी सूचना श्री उमाशंकर की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत ग्राम सभा सराय भारती एवं हजौली में ओवरहेड टैंक बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, यह नियम 300 में नहीं आती है, नहीं सुनी जायेगी। तीसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की समस्त उत्तर प्रदेश में खाद्य सुविधाओं की सुनिश्चित करने हेतु गरीबी रेखा से उपर, गरीबी रेखा से नीचे, अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा आदि श्रेणी की पृथक-पृथक सूचियों में अनियमितता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह भी नियम 300 में नहीं आती है, नही सुनी जायेगी। चौथी सूचना श्री हुकुम सिंह जी की प्रदेश के इंजीनियरिंग मेडिकल कालेजों में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की फीस की प्रतिपूर्ति का प्राविधान बजट में न होने के सम्बन्ध में हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नगर निकाय चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया को दोषपूर्ण मानते हुए निकाय चुनाव हेतु जारी अधिसूचना को निरस्त कर पुनः आरक्षण निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस प्रश्न को उठा रहा हूं, यह इस प्रदेश को संवैधानिक संकट से बचाने के लिए उत्पन्न स्थिति पर मैं सदन का ध्यान चाहता हूं और मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जो नगर निकायों के चुनाव स्थगित किये जा रहे थे, जो मूल भावना थी कि समय से हो उसको सरकार ने कराने का निर्णय लिया है। मान्यवर, उसी स्थल पर चुनाव भी शुरू हो गया जो राजनैतिक दल खासतौर से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो अपने सिम्बल पर चुनाव लड़ रहें, हम लोग आगे भी बढ़ गये। इसी बीच एक न्यायालय का निर्णय पहली जून को आया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का और यह जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है यह दो विद्वान न्यायाधीश ऑनरेबुल जस्टिस आर0 के0 अग्रवाल, ऑनरेबुल जस्टिस अहमद साहब का है, डिवीजन बेंच का , इस पर मैं बल दे रहा हूं। मान्यवर, इस जजमेन्ट को मैंने कई बार पढ़ लिया है, देख लिया है, मान्यवर, महज सिर्फ शासन का ध्यान लाने के पीछे मेरी मंशा किसी की आलोचना नहीं है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अगर यह नजर अंदाज हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं जितना चुनाव आप करा रहे हैं यह सारा चुनाव अवैध होगा। यह पूरी तरह निरस्त करने योग्य होगा, इसलिए इस पर गम्भीरता से वैधानिक राय लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। मान्यवर, चूंकि सदन के कामकाज की भाषा हिन्दी है, परन्तु उच्च न्यायालय ने यह निर्णय अंग्रेजी में दिया है तो मैं आपकी अनुमति से दो तीन लाइनें अंग्रेजी में पढ़ देता हूं और उसका हिन्दी में तर्जुमा भी कर दूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपको हिन्दी में तर्जुमा करना पड़ेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस निर्णय के पृष्ठ 27 के प्वाइण्ट निर्णय-7 की तीसरी लाईन बिफोर टेकिंग अप दिस पांइन्ट, बी में मेन्शन हियर दैट इवेन दो वी हैव हेल्ड दैट द रिट पिटीशन इज वॉट मेन्टेवेनएबिल एण्ड द प्रापर रेटिडी इज फार द फिलिंग आफ एन इलेक्शन पिटीशन उनका कहने का आशय यह है यद्यपि कि हमने यह निर्णय लिया है यदि पेंशनेबुल नहीं है, लेकिन मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वट अवर कान्शिएन्स हैज बीन शेकेन, यानी हमारा जमीर, हमारा विवेक पूरी तरह हिल उठा है, इन द मैनर द स्टेट गवर्नमेन्ट हैज प्रोसीडेड टु डिक्लेयर दी इलेक्शन, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चुनाव को जारी किया है उससे हमारा जमीर पूरी तरह से हिल गया है। द स्टेट गवर्नमेन्ट हैड पब्लिशड द टेन्टेटिव रिजर्ववेशन लिस्ट आन 25 अप्रैल, 2012। मान्यवर, 25 अप्रैल, 2012 को जारी हुआ। मान्यवर, इसका एक पक्ष और मैं पढ़ दूं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है पृष्ठ 31 वी आर आफ द वियू दैट द रिजर्वेशन एज नोटीफाइट वाइड नोटीफिकेशन डेटेड 23 मई, 2012 देयर फोर हम इस विचार के हैं कि जो नोटीफिकेशन हुआ है रिक्वायरेज टू बी रि इक्जामिन्ड, उसको दोबारा जांच लिया जाना चाहिए। यह हाईकोर्ट का निर्णय है मान्यवर, जो मैंने आपकों शब्दशः पढ़ कर

सुना दिया और जो कन्क्लूजन उन्होंने लिख दिया है उसकी भी चार पंक्तियां मैं आपकी अनुमति से पढ़ रहा हूं, हाउएवर वी लीव टूर ओपेन टू द स्टेट गवर्नमेन्ट एण्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, हम इसे छोड़ देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर और निर्वाचन आयोग पर, टु कन्सीडर द डिजायरेबिलिटी आफ टेकिंग एप्रोप्रियेट एक्शन सो दैट द पोलिंग टू बैरियस लोकल बाडीज एज आलरेडी शैडयूल्ड वी नाट इफेक्टेड, इस पर एक उचित कदम उठाया जाय इसके लिए हम उनको छोड़ देते हैं। मान्यवर, यह मैंने निर्णय आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है और मैं अपने सहयोगी साथी अनुग्रह नारायण सिंह जी का आभारी हूं, इस जजमेन्ट में उनका नाम कई जगह उल्लिखित हुआ है और उन्होंने जो इस सन्दर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत किया है मान्यवर, उसके कारण यह आया है। मान्यवर, इस सन्दर्भ में मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, 1993 और 1994 में 73वां और 74वां संशोधन हुआ और यह चुनाव जो हो रहा है दिनांक 23 मई को, इसमें मान्यवर, इसमें 630 शहरी इलाकों में चुनाव हो रहे हैं। मान्यवर, 75 जनपद प्रभावित हैं और हाईकोर्ट क्या कह रहा है। ये आरक्षण की सूची जो जारी हुयी है ठीक नहीं और अगर आरक्षण की सूची ठीक नहीं है। अगर सब जिलों में चुनाव हो गया, 630 निकायों में चुनाव हो गया तो यही 01 जून का जजमेन्ट लेकर वह ट्रिब्युनल जायेगा, इलेक्शन पिटीशन में और कहेगा कि ये चुनाव अवैध है क्योंकि इसमें आरक्षण अवैध है इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह जानना चाहता हूं और सरकार की नजर में इस बात को लाते हुये यह कहना चाहता हूं कि चुनाव की प्रक्रिया जो आपने शुरू की है, चूंकि आरक्षण को इसमें दोषपूर्ण मान लिया गया है तो इसमें दो विकल्प हैं, इसमें दो विकल्प बनते हैं मोहिन्दर सिंह गिल बनाम राज्य 1978 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, मैं उस केस को भी आपके संज्ञान में ला देता हूं। बिन्दु सिर्फ इतना सा था, प्रश्न सिर्फ इतना सा था कि ये चुनाव जो 2006 में संशोधन हुये है उसके बाद यह पहला चुनाव है या उसके बाद का चुनाव है।

मान्यवर, यह हाईकोर्ट ने इसी जजमेन्ट में कहा है, मा0 मैं यह फैसला मा0 संसदीय कार्य मंत्री जो आपके माध्यम से भेज दूंगा। मान्यवर, उन्होंने होल्ड कर दिया, निर्णय दे दिया कि आरक्षण दोषपूर्ण है। इसी में उन्होंने यह भी तय करके दे दिया कि ये चुनाव पहला चुनाव नहीं है 2006 के बाद। 2007 का चुनाव हो चुका है, अब यह दूसरा चुनाव है। 2006 के बाद यह दूसरा चुनाव है। तकनीकी भाषा में उन्होंने कहा है कि यह पहला चुनाव नहीं है तो दो फाइंडिंग आ गयी, दो निर्णय आ गये। क्या आ गया कि यह चुनाव पहला नहीं और दूसरा उन्होंने पहला न मानते हुये यह निर्णय दे दिया कि आरक्षण अवैध है, दोषपूर्ण है, गलत है। अब इस पर चुनाव करा लीजिये, जब आप चुनाव करायेंगे तो अपील कहां जायेगी। यह हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का जजमेन्ट है तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जायेगी, लोकल बॉडी पर जायेगी, उससे नीचे पर जायेगी। और जब यही जजमेन्ट लेकर के आदमी पिटीशन में जायेगा और कहेगा कि हाईकोर्ट ने जिस आरक्षण को दोषपूर्ण माना है तो बाध्यकारी हो जायेगा डिस्ट्रिक्ट जज के लिये, उससे नीचे की अदालत में। मान्यवर, तो मेरा आशय, कांग्रेस का आशय, मेरे साथी अनुग्रह नारायण सिंह का आशय सिर्फ प्रदेश को संवैधानिक संकट से बचाने का है। प्रदेश में संवैधानिक संकट उत्पन्न न हो इसलिये इस विषय को आपके बीच में लाया हूँ। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सरकार के पास दो विकल्प हैं। हम पूरी तरह से सहयोग के लिये तत्पर हैं। एक तो सर्वोच्च न्यायालय चले जायें, न्यायालय में आप जाकर

हाईकोर्ट के इस जजमेण्ट का आप क्लेरिफिकेशन करा लें कि क्या स्पष्टीकरण आता है। उसके बाद अगर सर्वोच्च न्यायालय का आ जायेगा तो पूरी तरह स्थितियां आ जायेंगी, संवैधानिक सकट टलेगा। दूसरा जिस पर मैं बल दूँगा कि यद्यपि कि किसी न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाये। इस पर सर्वोच्च न्यायालय के करीब 8, 9 निर्णय हैं कि प्रक्रिया शुरू हो जाये तो उसे रोका न जाये। लेकिन यह अधिकार प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को है और मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग को है कि आज ही मैं पत्र पढ़ रहा था कि प्रदेश सरकार ने जो पहला चुनाव हो रहा था, उसमें यहाँ रेलवे और तमाम परीक्षायें थीं स्थगित करने के निर्देश थे। हम लोग विधान सभा का चुनाव लड़के आये हैं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी हो, चुनाव जब मध्य में था तो निर्णय हुआ कि उस दिन एक पवित्र त्यौहार था उसकी अनदेखी की गयी तो वह स्थगित हुआ। मान्यवर, तो ये दो उदाहरण मैं इसलिये दे रहा हूँ कि उदाहरण है। मेरे ख्याल से सरकार को इस कही गयी मेरी बात को न मानने का प्रश्न भी नहीं है। तो मैं एक चीज चाहूँगा कि जैसा उन्होंने इसको दोषपूर्ण मान लिया है, पहला चुनाव नहीं माना है, दूसरा माना है और दूसरा मान लेने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया बदली जाये। चूँकि यह भी एक सेटेल्ड लॉ है, निर्धारित कानून है, इस धरती का कानून है, आज भारत का कानून है कि एक रिजर्वेशन एक सीट पर रह चुका है तो दोबारा वही रिजर्वेशन उस पर लागू न हो। यह मुनिसिपल ऐक्ट कहता है, मैं नहीं कहता। इसमें अनुग्रह नारायण सिंह का भी नाम है।

श्री अध्यक्ष-

उनका नाम इसमें नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

इसमें अनुग्रह नारायण जी का भी नाम है, आप देख लें।

श्री अध्यक्ष-

हमारे पास जो नोटिस आयी है, उसमें नहीं है। आप दिखायें तो।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप देखें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इससे ज्यादा वह क्या बोलेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक एक आग्रह करना चाहता हूँ कि कोई संवैधानिक संकट न आये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप उनको कहने दीजिये, शेष भाग।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी भारत के संविधान में 74वें संशोधन के बाद जो लोकल बॉडीज् हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनका भी वही अस्तित्व है जो संसद और विधान सभाओं का है। जिस प्रकार संसद और

विधान सभाओं के चुनाव 5 वर्ष में होना निश्चित है, उसी प्रकार स्थानीय निकायों के भी चुनाव 5 वर्ष में होना एक संवैधानिक दायित्व है, चुनाव आयोग का और सरकारों का। इस सम्बन्ध में मा0 प्रमोद कुमार तिवारी जी ने बहुत ही विस्तार से और मा0 न्यायालय के निर्णय को देखते हुए सारी बातें कही हैं। मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूँ। अब जो स्थिति है, इसी तरह वर्ष 2006 में भी थी। वार्डों का परिसीमन हो रहा था, वह 1991 की जनगणना से हो रहा था। मैं खुद रिट में न्यायालय गया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय भी। उसमें मा0 न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो वर्तमान जनगणना है 2001 की, उसके अनुसार वार्डों का परिसीमन किया जाय और चुनाव करायें जायं। फिर बाद में सरकार ने उसको माना भी और परिसीमन हुए और चुनाव कराए गए। आज फिर वही स्थिति है जो वार्डों के आरक्षण में जो नीति अपनाई गई थी, यह बात सही है कि यह काम, जो हमारे पूर्व के स्थानीय निकाय हैं, 2011 नवम्बर में जिनका कार्य काल समाप्त हुआ था, पुरानी सरकार को कराना चाहिए था और उन्होंने अपने इस दायित्व को नहीं निभाया और उनके न निभाने की वजह से लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा। यहां तक की मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी गया और सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जुलाई, 2012 तक चुनाव सम्पन्न कराने का एक निर्णय दिया है। इस सरकार की यह बाध्यता भी है कि वह उसको शीघ्रता से कराए और हमको लगता है कि इसी कारणवश आरक्षण वगैरह की जो प्रक्रिया हुई है, जल्दबाजी में, उसमें कुछ चीजें नियमानुकूल नहीं हैं, जिसको इस निर्णय में न्यायालय ने परिलक्षित किया है, निर्देश दिया है और जैसा कि मा0 प्रमोद जी ने बताया है कि इस आर्डर से जो भी चुनाव हो रहा है, वह नियमतः नहीं है, गैर-कानूनी है, इलेक्शन रिट पिटीशन में जाने के लिए भी इन्होंने इसमें निर्देश दिए हैं लोग इसके बाद निश्चित ही इलेक्शन रिट पिटीशन में जायेंगे और 75 जिलों के सभी म्युनिसिपिटी टाउन एरिया में, सारी जगहों पर इसकी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि लोग निश्चित ही जायेंगे, जो हारेगा वह मुकदमें में जायेगा। हम लोग जानते हैं कि यह एक असंवैधानिक स्थिति होगी। सरकार पर भी बोझ पड़ेगा, मुकद्मों का। फिर मुकद्मा लड़े, इससे अच्छा और बेहतर यही है कि हम लोग इसको अभी ही संशोधित कर लें, जो सुझाव मा0 प्रमोद जी ने बताएं हैं, उनको हम लोग एडाप्ट कर लें। नियमतः चुनाव कराएं और अच्छे लोग चुनकर आएं, जिससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि स्थानीय निकायों के चुनाव बहुत टले हैं, और संकट पैदा हुआ लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मई तक की लास्ट डेट तय कर दी कि इसके आगे आप नहीं जा सकते। लिहाजा हमारे लिए बड़ी मजबूरी थी कि हम 31 से आगे न जा करके 25 तक ही हमने नोटीफिकेशन दैट तय कर दी। प्रमोद तिवारी जी ने खुद ही पढ़कर सुनाया है "दैट रिट पिटीशन इज नॉट मेन्टेनेबल" तो यही इसका ऑपरेटिव पोरसन है- "दैट रिट पिटीशन इज नॉट मेन्टेनेबल" और इसी पर हम स्टैण्ड भी करते हैं और इसी पर अपनी राय भी रखना चाहते हैं और आपसे यह भी अर्ज करना चाहते हैं कि यह भी कहा है कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग दोनो मिलकर इस पर राय कर लें क्योंकि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, उसमें छोटी अदालतें, फिर बड़ी अदालत, फिर हाईकोर्ट उसके बाद सुप्रीमकोर्ट हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से 31 मई लास्ट डेट है और अगर इस तारीख

तक हमने नोटीफिकेशन न किया होता, तो संवैधानिक संकट जरूर पैदा हो जाता, वैधानिक संकट भी पैदा हो जाता। उन दोनों संकटों को दूर करने के लिए मा0 सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश उनका आदेश माना गया है और उसी के आदेशों के तहत ये चुनाव कराए जा रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत विद्वान हमारे मा0 मंत्री जी हैं, लेकिन दोनों ही जगह कानूनी रूप से सही नहीं बोल रहे हैं। जानकारी की बात है मान्यवर, मैंने अभी यह नहीं कहा कि चुनाव को 31 मई के बाद कराया जाए या नोटीफिकेशन 31 के बाद हो मान्यवर। मैं आज भी कह रहा हूँ कि नये म्युनिसिपल ऐक्ट में जो परिवर्तन हुआ है उसमें चुनाव 18 या 20 दिन के अन्दर हो सकता है तो इसमें कुछ नहीं लगना है सिर्फ एक या दो दिन का फर्क होगा। मान्यवर, चुनाव अवैध न होने पाये इसके लिये एक चीज पहली तो यह स्पष्ट कर दूं कि चुनाव बढ़ेगा नहीं, चुनाव इसी सीमा में हो जायेगा क्योंकि म्युनिसिपल ऐक्ट में जो संशोधन हुआ है 2006 का, उसे आप देख लें। दूसरा, मैं कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दूँ। रिट मेन्टेनेबल हो या न हो, रिट के जो आब्जर्वेशन होते है, वह बाध्यकारी होते हैं। कोई भी मुकदमा खारिज किया जा सकता है लेकिन अगर मुकदमा खारिज करते हुये उसमें निर्देश दिया गया है तो वह निर्देश बाध्यकारी होता है। यह नहीं होता कि अगर रिट डिसमिस हो गयी या मुकदमा समाप्त हो गया तो उसमें दिये गये निर्देश भी समाप्त हो गये। मान्यवार, रिट समान्यतः डिसमिस होती है और उसमें निर्देश होते हैं तो डिसमिस रिट के निर्देश सरकार पर बाध्यकारी होते है। मैं यह कहना चाह रहा हूँ। अक्सर लोग ट्रांसफर के लिये जाते हैं तो कहा गया कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को वह निर्देश देते हैं कि एक महीने के अंदर इस पर निर्णय करें। उन्होंने कहा कि हमारे कालेज का वह नहीं हो रहा है तो उन्होंने कहा कि रिट तो हम डिसमिस कर रहे हैं लेकिन कालेज एक महीने के अंदर इस पर विचार करें। तो जो लीगल अगर कुछ निर्देश है तो वह बाध्यकारी होंगे, मैं यह चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि अगर स्थिति स्पष्ट न हो रही हो तो एडवोकेट जनरल इस सम्मानित सदन के सदस्य होते हैं, उनको सदन में बुलवा लिया जाये और मैंने जो तथ्य रखा है कि रिट डिसमिस होने के बावजूद भी अगर उसमें निर्देश हैं तो निर्देश बाध्यकारी होते हैं, इस विषय पर उनकी ओपीनियन ले ली जाये।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, रिट पिटीशन इज नॉट मेन्टेनेबल, यह खारिज होने की बात खुद प्रमोद तिवारी जी ने कही। रिक्वायर्स टू बी रि-इक्जामिन एंड दिस आलरेडी हैज बीन रि-इक्जामिंड, अब से पहले।

श्री प्रमोद तिवारी-

अब से पहले कब, यही तो मैं जानना चाहता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

उसकी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गयी है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिये हैं उसका पूरी तरह से पालन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को माना गया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस विषय पर माननीय तिवारी जी को सुना, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी को सुना तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियमों में आता नहीं, इसलिये इसे अग्राह्य घोषित करता हूँ।

प्रदेश के इंजीनियरिंग, मेडिकल कालेजों में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं की फीस की प्रतिपूर्ति का प्राविधान बजट में न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को औचित्य के प्रश्न के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह भी एक संवैधानिक विषय है और विषय यह है कि कोई प्रस्ताव या बजट कानून के रूप में मा0 विधान मण्डल में पास हुआ और पास होने के बाद में सरकार खुद ही यह प्रस्ताव लेकर आये और बजट भाषण में उसका उल्लेख करे, बजट पास कराये और उसके बाद वाहवाही तो लूटेंगे आप, जब बजट भाषण में आकड़ें पढ़ेंगे आप, तो तालियाँ बजवायेंगे और तालियाँ बजवाने के बाद में लागू उसको करेंगे नहीं। मान्यवर, एक मिसाल मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। मान्यवर, जहाँ-जहाँ ऐसे प्रकरण आयेंगे निश्चित रूप से औचित्य प्रश्न के रूप में उनको आना पड़ेगा, तभी इन सरकारों की आँख खुल पायेगी वरना मान्यवर, कुछ औचित्य नहीं रह जायेगा विधान मंडलों का। मान्यवर, मैं आपका ध्यान चाहता हूँ पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिये फीस की प्रतिपूर्ति का बजट आया और लगातार कई साल से आ रहा है। उसके आकड़ें आते जा रहे है। यह 2010-2011 तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय लाल जी वर्मा के बजट भाषण का अंश है 'वर्ष 2010-2011 में सरकार द्वारा इस हेतु मुख्यतः स्वयं के संसाधनों में लगभग 1045 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है इससे लगभग 2 करोड़ 20 लाख छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा', यह पिछड़े वर्ग के लिये है। यह प्रावधान किया है उन्होंने पिछड़े वर्ग की फीस की प्रतिपूर्ति का। आज स्थिति यह है कि जिन बच्चों ने इस आशा से, इस उम्मीद से कि उनकी फीस की प्रतिपूर्ति हो जाएगी मेडिकल कालेज में एडमिशन ले लिया, इंजीनियरिंग कालेज में एडमिशन ले लिया, उच्च शिक्षा में एडमिशन ले लिया और संस्थाओं ने इस उम्मीद पर उनको प्रवेश दे दिया कि सरकार से पैसा आएगा और उनकी फीस की प्रतिपूर्ति हो जाएगी। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी प्रदेशों में भी जहाँ-जहाँ उत्तर प्रदेश के छात्रों ने प्रवेश लिया है आज वहां स्थिति यह हो गई कि या तो उन बच्चों को परीक्षाओं में नहीं बैठने दिया जा रहा है क्योंकि फीस की प्रतिपूर्ति नहीं हुई या उन बच्चों के परिणाम रोके जा रहे हैं क्योंकि फीस की प्रतिपूर्ति नहीं हुई। आखिर किस प्रकार के ये भाषण हैं और किस प्रकार का आश्वासन सरकार का होता है, सरकार खुद प्रस्ताव ले करके आती है उसके बाद यहां विचार हो जाता है पास हो जाता है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर यह एक हजार पैंतालीस करोड़ रुपये जो आपने छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए पास कराये थे यह पैसा कहां गया ?

मान्यवर, एक नहीं कई वर्षों का लेखा-जोखा हमारे पास है। हर वर्ष के आँकड़े हमारे पास मौजूद हैं, हर वर्ष पिछड़े वर्ग के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए बजट में प्राविधान किया गया,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन प्रावधान करने और पास होने के बावजूद भी प्रतिपूर्ति नहीं हुई। परिणाम क्या हुआ कि आज वह बच्चे इकट्ठे हो करके आते हैं और कहते हैं कि मैं फीस कहाँ से दूँ। क्या मकान बेचकर देंगे, जमीन बेचकर देंगे, बैंक तो उनको लोन देंगे नहीं, उनका भविष्य अन्धकारमय हो गया कि नहीं, आखिर उनके लिऐ भी तो हमें कोई व्यवस्था सोचनी चाहिए। आखिर आपने क्यों यहाँ पर प्रस्ताव पास कराया था, अगर आप न कराते तो उनको आशा न बनती वह अपने संसाधनों के आधार पर तय करते कि हमें इंजीनियरिंग में जाना कि नहीं जाना है, मुझे मेडिकल में जाना है या नहीं जाना है लेकिन वह तो इस विश्वास पर चले गये कि सरकार ने बजट का प्रावधान कर दिया है, इसलिये अब हम आराम से जाकर इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। मुझे कई स्थानों की जानकारी है। जहाँ इन छात्रों के परिणाम रोके गये हैं। अब वह लोग कभी समाज कल्याण अधिकारी का घेराव करते हैं, कभी वहाँ धरना देते हैं और मान्यवर, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि इसी परेशानी में आकर कई बच्चों ने आत्म-हत्या तक कर ली है। मान्यवर, इससे ज्यादा अमानवीय कार्य क्या हो सकता है। मैने एक वर्ष 2010-2011 का उल्लेख आपसे किया है, जिसमें 1045 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मान्यवर, क्या इस सदन को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जिस मद में पैसे का प्रावधान किया गया था आखिर वह पैसा उस मद में क्यों नहीं गया ? और उसका परिणाम कितना घातक सिद्ध हुआ। यह 10-5 बच्चे नहीं हैं बल्कि इनकी संख्या लाखों में है, जो इससे प्रभावित हुये हैं। मैं राजनैतिक आरोप-प्रत्यारोप में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। न मैं किसी को दोष देने की बात करता हूँ, लेकिन यह सदन की गरिमा का प्रश्न है, यह सदन के वजूद का प्रश्न है क्योंकि यहाँ जब हम विचार मंथन करके किसी प्रस्ताव को पास करते हैं तो उसका पालन करना सरकार का दायित्व है, और इस सदन के प्रति पूर्णतया उसकी जिम्मेदारी है।

मैं चाहूँगा कि इस विषय को गम्भीरता से लें। मैंने किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं उठाया, बल्कि इस प्रदेश के होनहार बच्चों के भविष्य का सवाल उठाया है, जो अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ सकते थे, अच्छे-अच्छे पदों पर जा सकते थे। वह आज केवल इसी वजह से वंचित रह गये कि सरकार ने जिस मद के लिए पैसा स्वीकार कराया था, उस पैसे को आज तक वहाँ नहीं भेजा है। मान्यवर, मैंने पहले भी एक सदन की समिति की माँग की थी, इस विषय को भी उसी में जोड़ दिया जाय और जानकारी करायें कि जिस मद में पैसा स्वीकृत हुआ उसमें पैसा न जाने का कारण क्या रहा है और वह पैसा कहाँ गया ? और बच्चों के भविष्य के बारे में क्या होना चाहिये। क्या नहीं होना चाहिये, इस पर विचार करें। मान्यवर, निश्चित रूप से यह मेरा दायित्व होगा, अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो एक विधायक होने के नाते, जन-प्रतिनिधि होने के नाते आपके संज्ञान में सदन के संज्ञान में निश्चित रूप से इस विषय को मैं लाऊँगा, ताकि सरकार के ऊपर इस बात का दबाव बने कि एक बार सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद आपका यह अधिकार नहीं कि उस पैसे को आप डाइवर्ट कर दें, उस पैसे को कहीं और खर्च कर दें और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। यही मेरा बिन्दु था। मैं अनुरोध करूँगा कि इस पर विचार किया जाय।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, 2010-1011 के बारे में मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा है। जो अब तक की व्यवस्था रही है, उसमें यह रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेजेज को पहले, मान्यता प्राप्त हो उसके बाद और प्राइवेट

इंस्टीट्यूशन को उसके बाद, यह अब तक की व्यवस्था रही है। तो जो जहाँ खत्म हो गया, वहीं समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न जो इसमें है कि पैसा कहाँ गया, तो मान्यवर, यह जाहिर है कि यह जाँच का बिन्दु है कि जितना पैसा बजट में एलॉट हुआ वह उस मद में खर्च हुआ या नहीं हुआ। यह जाँच का विषय है। इस बारे में आपसे पहले भी बात हो चुकी है। सदन में और इस तरह के जो दूसरे मामले आये थे, उससे इसको सम्बद्ध कर दीजिये, मेरी सहमति है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे आग्रह्य करता हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जब आपने भी मान लिया इस बात को, तो इसे निस्तारित करिये।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो आपने नौ हजार करोड़ रुपये का मामला उठाया था, उसके लिए बात हुई है नेताओं से, आपका कहना है कि उसी में इसको भी जोड़ दिया जाय।

ठीक है, उसी में इसे भी जोड़ दिया जायेगा।

मद संख्या-3, 4, 5 व 6 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-7 ले रहा हूँ।

नियम 56 के अन्तर्गत नियम 311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या-7 ले रहा हूँ। आज दिनांक 05 जून, 2012 को नियम 311 की दो सूचनायें नियम 56 में परिवर्तित कर दी गयी हैं। इस प्रकार नियम 56 की कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें श्लाका के आधार पर कुछ सूचनायें चयनित हुईं। प्रथम दो सूचनाओं को लेना था। इसको आप सबसे परामर्श करके कल के लिये टाल दिया गया है। इस पर कल बात होगी। अब एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल का 'पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्याप्त महामारी इन्सेफलाइटिस से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।' दूसरा है, 'प्रदेश भर में किसानों की सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।' इसमें कई लोगों के नाम हैं-श्री उमेश पाण्डेय, श्री अली यूसुफ अली, श्री तस्लीम अहमद, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री दीपक पटेल व श्री गयाचरण दिनकर।

मैं सबसे पहले डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल को बुला रहा हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारी भी सूचना नियम 56 में है।

श्री अध्यक्ष-

अब बता दें, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री श्यामदेव राय चौधरी की सूचना को नियम 51 में परिवर्तित कर दिया गया है। श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, डॉ0 महेश शर्मा व श्री राम सरन वर्मा की सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं। खन्ना जी, आप तो रोज बोलते हैं आ ही जायेगा, बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, यह पूरे प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की मजदूरी से सम्बन्धित है। आज के मंहगाई के युग में 120 रुपये कुछ भी नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कार्य-स्थगन की सूचनायें सुनने के बाद दो मिनट का मौका विशेष उल्लेख के जरिये दे दीजियेगा।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, आपकी सूचना को नियम 51 मे परिवर्तित कर दिया गया है, नियम 56 में आज स्वीकार नहीं हुआ है, क्योंकि उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है, मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपसे एक विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ, मैं कई बार से नियम 301 में एक सूचना दे रहा हूँ कृपया उसको आप स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

अब तो खत्म हो गया, आप बैठिये, मैं इसको दिखवा लेता हूँ।

* डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस सदन में पहले कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस विषय को उठाने की अनुमति दी है। मूलतः दिखता यह चिकित्सकीय प्रश्न है, लेकिन है यह मानवीय प्रश्न और सदन में बैठे हुए राजनेताओं के लिए यह एक राजनैतिक प्रश्न भी है। कार्य-स्थगन प्रस्ताव को रखने के पहले जो विगत दिनों मा0 मुख्य मंत्री जी ने, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी के माध्यम से इस सदन में घोषणा की थी कि वह गोरखपुर में ही, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में ही शोध की सारी व्यवस्थायें सुनिश्चित हो जाय इसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब यह प्रश्नों के माध्यम से आ चुका था। इसलिये अब ग्राह्य नहीं होना चाहिये, लेकिन चूँकि महामारी वहाँ बढ़ती जा रही है, इसलिये आपकी सूचना ग्राह्य हुई है।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, मैं उनको धन्यवाद देने जा रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिये। मैं इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी व संसदीय कार्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन फिर भी यह विषय यहाँ उठाना अत्यन्त आवश्यक है कि यह एक बहुआयामी प्रश्न है और सिर्फ एक दृष्टिकोण से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और इस सदन में बैठे हुए तकरीबन 135-140 मा0 विधायक होंगे, जो रोज इन समस्याओं से दो-चार होते हैं। अच्छा-खासा बच्चा, सामान्य बच्चा, माँ-बाप उसको लेकर बहुत सी हसरतें पालते हैं तीन दिन के बुखार में उसको थोड़ा सा झटका आया, चौथे दिन वह बेहोश हुआ। मेडिकल कालेज पहुँचते-पहुँचते या तो वह मर गया या मेडिकल कालेज पहुँचकर वह नहीं मरा तो विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं का शिकार हो गया। किसी ने अपनी आँखें खो दी। किसी ने अपने कान खो दिये, किसी ने अपनी चलने की क्षमता खो दी और यदि तीनों नहीं हुआ तो किसी का दिमाग प्रभावित हो गया और मानसिक रूप से वह विकलांग हो गया। पिछले न जाने कितने सालों से यह समस्या चलती चली आ रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आज यह समस्या पैदा हो गयी है, लेकिन आज इस विषय को लाने का उद्देश्य यह है कि हमें एक ऐसी सरकार मिली है जो पाँच साल तक लगातार काम करने वाली है। पाँच साल के बाद जब पूर्वांचल में इस सरकार की सफलता का मूल्यांकन होगा तो इस बात पर होगा कि यह सरकार जो पूर्ण बहुमत लेकर आयी थी, सरकार के आने के पहले इन्सेफ्लाइटिस के कितने मरीज पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे और पाँच साल बाद सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ तो सरकार ने ऐसी कौन सी कार्यवाही की कि इस बीमारी के ऊपर पूरा नियंत्रण हो गया।

माननीय अध्यक्ष जी आप अच्छी तरह से इस विषय को जानते हैं। आज जिसे हम एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम कहते हैं, उसमें एक मूल बीमारी है जापानीज इन्सेफ्लाइटिस और दूसरी ढेर सारी वह बीमारियाँ हैं जो जापानीज इन्सेफ्लाइटिस तो नहीं हैं, लेकिन सत्य यह भी है कि जापानीज इन्सेफ्लाइटिस के अलावा वह क्या है यह सत्य आज तक किसी को पता नहीं चला। 2005 के पहले की बीमारी का स्वरूप और 2005 के बाद की बीमारी का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। 2005 के पहले जो मेडिकल कालेज या अन्य जगहों पर मरीज जाते थे, वह जापानीज इन्सेफ्लाइटिस के होते थे, उनके लिये कुछ प्राविधान किये जा सकते थे। 2005 के बाद जो मौतें हो रही हैं जो मरीज मेडिकल कालेजों में पहुँच रहे हैं या पहुँचने के पहले मर रहे हैं, सच्चाई यह है कि सारी सुविधाओं के बावजूद सारी व्यवस्था यह बताने में समर्थ नहीं है कि यह किस प्रकार की बीमारी है। कोई इसे कहता है कि यह टाक्सेजनिक है, कोई कहता है कि यह जलजनित है, किसी को आज भी वैज्ञानिक आधार पर यह पता ही नहीं है कि यह बीमारी हो क्यों रही है, क्योंकि जो अनुसंधान हो रहे हैं, वह एकांगी हैं जो लक्षण आ रहे हैं, वह सिर्फ इन्हीं नाते होंगे ऐसा नही है। उस पूरे क्षेत्र में कुपोषण बहुत अधिक है, विटामिन्स की कमी बहुत ज्यादा है। मल्टी विटामिन डिफीसिएंसी बहुत अधिक है, थाइमीन की कमी बहुत ज्यादा है पूरे क्षेत्र में आर्सेनिक प्वाइजनिंग बहुत ज्यादा है, आखिर क्या कारण है कि यह बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में सीमित रह गयी। अन्य पूरे देश में इतने लम्बे कार्यकाल में फैल नहीं पायी। कोई न कोई कारण है, जिससे अध्यक्ष महोदय यह पता चलता है कि यह बीमारी उस क्षेत्र के लिए स्पेसीफिक है, यह जानना चाहिये। और यह तब हम जान पायेंगे, जब वस्तुतः उस बीमारी के बारे में उच्चस्तरीय शोध की व्यवस्था हो सके। अध्यक्ष महोदय, जापानीज इन्सेफ्लाइटिस की मैं चर्चा कर रहा था। यह बीमारी पहली बार भारत में नहीं हुई है। इस बीमारी का मुकाबला बहुत सारे लोगों ने किया है। चीन ने किया, जापान ने किया, ताइवान ने किया, कोरिया ने किया, थाइलैण्ड ने किया, मलेशिया ने किया, इण्डोनेशिया ने किया। इन सारे देशों ने बीमारी पर नियंत्रण कर लिया। भारतवर्ष में

ही इस बीमारी का मुकाबला आन्ध्र प्रदेश ने किया तमिलनाडु ने किया, आज यह बीमारी उसी आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सुनने को नहीं आ रही है। क्या कारण है कि जिस बीमारी पर इन लोगों ने नियंत्रण किया उस बीमारी पर नियंत्रण करने में मैं किसी एक सरकार का नाम नहीं लेना चाहता। एक सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। उस बीमारी पर नियंत्रण करने में हम पूरी तरह असफल हुए। दो चीजें उन्होंने की एक टीकाकरण किया और दूसरा जितनी जापानीज इन्सेफ्लाइटिस की बीमारी होती है, इनका सीधा सम्बन्ध जल जमाव से होता है। जिन क्षेत्रों में जल जमाव अधिक होता है, वहाँ बीमारी अधिक होती है, जल जमाव के क्षेत्रों में जहाँ धान की खेती होती है, वहाँ यह बीमारी अधिक होती है। इसलिये सरकारों ने एक नीति तैयार की कि अधिकांशतः अपनी धान की वैराइटी को बदल दिया। हाइब्रिड वैरायटी धान उन्होंने डेवलप किया। ऐसे धान जो कम पानी में उगाये जा सकते हैं और कम पानी में उगाये जाने कारण जो जल जमाव के नाते यह बीमारी बनती थी, उस पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया। दूसरी चीज टीकाकरण। हम जो टीका आज पूर्वी उत्तर प्रदेश मे लगाते हैं, हम अपने देश में नहीं बनाते हैं। जिन देशों में यह लगाया गया है, उन्हीं देशों से टीका लाकर हम लगाते हैं। प्रश्न यह है कि उन देशों ने अपने देश में इस बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए इस टीके का उपयोग कैसे किया। संसदीय कार्यमंत्री जी हम लोग एक बहस कर चुके हैं, उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। मान्यवर, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने अपने-अपने देशों में तीन डोजेज दिये हैं एक बार लगाया, एक साल बाद फिर लगाया और उसके बाद चार साल बाद फिर लगाया। मैं आभारी हूँ, इस सरकार का कि इन्होंने 2005 में टीकाकरण का कार्य कराया था। फिर गलती यह हुई कि उसमें चरणबद्ध तरीके से डोजेज नहीं लगे हैं। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी वर्ष 2010 में आपने भी एक माननीय सदस्य के रूप में इस विषय को जोर शोर ढंग से उठाया था। फिर टीकाकरण कार्य हुआ था। इस तरह से मेरा कहना यह है कि एक निश्चित अन्तराल के बाद तीन डोजेज नहीं लगाये गये हैं, जिससे यह गलती हो गयी है। मान्यवर, जब एक बच्चे को इसका एक डोज मिल जाता है तो उसमें 80 प्रतिशत रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और जब दूसरी बार टीका लग जाता है तो उसमें 96.7 प्रतिशत प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है।

श्री अध्यक्ष-

इस सत्र में इस पर बात आ चुकी है। कोई नई बात पैदा हुई हो तो उसको कृपया कहने का कष्ट करें। मैं भी वहां गया था, इसलिये इसकी गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आपको बोलने का मौका दिया है।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, उस दिन यह बात आयी थी। मान्यवर, अगर यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वहाँ सहयोग मिल जाये तो काफी अच्छा हो सकता है। हो क्या रहा है कि वहाँ के गोरखपुर मेडिकल कालेज पर सब निर्भरता की जा रही है, उनके संसाधन सीमित हैं जब तक कि आप इसमें अतिरिक्त वित्तीय संसाधन नहीं देंगे, तब तक काम कैसे पूरा हो पायेगा। जो वहां का सामान्य बजट है उसी से वह कार्य कर रहे हैं। तो उसमें दिक्कतें हैं। मान्यवर, यह प्रश्न दलीय सीमाओं से हटकर है, यह सरकार का भी केवल प्रश्न नहीं है। यह हम सबके वजूद का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। यहाँ उस इलाके के करीब 140-145 विधायक हैं। मान्यवर, यह बीमारी हमारे क्षेत्र की नहीं है, बीमारी यह ग्रामीण क्षेत्र

की है। मैं एक चिकित्सक हूँ। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी आप पूरे प्रदेश को अपना संरक्षण दें। आप वहां के हर नागरिक को अपना संरक्षण दें। मान्यवर, वहाँ की जनता को पता है कि माननीय अध्यक्ष जी कि आप उनके बीच से चुनकर यहां आये हैं और माननीय अध्यक्ष जी बने हैं और यहां की सारी कार्यवाहियों का संचालन करते हैं। मान्यवर, मैं तो अनुरोध करता हूँ कि आपकी अध्यक्षता में या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में इसमें एक हाईपॉवर टॉस्क फोर्स बना दी जाय। एक सर्वदलीय समाधान इसमें निकलकर आये। बजट की अगर वहां पर कोई सीमित व्यवस्था है तो उसे बढ़ाया जाय। उसके लिये अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करायी जाय।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो परेशानी वहां की व्यक्त की है, उन्होंने फिक्रभरी बातें कहीं हैं। मान्यवर, इसमें सरकारों का सहयोग रहा है। आपने वर्ष 2005 में हमारी सरकार के सहयोग का भी जिक्र किया है। हम लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे जो समस्या है उसके निदान में सहयोग करेंगे। खुद मा0 मुख्य मंत्री जी भी इसमें आश्वासन दे चुके हैं सदन में। इसमें आगे जो जरूरत होगी समस्याओं के निदान के लिए जितना कर सकते हैं, उसमें सहयोग करने की कोशिश करेंगे।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के किसानों से सम्बन्धित इस विषय पर आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर जो गेहूँ क्रयकेन्द्र शासन ने लगाने का काम किया और जब भी कोई खरीद होती है तो उसके पहले राज्य सरकार के विभाग आपस में निकलकर तय करते हैं कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इसलिये कई विभाग अपना सामंजस्य स्थापित कर क्रय केन्द्र उत्तर प्रदेश के अन्दर लगाने का कार्य किये हैं। राज्य सरकार ने भी अबकी बार उत्तर प्रदेश के अन्दर 42 लाख मीट्रिक टन गेहूँ क्रय करने का लक्ष्य रखा है और तमाम बयान आये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का सही लाभ मिलेगा। क्रय केन्द्र चलाये गये, लेकिन मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश के अन्दर आज देखने को मिल रहा है, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान अपने गेहूँ पर आग लगाने को मजबूर है। अभी कानपुर के अन्दर मान्यवर, हलांकि समाचार पत्रों का यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया जाता, लेकिन प्रमुखता से समाचार-पत्रों ने, टी0वी0 चैनलों ने इस न्यूज को दिखाने का काम किया। कानपुर के अन्दर एक किसान जो कई दिनों से अपने ट्रैक्टर पर गेहूँ लादकर बेचने के लिए ला रहा था, वहाँ पर तौलाई नहीं हो रही थी। लिहाजा उसने अपना ट्रैक्टर लदे गेहूँ पर आग लगाने का काम किया। घाटमपुर के अन्दर यह घटना हुई और हमारे सत्तापक्ष के लोग कह रहे हैं झूठ, गलत। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर क्या हो रहा है बिचौलिये आज मालामाल हो रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने के लिए आज उत्तर प्रदेश का किसान मजबूर है। आज वह किराये पर ट्रैक्टर ट्राली लाता है, किराये पर बैलगाड़ी पर लाता है, किराये पर अन्य साधनों से गेहूँ लादकर लाता है, लेकिन उसका गेहूँ समयबद्ध तरीके से खरीदा नहीं जाता है। मजबूर होकर किसान औने-पौने दाम पर बिचौलियों को बेच देता है और बिचौलिये मालामाल हो जायें। उत्तर प्रदेश के अन्दर, यह सरकार सर्वे करा ले, जिसके पास जमीनें नहीं हैं, जिन्होंने गेहूँ पैदा नहीं किया, उसकी ज्यादा तोल हो गयी और किसान की तौल

नहीं हो पा रही है। बिचौलिये कहां से काश्तकार बन गये, जो एक विसवा के काश्तकार नहीं हैं, आज वह कई-कई हजार कुन्तल गेहूँ बेचने का काम क्रय केन्द्रों पर कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी दौरा किये उत्तर प्रदेश के अन्दर, माननीय मंत्रीगण दौरा किये, लेकिन क्या असर हुआ ? लक्ष्य है 42 लाख मीट्रिक टन और अभी राज्य सरकार पहुँची है 32 लाख मीट्रिक टन। किसान को जरूरत होती है, अपना गेहूँ बेचकर, अपनी फसल बेच करके उसे अपनी बेटी की शादी करनी होती है, उसे अगली फसल के लिए तैयारी करना होता है, खाद की व्यवस्था करना होता है, बीज की व्यवस्था करनी होती है, सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन आज उसको चेक लेकर दौड़ना पड़ रहा है, कहीं भुगतान नहीं हो रहा है और मेरा खुला आरोप है, मैं क्षेत्र से चलकर आया हूँ, मैंने देखा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर क्रय केन्द्रों पर दलाली करने का काम कर रहे हैं। कहते हैं कि सरकार हमारी है, हमको खुली छूट है। जाल लेकर चल रहे हैं, चाहे छोटी मछली फँसे या बड़ी मछली। आज पूरे प्रदेश का किसान आन्दोलित है। उसको उसकी फसल का समुचित दाम नहीं मिल पा रहा है। आप कह देंगे कि इतने लोग हमने सस्पेंड कर दिये, लेकिन सस्पेंड कर देने से उन किसानों को जिन्होंने अपना गेहूँ जला दिया, उसको क्या मिल जायेगा। उसकी भरपाई तो नहीं हो पायेगी। मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है, पूरे प्रदेश के किसानों से जुड़ा प्रश्न है, ज्वलंत मामला है जो किसान अपनी खेती के बलबूते अपना परिवार चलाने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर सरकारी अधिकारी, बिचौलिये और दलालों द्वारा डाका डाला जा रहा है, इसलिये लोक महत्व के इस प्रश्न पर चूँकि किसान आन्दोलित है मैं आपसे मांग करता हूँ कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करवायी जाय।

(श्री अध्यक्ष द्वारा संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारने पर)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि गेहूँ क्रय केन्द्रों से सम्बन्धित नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना लगी है, मान्यवर, यह प्रदेश के किसानों के लिये बहुत गम्भीर विषय है। जैसा कि अभी इन्हीं शिकायतों का संज्ञान ले करके माननीय मुख्य मंत्री जी और उनके मंत्रि-मण्डल के तमाम मंत्रियों ने गेहूँ के विभिन्न क्रय केन्द्रों पर आकस्मिक निरीक्षण भी किया और बड़े पैमाने पर अनियमिततायें माननीय मंत्रिगणों के सामने उजागर भी हुई। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घटतौली की शिकायतों का संज्ञान लेकर एक जगह खुद गेहूँ क्रय केन्द्र के तौल यंत्र पर खड़े हुए, जिसमें उनका वजन स्वयं 20 किलो कम आया और इसी प्रकार से माननीय मंत्री जी लखीमपुर खीरी के दौरे पर भी गये थे। वहाँ लाखों लाख गेहूँ अखबारों में था, लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने वहाँ के उस केन्द्र को, गोदाम को खुलवाया तो वहाँ एक भी बोरी गेहूँ नहीं था। इसी प्रकार से मान्यवर, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। बहाना लेते हैं कि बोरे नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बलिया में गेहूँ क्रय केन्द्र त्रिपाठी चित्त मन्दिर रसड़ा, दूसरा चिलकहा में पर्याप्त मात्रा में बोरे हैं और बोरे रहने के बावजूद भी बोरे का अभाव बताकर के किसानों के साथ खिलवाड़ करते हैं और यहाँ तक कि 10-15 दिन किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली से गेहूँ ले जाकर क्रय केन्द्र पर खड़ा रहता है। इस प्रत्याशा में कि उसका गेहूँ खरीद लिया जायगा। लेकिन अधिकारी आना-कानी करके उन किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं, जबकि बिचौलियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर गेहूँ का क्रय किया जा रहा

है। मान्यवर, इसी प्रकार से हमीरपुर राठ में वहाँ पर भी किसान गेहूँ क्रय केन्द्र पर गया, इस उद्देश्य से कि गेहूँ क्रय पर ले जायेगा तो उसका गेहूँ खरीद लिया जायेगा। वह गेहूँ लेकर एक दिन जाता है और वापस आ जाता है। दूसरे दिन जाता है और वापस आ जाता है। इस तरह से 4-5 दिन लगातार जाने के बाद हमेशा यह उत्तर मिलता था, बारदाना नहीं है। बारदाना अन्दर था, जब किसानों को मालूम हुआ कि बारदाना है और यह बहाना करके कि बारदाना नहीं है, किसानों को वापस किया जा रहा है। ऐसी हालत में किसान बेकाबू हो गये। धावा बोलकर उन बारदानों को लूट लिया। क्षेत्राधिकारी पुलिस मौके पर पहुँची। किसानों से अनुनय-विनय करके उस बारदाने को वापस कराया। यह क्रूर मजाक किसानों के साथ हुआ, किसानों की हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार जैसा कि उसने अपने आकस्मिक निरीक्षण में भी इस प्रकार की कमियाँ पायी हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी और उनके तमाम सहयोगियों के बार-बार दौरा करने पर भी ऐसी अनियमिततायें मिली हैं तो ऐसे में कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिये जाने से यह काम बनने वाला नहीं है। इसके लिए सरकार, क्योंकि यह किसानों से जुड़ा मुद्दा है और वह किसान जो गर्मी, जाड़ा, बरसात सब झेलकर अपनी पैदावार लाता है, और उम्मीद करता है कि उसको कोई लाभकारी मूल्य मिलेगा। सरकार चाहती है कि उसे लाभकारी मूल्य मिले, सरकार चाहती है कि किसान को उसकी पैदावार का अधिक मूल्य मिले, इसलिये समय-समय पर क्रय केन्द्रों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ, यह गम्भीर प्रकरण है। किसानों से जुड़ा है, हमारा देश किसान प्रधान देश है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का मुख्य आधार खेती है और खेती से उत्पन्न होने वाला चावल, चावल के सीजन में, चाहे वह धान का क्रय केन्द्र हो, और गेहूँ के सीजन में चाहे वह गेहूँ का क्रय केन्द्र हो, यहाँ पर जो अनियमिततायें आ रही हैं, मैं अपेक्षा करता हूँ कि सरकार इस अति संवेदनशील मामले को लेकर के जो किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानों की रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ है, खेत खलिहान गाँव के विकास से जुड़ा है, इस मामले को बहुत गम्भीरता से लेगी और तमाम ऐसे बहानेबाज, जो बारदाना होते हुए भी बारदाना न होने की बात कह करके किसानों के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिये, साथ ही गेहूँ के क्रय केन्द्रों पर यह सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, यह बात बहुत सही है कि किसानों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, बड़ा अपमान हुआ है, बहुत लूटा गया है उन्हें, बहुत बर्बाद किया गया है। पिछले पाँच सालों में हजारों एकड़ गन्ना खड़ा हुआ, अपने खेतों में गन्ना किसानों ने जलाया है और यह भी इतिहास यह भी गवाह रहेगा कि किसानों का इतना अपमान और अन्याय करने वालों का अन्जाम क्या होता है।

(मेजें थपथपाई गयीं)

पहली बार यह इतिहास रचा गया है कि किसान एक-एक दाने खाद के लिए तरसा है। उस पर लाठी बरसी है। और उसको अपने खून पसीने की कमाई नहीं मिल सकी और उसका खाद नेपाल बार्डर से पार करके नेपाल भेज दिया गया।

(शेम-शेम की आवाजें)

और यह पाप, पाप नहीं है, यह इल्जाम की हद तक सिद्ध पाप हैं यह सरकार जो सत्ता में आज है, यह आज से नहीं, समाजवादी पार्टी का क्योंकि जिक्र आया है कि उसके बिचौलिये लूट कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को, कम से कम दलाली का हिस्सा हमें देने का अधिकार नहीं है क्योंकि दलाली में इनसे ज्यादा शिक्षित और प्रशिक्षित हैं ही नहीं।

(मेजें थपथपाई गयीं)

दलाली की डिग्री कुतुबमीनार से दी जानी चाहिये इन्हें। यह किसानों की सरकार है, किसानों के समर्थन से आयी है, उनके आशीर्वाद से आयी है। पहली बार यह इतिहास हुआ है कि मुख्य मंत्री ने जाकर खुद जाकर छापे मारे हैं। तपती हुई मई-जून की धूप में मुख्यमंत्री जी ने ग्रेनाइट के पत्थर का मुआयना नहीं किया है, तपती हुई धूप में गर्म हाथी की पीठ और दुम तक हाथ नहीं फहराया है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर संगमरमर के हाथी नहीं लगवाये हैं। जनता की गाढ़ी कमाई और जनता के खून को पत्थरों के पार्कों मे परिवर्तित नहीं किया है, उनकी गाढ़ी कमाई के धन को जिन्होंने लूटा है, यह उसका हिसाब है। यह सरकार किसानों की है, किसानों के द्वारा है, किसानों के लिए है और कोई भी अगर इसमें दलाली और बिचौलियापन करना चाहेगा तो उसको कड़ी सजा मिलेगी। वह बख्शा नहीं जायेगा, मान्यवर और दलाल चिन्हित किये जा रहे हैं और आज भी जो किसानों का अहित चाहते हैं और बहुजन समाजपार्टी के जो दलाल बिचौलिये का काम कर रहे हैं, किसानों का जो अहित कर रहे हैं, बसपा के कार्यकर्ता, उन्हें मान्यवर, यह करने नहीं दिया जायेगा, बिल्कुल नहीं करने दिया जायेगा। सजा दी गयी है अधिकारियों को भी और अगर दलालों को भी सजा देने की आवश्यकता होगी तो दलाल भी सजा से नहीं बचेंगे, यह आश्वासन देना चाहते हैं। लेकिन यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिये इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं अपेक्षा कर रहा था कि किसानों के गेहूँ का क्रय सुनिश्चित ढंग से कराने का काम करें। यह हाथी तक पहुँच गये, हाथी तो वक्त आने पर इनको रौंदेगी, वह चाहे जितना हाथी का डर इनके मन में बना रहे, मान्यवर, किसानों की सरकार, किसानों के लिए सरकार, किसानों के द्वारा सरकार, लेकिन किसानों का गला रेत रही है, यह बहुत ही शर्मनाक बात है और मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से किसानों से जुड़े इस गम्भीर मामले को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मजाकिया लहजे में जवाब देने का काम किया है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को चुनौती देता हूँ कि आज गेहूँ क्रय केन्द्रों पर जो भी दलाल हैं, वह समाजवादी पाटी के एजेण्ट हैं और समाजवादी पार्टी के एजेण्टों के नाते, समाजवादी पार्टी के दलालों के नाते आज माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहत के बावजूद भी गेहूँ क्रय केन्द्रों पर अनियमिततायें हो रही हैं। इसलिये मान्यवर, सरकार की यह जो किसान विरोधी नीति है, किसानों का गला घोंटा जा रहा है, किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है और किसानों के गेहूँ क्रय केन्द्रों को सुनिश्चित कराने के बजाय उसको हवा में उड़ाया जा रहा है। सरकार की इस किसान विरोधी नीति के खिलाफ बहुजन समाजपार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(नेता विरोधी दल के साथ बहुजन समाजपार्टी के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे, इनके प्रतियुत्तर में ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, क्या कहेंगे ? लेकिन मान्यवर, चुनौती से यह कहना चाहेंगे कि बसपा के [xxx] नहीं करने दी जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मिली-जुली कुश्ती है, जब चाहते हैं, उन्हें बाहर भेज देते हैं। जानबूझ कर उन्हें बाहर भेजते हैं।

(हँसी गूँजी)

श्री अध्यक्ष-

अब हम क्या टिप्पणी करें।

माननीय हुकुम सिंह जी, अब बजट पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जी बाहर हैं, नेता विरोधी दल से आग्रह किया तो उन्होंने कहा है कि वह आज नहीं बोलेंगे, क्या आप बोलना चाहेंगे ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलना चाह रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बाद ही हम बोलें। बाकी सदस्य हैं, मान्यवर, बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन में वापस आ गये)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा†

श्री अध्यक्ष-

महाना जी आप रुकिये, अभी बहुजन समाज पार्टी के लोग बोल लें, फिर आप बोलिये। अब बजट पर चर्चा है, बड़े नेता तो दूसरे दिन बोलेंगे जो पहली बार नये सदस्य आये हैं। उन्हें भी मौका दें, जो पिछली बार बच गये थे, इसलिये जो माननीय सदस्य बोलेंगे उनके लिये 7-8 मिनट का समय और जब नेता बोलेंगे उनके लिए 15-20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसमें सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी के श्री राज नारायण बुधौलिया को आमंत्रित करता हूँ। वह नहीं हैं। श्री उमाशंकर सिंह हैं, वह भी नहीं हैं। श्री राजबली जैसल हैं वह भी नहीं हैं। श्री राजेश त्रिपाठी जी हैं।

नोट-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*दिनांक : 5 जून, 2012 की कार्यवाही से।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के वर्ष 2012-2013 के बजट पर हमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अवसर दिया है। इसके लिये हम आपके आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाजवादी पार्टी के घोषणा-पत्र में जो चुनावी वादे उन्होंने किये थे, उसके अनुरूप उन्होंने जो दावा किया था कि हम इस बजट को उसी अनुसार लेकर आ रहे हैं, यकीनन कुछ चीजों को उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हुए बजट में रखने का प्रयास किया है। मगर जब हमने इस बजट का अध्ययन किया, अवलोकन किया तो पाया कि जिस तरह से कुछ खास-खास बिन्दुओं को अपने दल को सतही लोकप्रियता दिलाने के उद्देश्य से इसमें रखा गया है। मगर इसमें इस प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरी तरह से उपेक्षित करने का कार्य किया गया है। पर हमने इस बजट में अनुभव किया है। मान्यवर, हम एक बात का ध्यान आपके माध्यम से सदन को दिलाना चाहेंगे कि इस बजट के पृष्ठ संख्या 36 पर जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट में एक हजार नौ सौ सात करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, इसमें मुख्य मंत्री जी ने दावा किया है कि लखनऊ में सटकर कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना करेगी जिसके लिये 20 करोड़ रुपये के संसाधन की भी आपने व्यवस्था रखी गयी है। हम इसके लिए सरकार को साधुवाद देते हैं। लेकिन चिकित्सा शिक्षा एक ऐसा विषय है, जिसमें उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ध्यान दिया जाना चाहिये था। एक तरफ जिस तरह से लैपटाप के रूप में लाली पाप देने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। मगर चिकित्सा शिक्षा पर जिस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिये था, उस प्रकार से इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। एक बात से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट मे आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी विभागों की चिकित्सा अनदेखी की गयी है। आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी विभाग का जिक्र तक नहीं किया गया है। यह इस सरकार की इन तीनों पैथियों के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है। जिन्होंने इस पैथी का जिक्र करना भी उचित नहीं समझा, वे उसकी उन्नति के लिये क्या करेंगे ? एक तरफ अपने नौजवानों की लैपटाप और टैबलेट देने की बात करते हैं, वह देकर आप क्या करेंगे। क्या बच्चों को केवल कार्टून दिखायेंगे या कोई चिकित्सा शिक्षा की भी बात करेंगे। आपने चिकित्सा शिक्षा के बजट में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा के मद का कोई जिक्र नहीं किया है। बता दूँ कि प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज हैं, दो प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं, दो राजकीय मेडिकल होम्योपैथी कालेज अलीगढ़ और गोरखपुर में जो बन रहे हैं, सातों मेडिकल कालेज में सौ प्रोफेसर के पद हैं जिसमें केवल 4 प्रोफेसर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार लेक्चर, रीडर सपोर्टिंग स्टाफ की कमी है। अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, अपना भवन नहीं है।

(इस समय 1 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।)

कालेजों में प्रिंसिपल नहीं हैं, निदेशालय में डायरेक्टर नहीं हैं, सारे के सारे पद खाली पड़े हुए हैं। अस्पतालों में दवा नहीं है, हम लोगों को यह उम्मीद थी कि यह सरकार जो दावा करती है कि हम अगले से बेहतर हैं, तो फिर आप बेहतर करके दिखाये होते ? मगर आपका बजट यह बता रहा है वह भी कम से कम चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट यह बता रहा है कि आपने चिकित्सा शिक्षा की पूरी तरह से अनदेखी की है। मान्यवर, मैंने राजस्व विभाग के भी बजट को पढ़ने का काम किया है, निश्चितरूप से प्रदेश बड़े पैमाने पर विशेषकर पूर्वांचल जो बाढ़ की तबाही से ग्रस्त रहता है, प्रत्येक

वर्ष हजारों किसान बेघर हो जाते हैं, उनके घर कट जाते हैं, हमें उम्मीद थी कि उन गरीब किसानों के लिए जो सरकार अभी भी किसानों की हितैषी होने का दावा करती है, तो किसानों के लिए घर बनाने के लिए व्यवस्था करेगी, उनके लिये जमीन खरीदने की व्यवस्था करेगी और उन दर-दर भटकते किसानों को बसाया जायेगा, उनके लिये सरकार ने बजट में मात्र 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, हजारों-हजारों किसान जहाँ बेघर हो रहे हैं, बजट में यह जो राशि है यह निश्चित रूप से बहुत ही छोटी है, निश्चित रूप इसकी बढ़ोत्तरी होनी चाहिये थी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिये गरीब बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए भी यह सरकार हितैशी होने के अपने दावे से पूरी तरह से खोखली साबित हुई है। मान्यवर, एक बात यहाँ और कहना चाहते हैं, पर्यावरण पर, आज संयोग से विश्व पर्यावरण दिवस है, आज तमाम समाचार पत्रों में विश्व पर्यावरण दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की खूबसूरत फोटो के साथ बड़ी ही लछेदार बातें कही गई हैं, मगर इस पर्यावरण विषय पर हमने इस बजट पुस्तिका का अवलोकन करने का कार्य किया, तो पृष्ठ संख्या-45 पर पर्यावरण विषय को इतने सतही ढंग से लिया जाता है, एक रुपये तक के भी बजट की चर्चा नहीं की गयी है, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी पूरे फुल पेज पर लाखों रुपये के बजट का विज्ञापन दे कर आज विश्व पर्यावरण दिवस पर उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका की बात करते हैं, मगर उनकी यह बजट पुस्तिका कहती है कि पर्यावरण पर उन्होंने कोई भी गम्भीरता दिखाने का कार्य आपने इस बजट में नहीं किया है। मान्यवर, लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में मीडिया का भी एक महत्वपूर्ण रोल समाज के एवं उन्हें भी इस बजट में उपेक्षित किया गया है। मान्यवर, हमें उम्मीद थी कि पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए ग्रामीण पत्रकार से लेकर के शहरी पत्रकारों तक डेस्क लेवल टेबिल से लेकर रूरल एरिया तक के पत्रकारों को जो अपनी निर्धारित भूमिका समाज में निभाता है। देश के किसानों बेरोजगारों की समस्याओं को देश और दुनिया तक पहुँचाता है, हमें उम्मीद थी कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर भी यह सरकार मेहरबान होगी और इस बजट में सरकार पत्रकारों के लिए भी कोई घोषणा करेगी, मगर निश्चित रूप से निराशा मिली है, हमें उम्मीद थी कि रूरल एरिया से लेकर के डेस्क रिपोर्टिंग स्तर तक के ग्रामीण पत्रकारों के, शहरी पत्रकारों को मान्यता देने के लिए आप कहीं इसमें चर्चा करेंगे। पत्रकारों को विभिन्न सुविधायें देने की आप बात करेंगे, मगर देश के चौथे स्तम्भ के लिए सरकार ने पूरी तरह से मुँह मोड़ लिया है। एक तरफ आप चाहते हैं कि आपकी सारी कल्याणकारी योजनायें आम जनता तक पहुँचायी जायं। मगर जब उन्हें पहुँचाने वाले उन जांबाज पत्रकारों को, चाहे वह ग्रामीण स्तर के हों, चाहे शहरी स्तर के हों, जब उन्हें सुविधा देने की बात आती है तो निश्चित रूप से आप मुँह मोड़ लेते हैं, इस बात से यह साबित हो रहा है कि न तो आप किसानों के हितैषी रह गये हैं, न तो आप नौजवानों के हितैषी रह गये हैं, पत्रकारों को, वैसे धोखा तो आपने नौजवानों को भी खूब दिया है। वादा आपने किया था कि प्रत्येक नौजवान को जो इण्टर पास होगा लैपटाप देंगे, लेकिन आज आप अपने बजट में लेकर आये हैं कि 30 साल से लेकर 40 साल तक के नौजवानों को ही यह सुविधा देंगे। यकीनन आपकी इस बात से पूरी तरह से साफ हो चुका है कि आप नौजवानों के हितैषी नहीं हैं। आपने प्रदेश के इन नौजवानों को धोखा दे कर के पूरी तरह से सत्ता हथियाने का कार्य किया है और निश्चित रूप से यह नौजवान ही सत्ता तक आपको पहुँचाने का मुख्य सूत्र रहा है और यही नौजवान जो 18 से 30 साल के बीच या 40 साल से ऊपर का जो नौजवान है वह आपको सबक सिखाने का काम भी करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं बस खत्म कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो बजट भाषण है, यह निश्चित रूप से छलावा है, इसमें पूरी तरह से किसानों के साथ धोखा किया गया है, नौजवान बेरोजगारों के साथ धोखा किया गया है, बाढ़ पीड़ितों के साथ धोखा किया गया है, पूर्वांचल के मस्तिष्क ज्वर जैसे गम्भीर जानलेवा बीमारी जिसे अभी मा0 डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने पूर्वान्चल के मस्तिष्क ज्वर की समस्या पर पूरी तरह से उठाया, लेकिन इसके लिये भी जितनी धनराशि की भी व्यवस्था की गयी है, वह बहुत ही नाकाफी है, इसी प्रकार सरकार ने पूर्वान्चल की भी पूरी तरह से उपेक्षा किया गया है। पूर्वांचल को विशेष पैकेज हमारी सरकार में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो जितने धन की व्यवस्था उस सरकार ने की थी 291 करोड़ रुपये की लगभग 300 करोड़ रुपये की तो हमें उम्मीद थी कि आप पूर्वांचल में बहुत दावा करके आते हैं, हमसे बेहतर होने का दावा आपने किया था तो विशेष पैकेज में आप हमने बेहतर होने का दावा करेंगे। 291 करोड़ रुपया बहुजन समाज पार्टी की सरकार में था, आपने एक भी रुपया उसमें बढ़ाने का काम नहीं किया। वही धन एक तरफ तो आपने बुन्देलखण्ड को एक हजार करोड़ नहीं आप दो हजार करोड़ दो, यकीनन वो पिछड़ा हुआ है। उसको आवश्यकता है। मगर पूर्वांचल की पूरी तरीके से उपेक्षा की गयी है। बड़े पैमाने पर उपेक्षा की गयी है, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिये। आपने मुझको बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री सतीश महाना-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, आज से कुछ माह पूर्व जब यह सरकार बनी थी। हम सब लोग जो चुनकर आये थे। जनता की कुछ अपेक्षायें स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों से प्रारम्भ हुई। जिस समय उन अपेक्षाओं की बात होती थी, तो कहते थे कि इस सरकार का जो मन्तव्य है तो जिस समय सरकार बजट प्रस्तुत करेगी, उस समय सामने आयेगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पहली बात तो संख्या बहुत कम है, ऊपर जो मा0 सदस्य हैं वो बातचीत में ज्यादा मशगूल हैं, यदि रुचि हो तो बैठें, न हो तो बाहर जा करके बात करें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया व्यवस्था बनाये रखें। मा0 सदस्य आप बैठ जायें।

श्री सतीश महाना-

पहली बात तो संख्या ही बहुत कम है और उसके बाद भी यदि रुचि नहीं है तो फिर बोलने का कोई औचित्य नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

कोरम पूरा है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कोरम के अलावा। इतनी महत्वपूर्ण बात है। मान्यवर, मैंने कहा कि लोगों की अपेक्षायें थीं। मेरे पास लोग आते थे और कहते थे कि भाई साहब सड़क बनवा दीजिये मा0 विधायक जी, पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प रीबोर नहीं है। एक गांव में अगर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिये हैण्ड पम्प का साधन नहीं है। जिस समय फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे और जब तक फायर ब्रिगेड आयेगी, तब तक सारा का सारा मामला समाप्त हो चुका होगा। बहुत सारी अपेक्षायें थीं और बहुत सारी अपेक्षायें हैं भी। पहला बजट है इसलिये कोई नकारात्मक रूप में नहीं सुझावात्मक रूप में अपनी बात रखूँगा। मान्यवर, जब बजट भाषण आया तो लगा कि कोई आधार होगा, उस बात को कहने का, लेकिन वो बजट भाषण कम और पोलिटिकल भाषण ज्यादा है।

मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में कुछ बिन्दु वाइज़ अपनी बात कहूँगा, निर्धारित समय के अन्दर। कानून व्यवस्था मान्यवर, इकबाल से चलती है, आपका भय होना चाहिये। मान्यवर, वो भय इन दो, ढाई, तीन महीनों के अन्दर दिखायी नहीं पड़ा है और जिस समय अगर एक बार व्यवस्था बिगड़ जाये तो उसको पटरी पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे अपराधियों के, ऐसे अराजक तत्वों के हौंसले बुलन्द हो जाते हैं, उसके बाद उनको कण्ट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको संसाधन देने चाहिये, गृह विभाग को, पुलिस को सुविधायें मुहैया करानी चाहिये। पुलिस के लिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उनको बेईमानी करने की आवश्यकता न पड़े। कहीं भी विस्तार से इसकी चर्चा नहीं की गयी है। आज बहुत जोर-शोर से इस बात को कहा जा रहा है कि हमने लैपटाप दे दिया, टेबलेट दे दिया। क्या किसी को कोई चीज दे देना ही पर्याप्त है। बात है कि हम उसमें से आउटपुट क्या ले रहे हैं, हम उसमें से परिणाम क्या ले रहे हैं। हम उससे किस प्रकार के परिणामों की अपेक्षा करते हैं। हमने नौजवानों को लैपटाप और टेबलेट दिये हैं, लेकिन हम उनसे किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा करते हैं, उनसे क्या कहते हैं कि वे स्वावलम्बी बने केवल इस बात को कह करके कि गांव के किसान के हाथ में लैपटाप दे दिया तो उसका आत्मविश्वास जागेगा। आत्मविश्वास के साथ वह अपने परिवार को रोजी-रोटी कैसे देगा। उसके पास कौन से साधन हैं, हम उसको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं कि इस रास्ते पर चलोगे तो स्वावलम्बी बनोगे। तुम्हारे को यह लैपटाप देने के बाद तुम स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने का एहसास करो, इसके लिये हमने कोई गाइड लाइन दी है, कोई सहायता की बात की है। उनको देने के बाद यदि किसी प्रकार का वह रोजगार चाहते हैं, किसी भी प्रकार की इनफॉरमेशन चाहते हैं। किसी भी प्रकार का आगे बढ़ने का संकल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने क्या योजना बनायी, केवल लैपटॉप दे देने से, केवल टैबलेट दे देने से मान्यवर, हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है क्या ? किसी को पैसे पकड़ा दो, पकड़ाने के बाद कह दो कि हमने दे दिये, तुम्हारा काम खत्म, अब उसको बताना पड़ेगा कि अगर तुमको पैसे दिये हैं तो तुमको रोटी-रोजी कमानी है। इसको दारू और नशे में नहीं उड़ाना है। मान्यवर, यह लैपटॉप, यह टैबलेट दे देना यह गम्भीर बात है, यह आसान बात नहीं है। उसमें से हम सकारात्मक कितना ढूँढ सकते हैं, इस बात के लिए भी चिन्ता करनी चाहिये थी सरकार को। बहुत बड़े

आकार का बजट है, मान्यवर, 18 प्रतिशत 22 प्रतिशत बजट के आकार को बढ़ा दिया गया। आप इतने संसाधन कहाँ से लाओगे, कौन-सा रेवेन्यू है, जिसे आप जनरेट करोगे, जिससे आप इस पैसे को पूरा करोगे। केवल यह कह देना कि हम मूर्तियों के ऊपर पैसा नहीं लगायेंगे। हम लैपटॉप के ऊपर दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, केवल उससे प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है। हमारे स्टेट को कोई ठोस योजना बनानी पड़ेगी, नीचे तक जाना पड़ेगा मान्यवर। इस बात को कहा जाता है कि किसान इस देश की आत्मा है, यह कृषि प्रधान देश है, हमारी अर्थव्यवस्था किसान के ऊपर निर्भर है। यह शत-प्रतिशत सही है। लेकिन किसान की गेहूँ खरीद के मामले में सरकार ने जो प्रयास किये, उसके लिये साधुवाद। लेकिन उसके बाद भी मान्यवर, झाँसी जैसे बड़े शहर में किसान को अपने गेहूँ में आग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद भी क्यों नहीं उनके पास ऐसा सन्देश जाता कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ आयेंगी तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवायी होगी, नहीं आया ऐसा सन्देश मान्यवर, न कोई ऐसा सन्देश दिखायी पड़ा। मुख्य मंत्री जी ने जो किया। उसके लिए बहुत-बहुत, साधुवाद। मैं तो कहता हूँ कि हमारी उनसे बहुत सारी अपेक्षायें हैं। मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय भी इस बात को कहा था कि प्रदेश तरक्की करेगा, तो उस समय हमारा भी नाम होगा कि आप लोग उस प्रदेश से आते हैं, तो प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है। जब प्रदेश डूब रहा है तो उसमें सरकार की ही नहीं, हमारी बराबर की जिम्मेदारी होती है और हम बराबर से अपमानित होते हैं, जब सरकार डूबती है और जब प्रगति के पथ पर चलती है तो हम बराबर से सम्मानित होते हैं। हम इस सदन में विगत कई वर्षों से बैठकर इसी बात की तो चर्चा करते हैं। आज के समय में हम बड़े बजट के संसाधन हम कहाँ से ला रहे हैं। हमने लैपटॉप के लिए क्या किया ? मान्यवर, जैसा कि मैं कह रहा था कि किसान इस देश की आत्मा है।

मान्यवर, अगर किसान इस देश की आत्मा है तो इस देश के चेहरे के रूप में है। औद्योगिकीकरण की बात कहाँ करी हमने, मैं पूछना चाहता हूँ। पेज नं0-29 में आपने औद्योगिकी विकास की आपने बात कही, उसके लिये आपने कह दिया कि हम निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु वातावरण सृजित करने हेतु अवस्थापना विकास को मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। प्राथमिकतायें तो हैं, जो भाषण में भी लिखी हैं, और इसमें भी लिखी हुई हैं, लेकिन उसके लिए योजना क्या है ? औद्योगिकीकरण आप कैसे करेंगे। इन्डस्ट्री आगे बढ़ेगी तो आपके पास रेवेन्यू आयेगा, आपके पास रेवेन्यू आयेगा तो आप किसान तक उसे पहुँचाओगे, जिस किसान को सब्सिडी देने का अधिकार बनता है। आप कहते हो कि हमने नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उसके लिये पैसे का सृजन आप कहाँ से करोगे, वह उद्योग से करोगे, वह आपका जो रेवेन्यू आयेगा, उससे करोगे। उद्योग प्रदेश छोड़कर बाहर के क्षेत्रों में चले जायेंगे तो न तो आप रोजगार दे पायेंगे, न ही आपके पास रेवेन्यू आ पायेगा और अगर रेवेन्यू नहीं आयेगा तो आप प्रदेश को चलाने का काम कैसे करेंगे। और वह लोन की राशि आपने रखी 241 करोड़ रुपये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब एक योजना को डेवलप करने की बात होती है, एक पार्क को डेवलप करने की बात होती है तो हजारों करोड़ रुपया आप देते हैं। पूरे प्रदेश के शहरों की अवस्थापना सुविधाओं को ठीक करने के लिये आप मात्र 241 करोड़ रुपया देंगे ? शहरों की बढ़ती आबादी के लिये मान्यवर, आपको कोई नीति बनानी पड़ेगी। सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि महानगरों के बाहरी क्षेत्र में आबादी बहुत बढ़ रही है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है, उसके हिसाब से आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि महानगरों के बाहरी क्षेत्रों के लिये कोई न कोई पालिसी बनानी पड़ेगी। मान्यवर, खेतों में प्लाट काट दिये जाते हैं, लोग उसमें मकान बना लेते हैं। अगर उस व्यक्ति के पास इतना पैसा हो कि वह शहर में रह सके तो जहाँ सीवर नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ रहने के लिये वह मजबूर हो रहे हैं। अवस्थापना सुविधायें पाने का उसको अधिकार है। हम क्या सोच रहे हैं कि हम किस प्रकार उनके अधिकारों की पूर्ति करेंगे। जो मूलभूत सुविधायें हैं, कैसे हम उसको देंगे। मान्यवर, मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करूँगा। किसानों के गेहूँ के बारे में मैंने कहा, बिजली के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विश्वास दिलाया है, हमारे को उसके ऊपर विश्वास है। लेकिन कारण क्या हो जाते हैं कि एकदम सारे का सारा ध्वस्त हो जाता है, बिजली खरीदने की आप बात करते हैं, वह तो सरकार को खरीदनी है। जनता को तो बिजली चाहिये। आप कहाँ से खरीद कर ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, इससे उसको क्या मतलब, बिजली देना आपकी जिम्मेदारी है। इसमें भी कोई तात्कालिक योजना बनाने की जरूरत है। पानी के लिये हम योजना बनायेंगे, बिजली के लिये योजना बनायेंगे, उसके लिये साधुवाद। लेकिन अभी बिजली आ नहीं रही है, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे परीक्षायें नहीं दे पा रहे हैं और मान्यवर, बड़े शहरों में तो यह हाल है कि लाइट चली जाती है तो मोटर नहीं चलती और पानी भी नहीं मिल पाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पीने के पानी के लिये, इसमें लिखा है कि 41 हजार हैण्डपम्प चाहिये। एक विधान सभा में 100 भी तो नहीं आये। हम लोगों को 5 साल तक मान्यवर, कुछ भी नही मिला। लेकिन जो हम लोगों की उम्मीद है, उस उम्मीद को कौन पूरा करेगा। मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। मान्यवर, जिससे उम्मीद होती है, उसी को उधर बिठाया जाता है और जिससे अपेक्षायें होती हैं, उसी से कहा जाता है। मैं इस बात की मांग करने के लिये खड़ा हुआ हूँ कि क्षेत्रीय संतुलन और विकास का संतुलन बनाये रखने के लिये मैंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कहा था कि हम सब लोग जब चुनकर आते हैं तो सबकी क्वालीफिकेशन एक है और प्रदेश की जनता की अपेक्षायें भी हम सबसे एक ही हैं और वह अपेक्षायें हैं कि हम विकास का काम करें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक विधायक के लिये 500-500 हैण्डपम्प देने की कृपा करें। मान्यवर, जिस समय हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो कहना चाहता हूँ कि सड़कों के लिये मान्यवर, इसी सरकार ने दिया था, उसके लिये बधाई। 7-7 किमी0 परम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, उसके बाद जो आये उन्होंने क्या दिया, यह आपको भी मालूम है। मान्यवर, 15 किलोमीटर सड़क प्रत्येक विधायक को दी जाय, महंगाई बढ़ रही है, बिल्डिंग मैटीरियल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिये मान्यवर, मैं क्षेत्रीय विकास निधि को बढ़ाने का निवेदन कर रहा हूँ, इसके अतिरिक्त पाँच-पाँच प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण के लिए कहा गया था, मेरा निवेदन है कि मान्यवर, इसे भी किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

महाना जी अब आप समाप्त करें और श्री सईद अहमद जी आप प्रारम्भ करें।

श्री सईद अहमद-

मान्यवर, इस देश की आजादी के बाद से मुस्लिम समाज की समस्याओं को हम लोग देखते चले आये हैं। हिन्दुस्तान की आजादी में हजारों मुस्लिम नौजवानों ने अपनी जान गंवाई, हजारों घर उजाड़े गये थे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद हिन्दुस्तान से मुस्लिम समाज को एक पृथक सिस्टम से अलग कर दिया गया। उनका शोषण, उनकी सामाजिक असमानता की खाई दिनोंदिन बढ़ती गयी। हालात यहाँ तक पहुँच गये कि रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट हो या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, उसमें मुस्लिम समाज की तुलना उस समय के दलित समाज से नीचे की गई थी। मान्यवर, मुस्लिम समाज से जो भेदभाव होता रहा है, हम लोग उसी के लिए इकट्ठे हुये और पूरा का पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया है। आज सरकार द्वारा इस बजट में मदरसों में भी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके लिये मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे मुस्लिम समाज के लिए कि मदरसों में भी मिड-डे-मील का शुभारम्भ किया जा रहा है। मुस्लिम बच्चियों के लिए 30 हजार रुपये वजीफे की व्यवस्था की गई है। मैं इसके लिये सदन के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। सर्वसमाज के लिए यह बजट है किसी एक समाज के लिए नहीं, सभी गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा की पढ़ाई स्नातक स्तर तक करने का काम सरकार ने किया है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ तक कि गरीब रिक्शा चालकों को भी सोलर चालित रिक्शा देने का काम किया गया है, यह हमारी समाजवादी पार्टी सरकार की सोच है। इससे पहले की सरकार ने क्या किया है, गरीबों का शोषण किया है, दलित समाज भी उस सरकार में पीड़ित रहा है। उनके विधायकगण कहते थे कि भाई हम तुम्हारे वोट की कीमत तो बहन जी को देकर आये हैं, हम तुम्हारा काम क्यों करेंगे। आज हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने सभी समाज को साथ लेकर चलने का काम किया है और उसमें दलित समाज को भी सारी की सारी सुविधायें देने का काम किया जा रहा है। यह बहुत सराहनीय बात है। गरीब रिक्शा चालक में हर समाज के लोग होते हैं, मुफ्त इलाज की व्यवस्था में, किसानों की कर्ज माफी की व्यवस्था में हर समाज के लोगों को लाभ होता है। आज किसानों को मुफ्त बिजली देने का हमारे बजट में प्रावधान किया गया है। यह बहुत बड़ी बात है, यह किसानों के लिये सरकार की नीति है और यह सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। किसान बीमा के द्वारा किसानों की आकस्मिक मृत्यु पर उन्हें पाँच लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है, यह भी सरकार का किसानों के प्रति सकारात्मक रुख है कि हमारे किसानों को कोई दिक्कत न हो। इसके अतिरिक्त जो बच्चियाँ अच्छे नम्बरों से पास होंगी उन्हें साइकिल देने की व्यवस्था की जा रही है, इसमें भी सभी समाज की बच्चियों को लाभ मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि विकलांगों तक के लिए इस बजट में व्यवस्था की गयी है। विकलांगों को साइकिल हो या ट्राइसाइकिल देने की बात हो या उनके जीवन स्तर को सुधारने की बात कही गई हो, मान्यवर, समाज के हर पहलू के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से यह सम्पूर्ण बजट है। अगर इस बजट पर कोई टिप्पणी करता है तो वह पहले अपने पुराने बजट को देखे कि उसमें उन्होंने क्या कहा था और क्या किया था। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस

बजट की आलोचना करना बन्द करें। यह एक अच्छा बजट आया है, सभी लोग इसमें सहयोग करें और इसको लागू होने से प्रदेश में सहयोग करें। आज प्रदेश में एक अच्छी सरकार आयी है। एक अच्छा बजट आया है, इसमें हर समाज की सुनी जायेगी। हर समाज के लिए कार्यक्रम निर्धारित है, यहाँ कोई भेदभाव की भावना नहीं है, भेदभाव के कारण यह भारतवर्ष पिसता रहा है, भेदभाव और हिन्दू मुस्लिम की भावना से जितने भी कार्य किये गये हैं, ये गलत हैं, मैं तो यहाँ सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कह देना चाहता हूँ कि साढ़े पाँच साल उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। केन्द्र में भी पाँच साल आपकी सरकार रही है, कितने किसानों का भला हुआ है, कितने नौजवानों का भला हुआ है, उत्तर प्रदेश का क्या भला हुआ है, केन्द्र और प्रदेश में आपकी सरकारें रहीं हैं। आप प्रदेश का विकास कर सकते थे, पूरे पाँच साल बसपा की सरकार रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि किसका जीवन स्तर उठा है। सिवाय लूट खसोट कमीशनखोरी इसके अलावा कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। पूरा प्रदेश खोखला करने का काम किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ, पूर्ववर्ती सरकारों से हमारे सभी लोगों से कि इस बजट की आलोचना न करें। इस बजट में इस सरकार को चलाने में पूरा-पूरा सहयोग करें। इसी के साथ मैं इस बजट का पूर्ण रूपेण समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

महोदय मैं सर्वप्रथम आपसे अनुरोध करूँगा कि जैसा कि लोक सभा में प्राविधान है कि पहली बार निर्वाचित सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाता है, तो समय सीमा में नहीं बांधा जाता है। मान्यवर, नये सदस्यों को जरूर अधिक समय देने की कृपा करें। मैंने देखा था कि प्रबोधन कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में चलाया गया था। नये सदस्यों को बहुत सी जानकारी हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने प्रदान की थी, लेकिन इस सदन में सत्र के दौरान जो कुछ भी देखा जिन माननीय वरिष्ठ नेताओं ने हम लोगों को नियमों की जानकारी प्रदान की, लेकिन तो नियमों का अगर कहीं उल्लंघन होता है तो वरिष्ठ साथियों द्वारा ही सबसे ज्यादा उल्लंघन किया जाता है। नये सदस्यों को नियमों का हवाला देकर बोलने से वंचित किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

बजट पर सामान्य चर्चा है।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम लोगों ने बहुत बरीकी से उसकी जानकारी ली है। मैं बुन्देलखण्ड क्षेत्र से आता हूँ, बुन्देलखण्ड की बजट में घोर उपेक्षा की गयी है। बुन्देलखण्ड जो आजादी के 65 वर्षों से पिछड़ा हुआ है, वहाँ के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता है। मान्यवर, पिछले पाँच वर्षों में बहन मायावती के कार्यकाल में जो कुछ भी कार्य हुये हैं, वह अत्यन्त सराहनीय कार्य हुए हैं। पाँच वर्षों में वहाँ इंजीनियरिंग कालेज, पालीटेक्निक, सड़कों या पुलों के बारे में जो कार्य हुए हैं, उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी बहन मायावती जी का कि उन्होंने बुन्देलखण्ड वासियों के दर्द को बहुत नजदीक से जाना और समझा। लेकिन 65 साल की खस्ताहाल समस्या को पाँच साल में खुशहाल खस्ताहाल नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, आज बुन्देलखण्ड में पानी की घनघोर समस्या है, सड़कों का अभाव है, सिंचाई के संसाधन नहीं हैं,

अस्पताल नहीं हैं, इंजीनियरिंग कालेज नहीं हैं, खासतौर से चित्रकूट मण्डल जिसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र महोबा पड़ता है, माननीय मुलायम सिंह जी तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने उस जिले का गठन किया था। लेकिन लगभग 17 साल हो गये हैं, अभी भी वहाँ काफी कुछ होना बाकी है। आज पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार आयी है, लेकिन उसके बावजूद माननीय नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उनके पिता श्री मुलायम सिंह जी ने उस जिले का गठन किया था, लेकिन फिर भी मुख्य मंत्री जी ने बजट में महोबा जनपद का ध्यान नहीं दिया। वहाँ के लिए एक भी योजना को शामिल नहीं किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जो समस्यायें हैं, खासतौर पर मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो समस्यायें हैं उसको बजट में शामिल करने की उन्होंने कृपा नहीं की है, जिससे वहाँ पर भारी जनाक्रोश है, हमारे क्षेत्र में। मान्यवर, विकास योजनाओं के अतिरिक्त मैं बुन्देलखण्ड के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा, बुन्देलखण्ड की जो समस्या है वह वगैर बुन्देलखण्ड राज्य बने वहाँ की समस्या दूर होने वाली नहीं है। बुन्देलखण्ड राज्य के लिए जब मैं लोक सभा का सदस्य था, 2008 में मैंने लोक सभा में बुन्देलखण्ड राज्य अलग करने की मांग उठाई थी, उस समय तत्कालीन गृहमंत्री भारत सरकार श्री शिवराज पाटिल थे, उन्होंने मुझे लिखित जवाब दिया था कि विधान सभा से पारित किया हुआ प्रस्ताव आने पर ही केन्द्र सरकार विचार करेगी। मैं बहन मायावती जी को धन्यवाद दूँगा, केन्द्र सरकार की जो माँग थी, बहन मायावती जी ने बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार के पास भेजा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वही केन्द्र सरकार जिसने लिखित जवाब दिया था कि विधान सभा से पारित प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन आज अड़ंगेबाजी का काम कर रही है। मान्यवर, विधान सभा में निर्वाचित समाजवादी पार्टी की सरकार है, मैं उससे अनुरोध करूँगा कि बुन्देलखण्ड को अलग राज्य का दर्जा प्रदान करने में उचित कार्यवाई करने की कृपा करें। मान्यवर, बुन्देलखण्ड खनिज आधारित उद्योगों पर निर्भर है। वहाँ पर खनिज की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के लोग पलायन करने के लिये मजबूर हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये मैं सरकार से माँग करूँगा कि खनन उद्योगों के लिए बजट में कोई प्राविधान कर दें तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो बालू, गिट्टी और पत्थर के अलावा आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो बहुमूल्य धातुयें हैं, हीरा, सोना, चाँदी, क्रोमियम, निकिल, अभ्रक, चूना पत्थर, सीमेण्ट पत्थर हैं, इन सबकी अकूत सम्पत्ति है। महोदय, खनिज सम्पदा के साथ वन सम्पदा की भी वहाँ कमी नहीं है। वहाँ पर अधिकांश बहुमूल्य जड़ी-बूटियाँ हैं, कीमती सागौन और शीशम की लकड़ी की बहुतायत है, लेकिन ऐसे उद्योगों को बढ़ावा न देने के कारण वहाँ के किसान और मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करूँगा कि वहाँ के गरीबों, मजदूरों का पलायन रोकने के लिए खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने की कृपा करें। महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में भी अवगत कराना चाहूँगा कि बजट में कोई प्राविधान बुन्देलखण्ड के लिए नहीं किया गया। बुन्देलखण्ड वह क्षेत्र है जिसका इतिहास वीरों से भरा पड़ा है, आप जानते हैं कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूँ वह आल्हा-ऊदल की नगरी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि "आल्हा-ऊदल बड़े लड़ैया जिनसे हार गयी तलवार, एक के मारे दो मर जायें, तीसरा देख-देख मर जाय।" बुन्देलखण्ड में झाँसी की रानी का भी इतिहास भरा पड़ा है। 'बुन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मरदानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।' महोदय, ऐसे वीर-पराक्रमी लोगों के इतिहास से बुन्देलखण्ड भरा पड़ा है। पर्यटन क्षेत्र में अगर सरकार बढ़ावा दे दें

तो निश्चित रूप से हमारा विधान सभा क्षेत्र महोबा जो कि खजुराहो से लगा हुआ है। अनेक चन्देल कालीन अवशेष वहाँ पर हैं, जिनको वहाँ पर उचित संरक्षण प्रदान कर दिया जाय। वहाँ पर झीलें, तालाबें, मठ, किले इत्यादि ऐसी चीजें हैं जिन पर अगर सरकार ध्यान दे तो निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, उससे वहाँ के लोगों की आय भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 बुधौलिया जी, अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

महोदय, आपने काफी समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि बुन्देलखण्ड की उपेक्षा न की जाय, वहाँ के लिए स्पेशल बजट दिया जाय। धन्यवाद।

* डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, आय-व्ययक का जो लेखा होता है, यह सार्वजनिक निधि के ऊपर इस सम्मानित सदन का अधिकार होता है, लेकिन हम नहीं समझते कि यह सरकार इस बजट के प्रति संवेदनशील हैं। मा0 नेता सदन भी नहीं हैं, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी भी नहीं हैं और सम्भवतः मा0 मंत्रिगण की भी संख्या कम है। मुश्किल से सत्तापक्ष के, मान्यवर, आपने कहा कि कोरम पूरा है, मैं कोरम की बात नहीं कह रहा हूँ, सत्तापक्ष से मुश्किल से 30-35 माननीय सदस्य उपस्थित होंगे। माननीय अधिष्ठाता जी, किसी भी सरकार का बजट वह अच्छा माना जाता है, जिसमें आय अधिक हो, व्यय कम हो। लेकिन इस सरकार में जो बजट मा0 मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, यह घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। इस सरकार पर ऋण जो दिखाया गया है, बजट में अन्तिम शेष सरकार पर है, दस हजार एक सौ चौरासी करोड़ चौंसठ लाख रुपये का अनुमानित कर्जा इस सरकार पर है। यह कैसे चलायेंगे ? मा0 अधिष्ठाता जी, अभी ढाई महीने के समय में जो प्रदर्शन प्रदेश की जनता के सामने हुआ है। मान्यवर, प्रदेश की जनता ने बड़े अरमानों के साथ समाजवादी पार्टी सरकार का गठन किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर अपना बजट प्रस्तुत किया है। यह बहुत अच्छा बजट नहीं है, इसमें किसानों, गरीबों के बारे में कोई परिकल्पना नहीं की गयी है, उनके लिए कोई योजना नहीं दी गयी है। मान्यवर, इस सरकार के इस ढाई महीने के शासनकाल में आम नागरिक अपने को उपेक्षित सा महसूस कर रहा है। चाहे थाना हो, तहसील हो, कोर्ट हो, कचेहरी हो या अन्य सरकारी महकमें वहाँ सब जगह दलाली हो रही है। वही अत्याचार मौजूद है, वही शोषण है, वही दुराचार हो रहा है। इससे आम नागरिक परेशान है। मेरा इस बजट की अलोचना करने का अर्थ यह है कि यह सरकार आम नागरिकों की भावनाओं को समझे और उसकी भावनाओं के अनुरूप काम करे। मान्यवर, है क्या जो कार्यशैली बसपा सरकार में थी, वही सपा सरकार में है, दोनों एक ही पैटर्न पर काम कर रही है। बसपा सरकार के हटने के बाद नई सरकार बनने के बाद से कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। बसपा सरकार में भी भ्रष्टाचार था। सपा सरकार में भी भ्रष्टाचार है। थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। बिना लूट खसोट के किसी गरीब की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात थानों में तहसीलों में सुनी नहीं जाती है। पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यशैली वही बनी हुई है जो बसपा सरकार के समय में थी।

(समाजवादी पार्टी के एक सदस्य के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

अभी आप बैठ जायें। जब माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण हो जाये तब आप बोल लीजियेगा।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा था कि एक सदस्य उधर से बीच में उठकर बोलने लगे, आप हमारा समय नहीं काटेंगे। मान्यवर, बसपा सरकार और सपा सरकार में समानता है। बसपा सरकार में हाथी, पत्थर और पार्क की बात होती रही, सपा सरकार में भी माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री जी ने पार्कों की, चारदीवारी के निर्माण की बात कही है, और बकायदा उसके लिए बजट में आवंटन भी किया है। कब्रिस्तानों की चारदीवारी बनाने के लिए बजट का आवंटित किया है। मान्यवर, जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर पार्क बनाने के लिए 501 एकड़ जमीन को चिन्हित करने की बात कही है, उसके लिए बहुत बड़ी धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए कह रहा हूँ यह कि बसपा की कार्यशैली में और इनकी कार्यशैली में कोई अन्तर नहीं है। दोनों में समानता है। मान्यवर, बेटी समाज की इज्जत हुआ करती है चाहे वह किसी भी धर्म की क्यों न हो। लेकिन सपा सरकार ने बेटियों को बांटने का काम किया है, धर्म के आधार पर। उसमें भी भेदभाव कर दिया गया है। अगर मुस्लिम परिवार की बेटी है तो उसकी पढ़ाई की छात्रवृत्ति और विवाह में सहयोग के लिए 30 हजार रु0 का अनुदान मिलेगा, वहीं हिन्दू जाति की बेटी है तो उसको दस हजार रु0 मिलेगा। मान्यवर, संविधान में धर्म निरपेक्ष की बात कही है। धर्म सापेक्ष की बात नहीं कही गयी है। इसमें सरकार ने धर्म के आधार पर बजट के आवंटन का काम किया है जो गलत है। सबको समान रूप से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये। धर्म के आधार पर बजट का आवंटन न हो। क्योंकि इस बजट पर समेकित रूप से सबका समान अधिकार है। किसानों की बात कही गयी है, 400 करोड़ रु0 का आवंटन किया है, किसानों का बकाया भुगतान का है 500 करोड़ रु0। यह सरकार किसानों की बात करते हैं। मान्यवर, अभी गन्ने की बात आयी है, गेहूँ की बात आयी है उसका उचित मूल्य किसानों को मिलना चाहिये और उसके उपज की पर्याप्त रूप से खरीद की व्यवस्था होनी चाहिये। मान्यवर, किसान को डीजल मिले, पानी मिले, बिजली मिले, सिंचाई की सुविधा मिले यह उसका अधिकार है। इन सारे बिन्दुओं पर इस सरकार ने बजट में किसानों की उपेक्षा की है। उनके प्रति उदासीनता बरती है। मैं चाहता हूँ कि यह सरकार किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर ले और उनका समाधान करे। ऋण माफी योजना को बढ़ाया जाय। किसी की भी जमीन ऋण के सम्बन्ध में नीलाम न होने पाये। इसकी व्यवस्था यह सरकार करे। बाकायदा इनके अधिकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार किसानों पर जो खेती पर कर्जदार हैं उनके ट्रैक्टर नीलाम कर रहे हैं, उनकी जमीनों को नीलाम करने की बात की जा रही है। मेरी तहसील आंवला में अभी राजेन्द्र गुप्ता का ट्रैक्टर सिर्फ इसलिए खींच लिया गया कि 1 लाख रुपये का कर्जा वह नहीं दे पाये और उनकी जमीन की नीलामी की बात की जा रही है तो अधिष्ठाता जी, हम सरकार से बताना चाहते हैं कि जो वायदा किया है, उसमें चुनावी घोषणा-पत्र में कहा है उसको पूरा करने का काम यह सरकार करे। मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश के विकास की योजना

बननी चाहिये, समग्र विकास की बात हो। इन्होंने बुन्देलखण्ड के विकास की बात कही, पूर्वांचल के विकास की बात कही, ठीक है, इसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल का भी विकास हो लेकिन इसके साथ ही मध्यांचल और पश्चिमांचल के बारे में भी चिन्ता करनी चाहिये। इसके बाद में विकास की बात आनी चाहिये। मान्यवर, मेरे यहाँ दुग्ध फैक्ट्री है, पराग की वह बन्द होने जा रही है और हो चुकी है। इस तरह से फैक्ट्रियों का विकास होना चाहिये, जो किसानों से जुड़ी समस्या है। पशुपालन को बढ़ावा दिये जाने की बात कही, पशुपालन को बढ़ावा कब दिया जाना चाहिये, मान्यवर, मांस के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। मांस का निर्यात बाहर हो रहा है और पशु ज्यादा कट रहे हैं और जब मांस के निर्यात पर प्रतिबन्ध हो जायेगा तो पशु कम भी कटेंगे और वह मांस यहीं रहेगा तो यहीं के लोगों को खाने को भी मिलेगा, बाहर नहीं जायेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मांस के निर्यात पर तत्काल रोक लगाने का काम करे।

मान्यवर, दो तरह के मजदूर होते हैं, कुशल और अकुशल। इस सरकार ने अकुशल मजदूरों के बारे में कोई चिन्ता नहीं की गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, 2-3 बातें और महत्वपूर्ण रह गयी हैं। मैं इनको कहकर बैठ जाऊँगा। मान्यवर, जिस तरह से ब0स0पा0 सरकार ने इक्सप्रेस वे बनाई, यमुना एक्सप्रेस वे बनाया और एक्स्प्रेस वे की बात कही। ठीक इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार भी एक्सप्रेस वे बना रही है। कानपुर से लखनऊ तक यह एक्सप्रेस वे बने, अच्छी बात है इस एक्सप्रेस वे का नाम दिया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। आगरा से लखनऊ तक इसको और बढ़ाने का काम करे। यह सरकार चाहती है। शिक्षा में हुजूर के बेटे हुजूर रहे और मंजूर के मजूर रहें। मान्यवर, शिक्षा में गुणवत्तापरक नीति अपनानी चाहिये। उन प्राइमरी पाठशालाओं में जिनमें अध्यापक नहीं हैं, जिनमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उस प्राथमिक शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था करनी चाहिये। मान्यवर, कुशल मजदूर भी प्रदेश में आवें, आई0टी0आई0 मात्र सोनभद्र में बनाने की बात कही है। स्किल डेवलपमेन्ट मात्र सोनभद्र में बनाने की बात कही है। इस तरह से स्किल डेवलपमेन्ट सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में बनाया जाय। मान्यवर, इसी तरीके से जैसे आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई में बना है, उसी तरह से बरेली में भी बनायें। इसके साथ ही आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

मो0 इरफान-

मान्यवर, मैं अभी-अभी जब यहाँ से उठकर गया तो टी0वी0 पर यह खबर चल रही है कि स0पा0 विधायक के भाई द्वारा फायरिंग, स0पा0 विधायक के बेटों द्वारा फायरिंग, जबकि मेरी बीबी अस्पताल में पी0जी0आई0 में एडमिट है, मेरे चारों बेटे वहाँ मौजूद हैं और मैं यहाँ मौजूद हूँ और इस तरह से अनर्गल खबरें टी0वी0 पर आ रही हैं और यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने या मेरे भाई या बेटों ने कोई जो बीडीसी की मीटिंग हो रही थी, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न किया और इस

तरह का जो आरोप है वह कहीं न कहीं [xxx] की तरफ से लगाया जा रहा है चूँकि [xxx] मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था और वह बहुत ही शरारती है, उन हालात में जब उसने सारी सीमायें पार की थीं, बदत्तमीजी की यह उसी का नतीजा है जो उसके द्वारा बदत्तमीजी की जा रही है। इसमें मेरे भाई या मेरा या मेरे बेटों का कोई ताल्लुक इस झगड़े से नहीं है, न किसी मीटिंग व्यवसाय से मेरा कोई ताल्लुक है क्या वहाँ पुलिस नहीं थी, उसको कोई जातिय मामला रहा होगा, लेकिन जो टी0वी0 पर खबर आ रही है, इसलिये मेरी तरफ से यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है। सरकार इस पर नोटिस ले और ऐसे आदमी पर जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मेरे घरवालों पर आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

इसको दिखवा लें, इस प्रकार का अनर्गल नहीं आना चाहिये।

डा0 वकार अहमद शाह (श्रम एवं सेवायोजन मंत्री)-

मान्यवर, दिखवा लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय इरफान साहब, जब किसी माननीय सदस्य का नाम लेते हैं तो उसके लिये एक पूरी व्यवस्था है, नियमों में व्यवस्था है। किसी का नाम लेने से पहले सूचना देनी चाहिये। इस तरह से किसी का नाम नहीं लिया जाता। आप चूँकि नये सदस्य हैं, इसलिये आपको जानकारी दे दी। वकार साहब को बता दिया है सरकार को बोल दिया है, इसको दिखवा लेंगे। अब श्री राम लाल अकेला बोलेंगे, साधारण बजट पर, उसके बाद दलजीत सिंह और उसके बाद श्री उमा शंकर सिंह।

* श्री राम लाल अकेला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने 2012-2013 के बजट भाषण पर हमको बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य का यह बजट 2 करोड़ लाख को पार कर रहा है और 2011-2012 के बजट के सापेक्ष 18 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। मान्यवर, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नेता सदन इस बजट भाषण को सदन के अन्दर रख रहे थे जो बजट किसानों की खुशहाली का बजट है, समाज का जो अन्तिम चेहरा है उस चेहरे पर मुस्कान लाने के लिये जब बजट माननीय नेता सदन यहाँ पर पढ़ रहे थे तो नेता प्रति पक्ष इस शानदार बजट को सुनने के बजाय सदन का बॉय काट कर रहे थे। मैं इसकी निन्दा करता हूँ और हमने ऐसा महसूस किया कि हमारे नेता सदन जो बजट किसानों के लिये प्रस्तुत कर रहे थे, अल्पसंख्यकों के लिये, सर्वहारा वर्ग के लिये जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा था वह उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि अखिलेश कुमार यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की ओर प्रगति करे। मान्यवर, अभी नेता प्रतिपक्ष गेहूँ खरीद पर, बिजली पर, खाद पर घड़ियाली आँसू बहाने का काम कर रहे थे। हमारी सरकार के गठन के मुश्किल से ढाई महीने बीते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष को अपना कार्य-काल याद करना चाहिये। हमारे यहाँ ढाई महीने कार्य काल में किसानों के गेहूँ की खरीद की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और यह चेकिंग की जा रही है

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि अधिकारी क्रय केन्द्रों पर जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी औचक निरीक्षण पर जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अपना कार्य-काल याद करें। पूरे का पूरा गेहूँ और धान बिचौलियों और दलालों के माध्यम से आपने खरीदने का काम किया। जिस तरीके से पूरे प्रदेश का जो बजट, जो पैसा, जो धन गरीबों के विकास में खर्च होना चाहिये था वह पूरे प्रदेश के विकास के बजाय आपने समूचे उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। किसान को एक बोरी खाद के लिये हफ्तों तक भगाते रहे। एक बोरी खाद के लिये किसानों के ऊपर लाठियाँ बरसाते हुए आपको लाज नहीं आयी। आज यह सरकार किसानों के मुरझाये चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने कहा है कि हम डॉ0 राम मनोहर लोहिया जी के नाम से समग्र विकास योजना चलाने का काम करेंगे। ऐसे गाँव जो विकास से वंचित हैं, उनको चयनित करके वहाँ विकास की सम्पूर्ण सुविधायें मुहैया कराने का काम करेंगे। आपने क्या किया ? आपने तो केवल भाषण दिया। आपकी नेता ने क्या किया ? अभी एक माननीय सदस्य बुन्देलखण्ड के बारे में कह रहे थे। झाँसी की रानी की बात कर रहे थे। आप लोगों ने तो केवल भाषण दिया। आपकी नेता ने क्या किया, झाँसी की रानी के नाम पर। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने झाँसी की रानी के नाम पर पेंशन योजना को शुरू करके उनको सम्मान देने का काम किया है। हमारे नेता ने तो जो वायदा किया उसके लिये इस बजट में पूरी तरह से उसको प्राविधान किया है। चाहे कन्या विद्या धन का मामला हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते का मामला हो। सबसे बड़ी बात है, आप याद करो कि जब नेता सदन की हैसियत से, मुख्य मंत्री की हैसियत से, जब बहन मायावती उड़नखटोले से देहातों में जाती थीं और जब कोई गरीब फरियाद लेकर आता था, तो फरियाद तो सुनी नहीं जाती थी बल्कि लाठियों से उसके शरीर को छलनी कर दिया जाता था। लेकिन उन्हीं गरीबों के लिए पहली बार आपको धन्यवाद देना चाहिये था। नेता सदन को, कि उन्होंने बजट भाषण दिया और व्यवस्था किया है कि गाँव में जो गरीब महिलायें हैं, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलायें हैं आपने तो गरीबों और दलितों को छलने का काम किया है, लेकिन हमारे नेता ने कहा है कि साल में दो बार दो-दो साड़ियाँ और बुजुर्गों को एक-एक कम्बल देने का काम किया जायेगा। यह शानदार फैसला अखिलेश यादव जी ने लिया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

उन्होंने गरीबों के लिए कहा है कि हम रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के माध्यम से जो गरीब पेंशन पाने से वंचित हैं, उनको पेंशन देने का काम किया जायेगा। और सबसे बड़ा काम मुख्य मंत्री जी ने किसानों के लिये किया है जो किसान खेत में काम करते समय किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते थे तो उसका परिवार अनाथ हो जाता था, आपको मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये था। आपने पाँच साल सरकार चलायी, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो किसान बीमा योजना के लिए एक लाख देने का काम किया था, उसमें आप दस हजार बढ़ा देते, आप दो हजार बढ़ा देते, आपने कोई राशि बढ़ाने का काम नहीं किया, आप लोगों का देने का दिल नहीं था। आज अखिलेश यादव जी ने शानदार काम किया है किसान बीमा योजना की राशि को एक लाख से बढ़ाकर पाँच लाख कर दिया है। यह इतिहास कायम किया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सबसे बड़ा काम किया है बजट में कृषि का फीडर अलग, गाँव की बत्ती का फीडर अलग और बिजली की आपूर्ति के सुधार के लिए जो छोटे से कार्यकाल में शानदार कदम उठाया है हमारे नेता सदन ने, उसकी आपको प्रशंसा करनी चाहिये। आपको याद होगा जब बिजली की व्यवस्था के लिए हमारे नेता ने दादरी में पावर प्लान्ट लगा रहे थे तो आप लोगों ने साजिश करके उस प्लान्ट को नहीं लगने दिया। तब अगर यह प्लान्ट लग जाता तो उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी न होती। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती। पूरे प्रदेश मे विकास होता, औद्योगिक विकास होता। उत्तर प्रदेश में भी बड़े-बड़े उद्योग लगते। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाती। लेकिन आप लोगों ने साजिश किया, आज हमारे मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये लगातार प्रयासरत हैं, इसलिये मान्यवर, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इस बजट में एक बात उठाना चाहता हूँ। मान्यवर, जो पंचायत मित्र हैं, उसका भत्ता तीन हजार, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं इनको भी माननीय नेता जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल में पाँच सौ रुपया देने की बात कही थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसको इसमें जोड़ा जाय और ग्राम प्रधान को पाँच हजार रुपया भत्ता और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को कम से कम एक हजार रुपया भत्ता देने का काम किया जाय। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि आज जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय जगह-जगह बने हैं। सर्व शिक्षा अभियान के इन विद्यालयों में कम्प्यूटर, साइकिल तमाम ऐसी कीमती चीजें विद्यालयों में सुसज्जित की गई। विद्यालय बंद है कोई चौकीदार नहीं है विद्यालयों में कब ताला टूट जाए क्या हो जाए पता नहीं है मेरा सुझाव है कि उन विद्यालयों की सुरक्षा के लिए एक चौकीदार की तैनाती की व्यवस्था करने का काम किया जाए। इसके अलावा मान्यवर, क्योंकि प्रधान अध्यापक चाहे जूनियर का हो, चाहे प्राथमिक का हो आज इतनी लिखा-पढ़ी आ गई है, चाहे जनगणना का हो और तमाम मुद्दे हैं इससे प्राथमिक शिक्षा जहां गांव का गरीब बच्चा पढ़ता है वह गड़बड़ हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं, शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसके लिए हर एक विद्यालय में कम से कम एक बाबू की व्यवस्था अगर हो जाए तो अध्यापक जो तमाम कामों में लगता है, चाहे संविदा पर रखे जायें। अब मैं अन्त में, जो शानदार बजट 2012-2013 का प्रस्तुत हुआ है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और समूचे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन ने प्रदेश के चहुमुखी विकास का जो यह बजट प्रस्तुत किया है, कानून-व्यवस्था को सुधारने का काम किया है, रुके हुए विकास के पहिए को आगे बढ़ाने का काम किया है। लूट मची थी, जंगलराज मचा था, डकैती हो रही थी, उन सारी समस्याओं से उबारने का अगर किसी ने काम किया है तो उसका नाम है, अखिलेश यादव, उसका नाम मुलायम सिंह यादव। आलोचना चाहे जितनी कर लो लेकिन एक काम कभी नहीं कर पाओगे, तुमने तो डकैती डालना सीखा, रिश्वतखोरी करना सीखा, दलाली करना सीखा। अगर विकास करना किसी ने सीखा है तो समाजवादी पार्टी ने सीखा है, अखिलेश यादव ने सीखा है, मुलायम सिंह यादव ने सीखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

अब श्री दलजीत सिंह जी, उसके बाद श्री उमा शंकर सिंह जी और उसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति जी।

श्री दलजीत सिंह-

अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रखे गए बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड के तिन्दुवारी विधान सभा से चुनकर पहली बार आया हूं। बजट भाषण में 900 करोड़ ही क्षेत्र को दिया गया है जिससे हमारे क्षेत्र का किसान निराश है, दुखी है क्योंकि बजट में बहुत कम धन की व्यवस्था की गई है। वहां पर किसान भूख, प्यास, बेरोजगारी और कर्जे से परेशान होकर आत्म-हत्याएं कर रहा है। पूर्व के 7-8 सालों में 2829 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि बजट और बढ़ाया जाए। वह सूखा एरिया है, वाटर लेविल दिन-प्रति दिन डाउन हो रहा है। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है।, इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ट्यूब-वेल वाटर लेविल डाउन होने की वजह से भस्ट हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। वहां नदियां बहुत हैं, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सरकार से कि वहां बड़े बांध बनाकर अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिए जायें तो काफी समस्या हल हो जायेगी। बुन्देलखण्ड की धरती उपजाऊ बहुत है, अगर पानी मिल जाए तो वहां का किसान भुखमरी से आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होगा। हमारे क्षेत्र में खनिज सम्पदा बहुत है। माननीया साध्वी जी हमीरपुर से भाजपा की विधायक हैं, उन्होंने मांग की थी कि जो सरकारी राजस्व खनिज सम्पदा से सरकार का आता है, उसका अगर 50 परसेण्ट ही उस क्षेत्र को विकसित करने में लगा दिया जाए तो सारी समस्याएं दूर हो जायेंगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेश की नहीं सिर्फ बुन्देलखण्ड के बारे में कहना चाहता हूं, वहां भ्रष्टाचार चरम पर है, पिछड़ा क्षेत्र है, लोग जागरूक नहीं हैं। पहले तो कोई अधिकारी बुन्देलखण्ड जाना नहीं चाहता और गलती से अगर एक बार चला गया तो आना नहीं चाहता और उसका कारण यह है कि चाहे जो भी विभाग हो, 10 परसेण्ट से लेकर 40 से 50 परसेण्ट तक कमीशनखोरी और दलाली में लिप्त हो जाते हैं। अंधाधुन्ध लूट गरीब आदमी के पैसे की हो रही है, किसी भी अधिकारी को वहां एक बार पोस्ट कर दीजिए, कभी वहां से आना नहीं चाहता। जितने दिन की नौकरी बची है, पूरा टाइम वहीं गुजारना चाहता है। इसलिए कम से कम बुन्देलखण्ड का भ्रष्टाचार रोकने के लिए अलग से बजट का प्राविधान होना चाहिए। अगर बुन्देलखण्ड का भ्रष्टाचार रुक जाये तो सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जायेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार की जननी, हम लोगों को जो निधियां मिलती हैं, शुरुआत इन्हीं से होती है। मैं पूरे प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ बुन्देलखण्ड के लिए निवेदन करना चाहता हूं, हमें जो सवा करोड़ की निधि मिलती है, वह भी समस्या की जड़ है। यह निधि समाप्त करके हमें संस्तुति का अधिकार दे दिया जाए। सवा करोड़ के बजाय चाहे 10 करोड़ का दिया जाए, लेकिन निधि खत्म कर दी जाए। निधियों का दुरुपयोग होता है ओर जब जनप्रतिनिधि निधियों का दुरुपयोग करते हैं तो अधिकारी उससे ज्यादा करते हैं और तब हम लोग उसको रोक नहीं पाते हैं। मान्यवर, हम निधि का सारा पैसा विद्यालय में लगाकर या तो व्यवसाय करते हैं या हम किसी ठेकेदार को एडवांस में पैसा लेकर पूरी निधि पहले ही बेंच देते हैं या किसी दूसरे के विद्यालय में देते हैं तो पहले ही नकद 35-40 प्रतिशत ले लेते हैं। जब हम लोग पहले ही यह शुरुआत कर लेते हैं तो अधिकारियों के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाते हैं। मेरी मांग है कि सिर्फ विकास के लिए यह सवा करोड़ के बजाये दस करोड़ रुपये कर दिया जाये लेकिन

हमें सिर्फ संस्तुति का अधिकार मिले हमें सीधे निधि न मिले। बुन्देलखण्ड में ऐसी व्यवस्था करा दीजिए। अगर भ्रष्टाचार दूर हो जाये और हमारे बुन्देलखण्ड के प्रतिनिधि संकल्प ले लें कि हम लोग भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे तो 5 साल में अपने आप ही विकास हो जायेगा। अभी पूर्व में केन्द्र सरकार ने बुन्देलखण्ड पैकेज दिया था। उसकी जांच करा ली जाये। एक भी पैसा सही ढंग से किसी योजना में नहीं लगा है। सिर्फ कागजों में खर्च हुआ है और बाकी सारा पैसा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर बंदरबाट किया है। मैं सिर्फ अधिकारियों का दोष नहीं देता। हम भी जिम्मेदार हैं। हमारी भी उस बेइमानी में हिस्सेदारी होती है। इसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। विशेष रूप से बुन्देलखण्ड के लिए जरूर कोई नीति बननी चाहिए जहां का गरीब मजदूर किसान बेरोजगारी, भूख और प्यास और कर्ज से परेशान होकर आत्महत्याएं कर रहा है। अभी इसी मई महीने में 12 लोगों ने सिर्फ कर्जे से परेशान होकर आत्महत्यायें की हैं। इसकी जांच करा ली जाये। इस ओर ध्यान दिया जाये। हमारी जो खनिज सम्पदा है उसका कम से कम जो 50 प्रतिशत राजस्व बुन्देलखण्ड के विकास में लगे, मान्यवर, बुन्देलखण्ड में बालू और गिट्टी का बहुत ही बड़े पैमाने पर खनन होता है। पूर्व की सरकार में गुण्डा टैक्स नाम से योजना चली थी। जितना पैसा गुण्डा टैक्स गया है अगर वह सारा पैसा सरकार के खाते में आ जाता तो बुन्देलखण्ड अपने आप विकसित हो जायेगा। एक गाड़ी में सिर्फ चार सौ रुपया रायल्टी दी जाती थी और 3000-5000 रुपया गुण्डा टैक्स वसूला जाता था। अगर वह सारा पैसा राजस्व खाते में लाकर वहां लगा दिया जाये तो कहीं से किसी बजट की जरूरत नहीं है और बुन्देलखण्ड पैकेज का जो शेष पैसा बचा है उसे आगे कहीं किसान हित में खर्च किया जाये। यही मेरा विनम्र निवेदन है। अब मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उमाशंकर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैंने इस बजट भाषण का जितना भी अध्ययन किया तो पाया कि एक तरफ बजट भाषण में इस बात का जिक्र है कि बजट पिछली बार के बजट की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक दर्शाया गया है। जिससे कि बजट दो लाख करोड़ रुपये की सीमा पार कर रहा है। श्रीमन्, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आप भी नियोजन मंत्री रहें हैं। मान्यवर, एक तरफ पूर्वांचल की विशेष योजना के बारे में जिक्र किया गया है और एक तरफ बुन्देलखण्ड की विशेष योजना के बारे में जिक्र किया गया है। मैं नहीं कहता कि बुन्देलखण्ड के लिए जितना धन दिया गया है वह काफी है लेकिन यह जरूर कहूंगा कि पिछली बार पूर्वांचल की विशेष योजना के लिए 291 करोड़ रुपया दिया गया था। एक तरफ हम 18 प्रतिशत बजट बढ़ा रहे है। लेकिन एक तरफ पूर्वांचल के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं जो नाइंसाफी कर रहे हैं उसमें हम एक प्रतिशत की भी वृद्धि नहीं दर्शा रहे हैं। जो इस बजट भाषण के प्रावधान में दर्शाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करुंगा कि पूर्वांचल के साथ इस तरह का भेदभाव न हो। यदि आप अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन मैंने देखा है कि किसी-किसी बजट में चाहे नगर विकास विभाग हो, तमाम विभाग के बजटों में 52 से 53 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। कहीं 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है स्वागत योग्य है, लेकिन पूर्वांचल के साथ इस तरह का भेद-भाव उचित नहीं है, इसके लिए मैं आपके

माध्यम से निवेदन करुंगा, इस भेद-भाव को समाप्त किया जाय। साथ ही मान्यवर, अभी हमारे एक साथी ने चर्चा किया 41 हजार हैण्ड पम्प लगाने की योजना है सरकार की एक साल में। मान्यवर, एक सदस्य पर 100 हैण्डपम्प आयेंगे, मान्यवर, यह हम केवल अपने लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, यह चाहे सत्ता पक्ष के मा0 सदस्य हों, चाहे मा0 मंत्री हों, चाहे विपक्ष के मा0 सदस्य हों, अगर क्षेत्र में जाते हैं तो सबके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह हैण्डपम्प के सम्बन्ध में आती है। हर गांव का एक आदमी दौड़ा-दौड़ा आता है और कहता है कि 20 घरों का हमारा मोहल्ला है, 30 घर वाले हम लोग हैं, लेकिन हम लोग पानी बहुत दूर से लाते हैं, दो किमी0, तीन किमी0 से ले आते हैं और आज इतनी गर्मी पड़ रही है कि जो हमारे यहां थोड़ा सा सम्पन्न लोग हैं जो अपना छोटा हैण्डपम्प लगाये हैं वह भी पानी छोड़ दिये हैं तो मान्यवर, यह थोड़ा सा गम्भीर विषय है, माननीय अधिष्ठाता जी आप भी अपने क्षेत्र में जाते होंगे चूंकि आप लोग काफी दिनों से चुन कर के आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपनी विधान सभा की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दिये हों, लेकिन मान्यवर, इस बजट में, इससे सभी लोग सहमत होंगे कि सौ हैण्डपम्प लगाया जाना एक विधान सभा में यह काफी कम है, इसको भी बजट में बढ़ाने का काम होना चाहिए।

(सत्ता पक्ष की ओर से आवाज आई कि बढ़ाया गया है।)

आपके बजट में दर्शा रहा है कि 41 हजार नये हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था की गई है, 403 विधान सभा में आपको भी गुणा गणित आता होगा जोड़ लेंगे तो पता चल जायेगा कि एक विधान सभा में कितने हैण्ड पम्प आयेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आपस में बात-चीत न करें। मा0 उमाशंकर जी आप जो कुछ भी कहेंगे पीठ को सम्बोधित करके कहेंगे।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, क्षमा चाहूंगा। मान्यवर, नेता सदन जी का एक फैसला स्वागत योग्य है कि उन्होंने किसान बीमा को एक लाख से बढ़ा करके पांच लाख किया है, लेकिन साथ ही मान्यवर, इसमें थोड़ी सी व्यवहारिक दिक्क्तें आती हैं, व्यवहारिक दिक्कत यह है कि तमाम ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि उनके अपने नाम न होकर के उनकी पत्नी के नाम है, उनके बेटे के नाम है, लेकिन वह कमाऊ व्यक्ति, वह किसान है जो घर के गार्जियन हैं, यदि कहीं अचानक उनकी दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो फिर हम उन्हें इस लाभ को दिलाने से वंचित रह जाते हैं। उन्हें हम वह लाभ नहीं दिला पाते हैं, किसान तो वहीं हैं, लेकिन जमीन की, इन्तखाब की जब बात आती है तो उसमें यह देखा जाता है कि यह तो जमीन इनकी पत्नी के नाम है। तो मान्यवर, इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। आपने एक लाख से बढ़ा कर के पांच लाख कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि यदि वह घर का कमाऊ व्यक्ति है और उसकी मृत्यु होती है तो इसमें हम संशोधन करने के लिए आपके माध्यम से चाहूंगा चूंकि नेता सदन मौजूद नहीं है, लेकिन उनसे भी हम निवेदन करेंगे। कि इसमें कुछ बजट में संशोधन प्रस्ताव हो सके तो उसको जोड़ना चाहिए, मान्यवर यह व्यवहारिक दिक्क्त हैं। दूसरी मान्यवर, इसमें राजकीय कन्या विद्यालयों के बारे में काफी उच्चीकृत करने की चर्चा की गयी है, लेकिन हमारे संज्ञान में है हमारे बलिया जनपद से रसड़ा विधान सभा में एक ऐसा राजकीय कन्या इण्टर कालेज है

जब से उसकी स्थापना हुई है मान्यवर, पहले वह किराये के मकान में चलता था, उसके बाद से जो हमारे यहां पुरानी तहसील थी, जब नई तहसील बन गई, जब उसकी स्थापना नए तहसील ट्रांसफर होकर के नए भवन में चली गयी तो फिर एस0डी0एम0 की रुचि लेने की वजह से वह राजकीय कन्या इण्टर कालेज उस जर्जर तहसील भवन में चलता है। वहां पर उस कन्या विद्यालय या इस तरह के और विद्यालयों के लिए बजट प्राविधान में नहीं है कि यदि कहीं कोई राजकीय कन्या इण्टर कालेज कहीं ऐसे हों, जहां पर उनके लिए कोई एक भी कमरा न बनाया गया हो, न कोई भूमि आवंटित किया गया हो, उसके लिए भी प्राविधान होना चाहिए कि ऐसे चिन्हित करके कम से कम हम नया काम करेंगे, जहां दस कमरे बने होंगे वहां बीस बनवायेंगे, लेकिन जहां अभी शुरुआत ही नहीं कर पाये हैं उसके लिए भी इस बजट में प्राविधान होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह भी सदन से निवेदन करुंगा। साथ ही मान्यवर, गन्ना के लिए पेज 10 पर पैरा 4 में 400 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, मान्यवर, इसमें हमारे गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान होगा जो बकाया राशि है, लेकिन मान्यवर, जितना मैंने अध्ययन किया है उसमें यह कहीं जिक्र नहीं है कि क्या जो सरकारी पुरानी जर्जर मिलें हैं जो अपनी मरम्मत के अभाव में हमेशा ब्रेकडाउन हो जाया करती हैं, उनकी मरम्मत के लिए भी इस बजट में प्राविधान होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इसके लिए भी निवेदन करुंगा सदन से कि उसका भी इसमें प्राविधान होना चाहिए। साथ ही मान्यवर, जो हमारे मॉडल राजकीय कन्या महाविद्यालय की बात आयी है तो मान्यवर, हालांकि इसकी चर्चा विस्तृत बजट में आयेगी, हम लोग देखेंगे लेकिन मेरा यह निवेदन है कि सदन में आने से पहले उसकी एक क्राइटेरिया तय होनी चाहिए कि किस तरह की जगहों पर या कहां पर हम पहले वो कन्या महाविद्यालय खोलें। कहीं ऐसा न हो कहीं एक जगह पर है, वहां पर कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो तो वहां पर दूसरा खुल जाये। कहीं 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हो लड़कियों का स्नातक शिक्षा लेने के लिये और वहां पर विद्यालय न खुले। मान्यवर, इसकी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए थी।

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, आपका समय समाप्त।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, बस एक मिनट। सिंचाई विभाग के बाढ़ के बजट का भी हमने अध्ययन किया है। इसमें भी विस्तृत चर्चा नहीं आयी है। मान्यवर, हमारे रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में दो तीन गांव ऐसे हैं जो टोंस नदी के किनारे बसे हैं। अगर वहां थोड़ी बहुत बारिश भी आ जाती है तो उन तमाम बड़ी नदियों का पानी उस टोंस नदी में आ जाता है। मान्यवर, दो तीन गांव ऐसे हैं जैसे मिर्जापुर जवैरिया, कोरडा हो गया यहां एक भी बारिश हो जाती है तो यहां के गांव के लोग अपना घर छोड़ करके पलायन कर जाते हैं। कहीं दूर जा करके बंधे पर बस जाते हैं, वहां पर बंधे तक की व्यवस्था नहीं की गयी है। यह बहुत सोचने वाला विषय है कि आजादी के बाद से वहां पर लोग तरसते हैं कि कम से कम वहां पर एक बांध बना दिया जाये जबकि वहां की आबादी दस हजार से अधिक है, कोई बांध की व्यवस्था नहीं की गयी है और न ही नदी के किनारे बोल्डर, गिट्टी की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, मैं चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक दिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा था कि जो ऐसे कार्य हैं जिस पर

सरकार का 10 से 20 प्रतिशत तक धन खर्च कर दिया गया है, ऐसे कोई भी काम रोके नहीं जा रहे हैं, उन सारे कार्यों को पूरा करा करके हम उनका उद्घाटन करेंगे। मान्यवर, कुछ ऐसे कार्य हैं जो पी0डब्ल्यू0डी0 से सम्बन्धित है जिनमें उसके अधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि नहीं, अब आप इस काम को न करायें, हालांकि लोग लिखित आश्वासन नहीं दे रहे हैं लोग। यह भी बहुत चिंतनीय विषय है कि मान लीजिये कोई 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसमें 2 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है फिर यदि वह रुक जायेगा तो यह तो जनहित की योजना है, इसको मान्यवर कराया जाना चाहिए, इस समय प्रदेश में एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुयी है पूर्वांचल के लिये। पूरे बजट भाषण में हम 22 प्रतिशत राजस्व बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल का एक जनपद सोनभद्र ऐसा है जहां से सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। मान्यवर, मान लीजिये हम बजट 2 लाख करोड़ नहीं, चाहे जितना भी कर दें लेकिन पूर्वांचल के साथ-साथ कुछ और भी जनपद हैं, लगभग 33, 35, 40 जनपद ऐसे हैं जिनको सोनभद्र से ही सारी विकास की सामग्री उपलब्ध होती है। मान्यवर, 6 मार्च के बाद सोनभद्र का पूरा खनन प्रतिबंधित है। मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि वहां पर अवैध खनन कराया जाये लेकिन विकास कार्यों के लिये इस सरकार की जो मानसिकता है वह पूरी हो। हमारे किसान जो छोटे-छोटे घर बनाते हों, चाहे बड़ा उद्योगपति अपना घर बनाता हो तो उसको अपने घर की छत ढालने के लिये गिट्टी मिले। मान्यवर, मैं इस पर आपसे निवेदन करुंगा कि कृपया इस खनन कार्य को सुनिश्चित कराया जाये, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मा0 मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया।

सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि इस 16वीं विधान सभा के इस अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी ने जो बजट सत्र में अपना जो अभिभाषण प्रस्तुत किया। मा0 अध्यक्ष पीठ, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगी कि मैंने मुख्यमंत्री जी द्वारा पेश किये गये इस बजट को पूरा पढ़ा है लेकिन इसमें महिला सशक्तीकरण के लिये एक भी शब्द नहीं आया है जबकि हमारे विकास में हमारी गति में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसमें महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये एक भी शब्द नहीं आया है। महोदय, दूसरा एक प्वाइण्ट और है। मैं यहां विरोध करने के लिए या विपक्ष के समर्थन में या सत्ता पक्ष के समर्थन में खड़ी नहीं हुई हूं। मैं बजट भाषण पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं। महोदय, यह शायद 10 पेज में है, किसानों का चर्चा है और उसी में से एक विषय और है, अल्पसंख्यकों का जहां दाह संस्कार होता है, उसकी चहारदीवारी के लिए मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, मैं इसका विरोध नहीं करती हूं लेकिन आज सबसे अहम मुद्दा है, जो मैं पहले दिन सुन रही हूं कि सबसे ज्यादा प्रदूषण का मुद्दा यहां सदन के अंदर छाया रहा, उस पर बोला गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी हिन्दू परम्परा में जहां 6 संस्कार होते हैं, उनमें सबसे अंत में अंतिम संस्कार होता है, इसमें गर्भाधान संस्कार, जन्म संस्कार, ब्याह संस्कार आदि और अंत में मनुष्य को दफनाया जाता है या अंतिम संस्कार किया जाता है। हिन्दू परम्परा में नदियों में कहीं न कहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अधिष्ठाता महोदय, आपसे कहना चाहूंगी कि यदि नदियों को प्रदूषण से रोकना है तो जिस प्रकार से कब्रिस्तानों के लिए चहारदीवारी बनवा करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए बजट लाया गया है, हिन्दुओं के लिए भी

अंतिम संस्कार जहां किया जाता है, नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए, जिस गांव में दाह संस्कार होता है, उसी गांव में दाह संस्कार करने की व्यवस्था और उसके साथ टीन शेड इत्यादि डालने की व्यवस्था को भी इसमें जोड़ा जाए, तो उचित होगा। मैं यहां किसी का विरोध या किसी का समर्थन करने के लिए खड़ी नहीं हुई हूं, मैं यहां जनहित में बात करना चाहती हूं। यहां जब किसानों की चर्चा चल रही थी तो मैं सुन रही थी। मा0 मुख्यमंत्री जी ने किसानों की चर्चा बहुत की है। केवल किसानों की चर्चा करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसानों का भला होने वाला नहीं है। 2 तारीख को मैंने छापा मारा था मण्डी में, उसकी जांच करवा ली जाए, आरोपी चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो। 2 तारीख को मैंने हमीरपुर विधान सभा के अन्तर्गत समेरपुर मण्डी में मैंने अचानक 5 बजे छापा मारा तब अधिष्ठाता महोदय, खरीदने से पहले बोरे में मार्का लगाया जाता है, मैंने वहां 500 बोरे बिना मार्का के पकड़े थे, मण्डी के अंदर पकड़े थे। रात्रि में 11.00 बजे धरना देते समय ए0डी0एम0 पहुंचे, मुझे आश्वासन दिया गया कि जिसने यह किया है उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 होगी लेकिन न तो ठेकेदार के खिलाफ एफ0आई0आर0 हुई और न किसी अन्य के विरुद्ध एफ0आई0आर0 हुई। मुझे आश्वासन दिया गया था, मैं यहां निवेदन करना चाहूंगी संसदीय कार्य मंत्री जी यहां नहीं हैं, उसकी जांच करवा करके वह चाहे सत्तापक्ष का दलाल हो या विपक्ष का दलाल हो, उसको सजा होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। अन्याय की कोई पार्टी नहीं होती, अन्याय की कोई जाति नहीं होती, अन्याय का कोई मजहब नहीं होता है। यदि किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी करता है, किसानों के साथ कोई बेईमानी करता है, तो उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे वह किसी पार्टी का दलाल हो। उसके खिलाफ वहीं सजा होनी चाहिए जो एक हत्या करने वाले को सजा होती है, वही एक किसान के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सजा होनी चाहिए। हम बुन्देलखण्ड के है, हमें मालूम है। मैं एक बात और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार ने वादा किया है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, पिछली केन्द्र सरकार ने माफ किया था लेकिन अधिष्ठाता महोदय, उसमें हुआ क्या था, जो किसान बैंक का एक भी ब्याज नहीं दिया था, उनको माफ हुआ था लेकिन जो किसान ईमानदार था, उस ईमानदार किसान के ब्याज भरने के बाद भी उसका कर्जा माफ नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से किसानों के लिए मांग करना चाहती हूं कि चाहे ब्याज उसने जमा किया हो या न जमा किया हो, सारे किसानों का कर्जा इकतरफा माफ होना चाहिए तभी हम इसे किसानों की हितैषी सरकार के घोषणा-पत्र को मानेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपके बीच में इस विधान सभा में पहली बार चुनकर आई हूं, लेकिन जो जन समस्याएं हैं, उनके लिए चर्चा होनी चाहिए, उनका निराकरण होना चाहिए। इसी के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री रामपाल यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेश बजट भाषण के पक्ष में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जो बजट भाषण पेश किया है, वह अब तक के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पेश सभी बजट भाषणों में सर्वोत्तम है और सर्व समाज के कल्याण के लिये और हर वर्ग, हर जाति और हर व्यक्ति का ख्याल इस बजट भाषण में रखा गया है। मैं इस बजट भाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं। मान्यवर, जैसा कि आप सब लोग अवगत है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत की सबसे घोर समस्या है और पूर्व विद्युत मंत्री जी भी हमारे सामने बैठे हुये हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में अगर आपने एक मेगावाट भी बिजली पैदा करने का काम किया हो, तो आप बता देंगे। जब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बोलते हैं तो वह अपनी बात कह देते हैं, लेकिन चूंकि पूर्व विद्युत मंत्री जी हमारे सामने बैठै हैं आप जानते हैं कि अगर पिछले 5 साल में बिजली के लिये मन से प्रयास किया गया होता तो आपके उत्तर प्रदेश में 125 चीनी मिलें हैं जहां से आप भी चुनकर आते हैं, वहां भी चीनी मिल हैं और उन चीनी मिलों से को-जरनेटर के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा सकता था और अगर उससे बिजली का उत्पादन होता तो प्रदूषण भी नहीं होता, हमको अलग से कोई खर्चा भी नहीं देना पड़ता और हमको अलग से कोई व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती। मिल-मालिकों के पास संसाधन थे, अपनी बगास थी, केवल एक टरबाइन लगाकर यह मिल मालिक एक दिन में 700 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते थे। 125 चीनी मिलों में से 35 चीनी मिल आज भी बिजली का उत्पादन कर रही है। लेकिन वह अपनी आवश्यकता के बाद थोड़ी बहुत आपूर्ति पावर कारपोरेशन को करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, पिछली सरकार ने केवल चार उद्योग लगाये, एक तो ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग, दूसरा भ्रष्टाचार उद्योग, तीसरा घोटाला उद्योग और चौथा पार्कों का उद्योग। अगर गन्ना प्रोत्साहन के लिये गन्ना मिल मालिकों को कुछ सुविधायें दी गयी होतीं, कुछ पैकेज दिया गया होता तो वह लोग अपनी क्षमता के अनुसार बिजली पैदा करके आपके पावर कारपोरेशन को दे सकते थे। मान्यवर, 125 चीनी मिलें हैं, इसमें 32 चीनी मिलें यह लोग बीमार बता रहे हैं और बीमार बताकर बेचने की भी योजना थी। मान्यवर, आप बहुत दिन से सदन में आते हैं, आप जानते हैं कि क्या-क्या खेल खेले गये, चीनी मिल बेचने के लिये। लेकिन किसी चीनी मिल को बढ़ावा नहीं दिया गया, बल्कि चीनी मिल मालिकों का शोषण करने का पूरा काम किया यहा । मेरे जनपद और मेरे विधान सभा की मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि पिछली बार मान्यवर, जब वहां मिल मालिकों से अवैध वसूली करने का प्रयास किया गया तो उससे जब अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो मिल मालिक के खिलाफ घटतौली का आरोप लगाकर मुकदमा लिख दिया गया। यह हमारे जनपद का सौभाग्य है पिछली बार हमारे ही जनपद के बांट माप मंत्री थे, सीतापुर के ही थे। इस बार भी बांट माप मंत्री मेरे यहां के ही हैं। लेकिन जो दिल्ली में बैठा मालिक था, उसके खिलाफ घटतौली का आरोप लगाया गया, इसलिये लगाया गया, आप स्वयं जानते हैं और पूरा सदन जानता होगा कि अगर कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा होगा तो हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। अगर मालिक के खिलाफ मुकदमा होगा तो सीधे-सीधे मालिक मिलने आयेगा और हमारा अपना स्वार्थ सिद्ध होगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि पांच साल में जब बिजली पैदा नहीं किया है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम खाने की इच्छा क्यों कर रहे हैं। आम खाने को मिलेंगे वह भी मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार में मिलेंगे लेकिन उसके लिए धीरज रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी और इन्तजार करना पड़ेगा। मा0 अखिलेश यादव जी ने व्यवस्था की है और करेंगे भी। हम लोग भी आपके माध्यम से कहेंगे कि अगर को-जेनरेशन की व्यवस्था हो जाए तो आधे से ज्यादा बिजली की समस्या दूर हो सकती है। दूसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब मिल-मालिकों को

प्रोत्साहन नहीं दिया गया, उनका शोषण किया गया तो उस समय जब बहुत से चीनी उद्योग यहां से पलायन की ओर थे लेकिन अब सरकार आई है सब ठीक हो जाएगा। मैं मिल-मालिकों के नहीं बल्कि सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन उद्योग तभी लगेंगे जब माहौल बनेगा। पिछली सरकार में माहौल यह था, जब हम लोग उनके खिलाफ रोड पर निकलते थे तो नारा लगाते थे कि बसपा सरकार की नीति अलबेली मांगो रोटी मिलती है गोली। यह इनका रवैया था, जो लोग धरना प्रदर्शन करने आते थे उन पर लाठी चार्ज होता था और गोली चलती थी। मान्यवर, कोई बात नहीं सुनी जाती थी। इसी तरह से मैंने अभी कहा था कि पत्थर उद्योग भी पिछली सरकार में लगा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि मैं अभी दूसरी बार इस विधान सभा में आया हूं तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है जब नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कहते हैं कि यहां महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गईं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हाथी कौन सा महापुरुष है, हाथी की मूर्तियां लगाई गई हैं, जब मैं गोमती नगर से निकलता हूं तो देखता हूं तीन सूंड़ एक हाथी के हैं, मैंने कभी अपने जीवन में एक हाथी के तीन सूंड़े नहीं देखी हैं और मान्यवर, मुख्यमंत्री जी की त्रियोमुखी मूर्तियां लगी हुई हैं। मान्यवर, इस तरह के उद्योग के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। मान्यवर, दूसरी चीज मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह लोग गेहूं, धान की चिन्ता करते हैं और बजट में पूरा प्रावधान है और मा0 मुख्यमंत्री जी स्वयं गेहूं के क्रय केन्द्रों पर गये हैं, पूरे मंत्रीगण क्रय केन्द्रों पर गये हैं, यह आप लोग भलीभांति जानते हैं, इससे पहले कोई मुख्यमंत्री गेहूं क्रय केन्द्र पर नहीं गया होगा। मान्यवर, मैं एक बात अपने क्षेत्र की कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें। जो माननीय सदस्य संसदीय कार्य मंत्री जी के पास खड़े हैं कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री रामपाल यादव-

मान्यवर, बिसवां विधान सभा के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बिसवां शहर के उत्तर की ओर नहर है और दक्षिण की ओर बड़ी लाइन है बीच में बहुत ही कंजस्टेड है और जब मिल चलती है तो कोई रास्ता नहीं रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे यहां एक फ्लाईओवर की व्यवस्था इस बजट में जोड़ दी जाए क्योंकि जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो बिसवां की समस्या की भी समाधान हो जाएगा। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री रामवीर उपाध्याय-

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने बीच में चूंकि मेरा नाम लिया है, इसलिये मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था। यह कहा गया कि पूर्व ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं यह जवाब दें कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कितनी बिजली का उत्पादन किया है ? मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा कि 13 मई, 2007 को जब हमारी सरकार बनी उस समय उत्तर प्रदेश में जो बिजली की सप्लाई थी लगभग 7000 मेगावाट के करीब थी और जब हमने सरकार छोड़ी है, नई सरकार बनी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है तो लगभग 10,000 मेगावाट की सप्लाई करते थे, यह एक रिकार्ड है। इस पांच साल के समय में मा0 सदस्य ने पूछा, तब मैं बोल रहा हूं, मैं बोलना नहीं चाहता था। अनपरा-डी 1000 मेगावाट का हमने लगाया जिस पर युद्धस्तर पर काम आज भी चल रहा है। 500 मेगावाट का (250-250 मेगावाट की दो यूनिट) हरदुआगंज में लगाया था। 250-250 मेगावाट की दो यूनिट पारीक्षा में लगाया था, हरदुआगंज से बिजली मिलना शुरू हो गया है। 1200 मेगावाट की अनपरा-सी लगाया था उससे भी बिजली मिलना शुरू हो गया है। 1320 मेगावाट का एन0टी0पी0सी0 के साथ ज्वाइंट वेंचर में मेजा, इलाहाबाद में हमने पावर हाउस लगाया था उसका काम भी शुरू हो गया है। लगभग 15000 मेगावाट के एम0ओ0यू0 हमने साइन किये थे, अभी मैंने अखबार में पढ़ा सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गयी।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, हमने तो 2017 तक की कार्ययोजना बनायी थी। जो कार्ययोजना हमने बनायी है, उस पर ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2017 तक उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलम्बी होगा। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अली यूसुफ अली साहब, आपके दल से जो सूची आयी है उसी के अनुसार हम बुला रहे हैं, आपको भी मौका मिलेगा। अब मै। श्री महावीर सिंह राणा को बुला रहा हूं, उसके बाद श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी बोलेंगे उसके बाद डा0 आर0ए0 उस्मानी साहब।

श्री महावीर सिंह राणा-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस बजट पुस्तिका के पेज नं0-22 पर 'संकर मक्का बीज, मूंगफली व गन्ने के उन्नतिशील बीजों की उपलब्धता के लिए मात्र 72.51 करोड़ रुपये रखा गया है' जो किसानों के लिए बहुत कम है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद की ओर दिलाना चाहता हूं, सहारनपुर जनपद पूरे हिन्दुस्तान में फारेस्टरी में नं0 एक पर आया है। जिस विधान सभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उसमें 85 प्रतिशत वन क्षेत्रफल है। हमारे यहां पापुलर नाम का पेड़ होता है जो किसान उपज में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान को 30 से 35 हजार रुपये प्रति ईयर उससे प्रोडक्शन है। उस पेड़ की उम्र 12 साल के लगभग है और बराबर में हरियाणा में लगभग 1150 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। लगभग 25 हजार मजदूर वहां पर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 1250 आढ़त वहां पर हैं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कृषि उत्पादन के लिए कोई भी उद्योग की योजना इस बजट में नहीं है। जिस योजना से पश्चिम का किसान लाभान्वित हो सकता है वह योजना इस बजट में आना चाहिए था। पापुलर की लकड़ी से प्लाई बनती है, हरियाणा में फैक्ट्रियां हैं और रॉ मैटेरियल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। किसान के लिए आज सबसे उपयोगी पापुलर की लकड़ी कृषि उपज के रूप में है।

(इस समय 3 बजकर 41 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र से लगे हुए उत्तराखंड में एक किलोमीटर के क्षेत्र में दो फैक्ट्रियां हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में इसकी परमीशन नहीं है। आरा मशीन की परमीशन यहां पर नहीं है और हमारे यहां से लगभग साढ़े सात हजार ट्रैक्टर ट्रालियों में और ट्रकों में लदकर पॉपुलर की लकड़ी जाती है। 60 प्रतिशत आढ़त के लोगों ने यूनियन बना रखी है और किसानों का बहुत बड़ा शोषण वहां होता है। 1200 रुपये तक लकड़ी का रेट है परन्तु यूनियन के माध्यम से किसी का आठ सौ, किसी का नौ सौ रुपये में खरीदते हैं। मान्यवर, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों के लड़कों को रोजगार मिलेगा, किसानों को अपने पेड़ का उचित मूल्य मिलेगा। इससे हमारे जनपद में फैक्ट्रियां लगेंगी तो 4 हजार में जो ट्रालियां किराए पर लेकर जाते हैं किसान को जो मण्डी शुल्क और आहरित टैक्स देना पड़ता है उससे बचाव होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज गन्ने से भी बढ़कर पॉपुलर की लकड़ी का उद्योग है। पॉपुलर की जो प्लाई बनती है वह पूरे हिन्दुस्तान में यमुना नगर हरियाणा में सप्लाई होती है। 900 फैक्ट्रिया वहां और लगने जा रही है तो यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका निदान होना चाहिए क्योंकि इससे किसान को 30-35 हजार रुपये प्रति साल प्रति बीघा बचत होती है। मैं समझ नहीं पाया कि इस बजट में कृषि उद्योग के लिए एक भी करोड़ का प्रबन्ध नहीं किया गया । मैं आपके माध्यम से दूसरी समस्या को उठाना चाहता हूं कि 220 मेगावाट का बिजलीघर बेहट में तैयार है लगभग 200 करोड़ रुपया खर्च हो गया है मात्र 30 करोड़ की लाइन बननी शेष है। उसके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं है। सहारनपुर जनपद में मात्र 220 के0वी0ए0 का एक बिजलीघर चल रहा है दूसरा लगभग तैयार है बिजली चार-पांच घण्टे लगभग मिल रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें। कुल 32 पेयजल योजनाएं खादर क्षेत्र में हैं यह जनपद देहरादून से मिला हुआ क्षेत्र है 80 गांव में पेयजल से सप्लाई है पांच गांव में टैंकर से सप्लाई है बाकी वहां पर पानी की व्यवस्था तभी हो सकती है जब बिजलीघर चलें तभी वोल्टेज मिलेगी। अभी 80 मेगावाट की मोटर से वहां पर एक नलकूप चलता है पहाड़ों में पानी 1200 फुट पर मिलता है और पानी का अभाव हो रहा है। मैं आपका दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं गंगा और यमुना का संगम स्थल सहारनपुर में बन गया है जो गंग नहर से निकलकर यमुना नहर में पानी जुड़ता है तो पर्यटन विभाग वहां पर एक बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र बनाए। हजारों लोग वहां महीने में नहाने जाते है जो व्यक्ति इलाहाबाद नहीं आ सकते वह गंगा और यमुना के संगम में वहीं पर स्नान कर धर्म लाभ उठाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि कृषि को उद्योग के रूप में विकसित कर ही हम किसान को लाभ प्रदान कर सकते हैं। आज की तारीख में आम का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गया है। पेड़ किसान काट नहीं सकता है जो पेड़ आम नहीं देते उनको काटने की परमीशन किसान को देनी चाहिए। इमारती लकड़ी शीशम, साल, सागौन इनकी परमीशन बमुश्किल नहीं मिलती है। 30 से 40 प्रतिशत पैसा किसान का बरबाद होता है किसान अच्छी प्रकार जानता है कि कौन सा पेड़ उसको रखना है और कौन सा पेड़ नहीं रखना है। उसको लड़की की शादी होती है या कर्जा देना होता है अध्यक्ष जी वह लाचार होता है उस पर किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। यह मेरी सदन से मांग है मेरा चौथा सवाल है किसानों के जो ट्रैक्टर पर इण्टरेस्ट हैं वह 11 प्रतिशत हैं वह लगभग 70 प्रतिशत से ऊपर किसान हैं जबकि उद्योग

को 4 प्रतिशत पर खादी एवं ग्रामोद्योग से लोन मिलता है तो ट्रैक्टर पर जो ब्याज की दर है वह 11 प्रतिशत से घटकर चार प्रतिशत होनी चाहिए मैं एक तीसरा बिन्दु इसमें और जोड़ना चाहता हूं कृषि लिमिट कार्ड तीन लाख तक सात प्रतिशत है आज की महंगाई में तीन लाख में किसान क्या कर सकता है उसकी लिमिट बढ़ाई जाय। जो कृषि भूमि की तहसील से वैलुएशन है उसका वन फोर्थ कर दीजिए कृषि लिमिट को इसमें किसान शादी भी कर सकता है उस पैसे से अपना मकान भी बना सकता है मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं ताकि किसान को लाभ मिल सके। अध्यक्ष जी यह किसान से जुड़ा हुआ सम्बन्ध है और सरकार किसान के लिए कुछ करना चाहती है तो उसमें मुख्य बिन्दु इसमें किसान का होना चाहिए किसान की योजनाओं का होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, बजट जो प्रस्तुत हुआ है बड़ा मन में विश्वास जगा कि बड़ा ही लोकप्रिय और जनोपयोगी बजट होगा लुभावना बजट होगा लेकिन जब खोलकर पढ़ा तो निराशा ही हांथ लगी। ऐसा देखकर लगा कि इस सरकार का काम करने का मन नहीं है केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम इस बजट में किया गया है। मान्यवर, इस बजट के पृष्ठ 24 पर उल्लेख किया गया है जो, मैंने देखा है। इसमें पशुधन के बारे में कहा गया है। मान्यवर, सबसे बड़ी कल्पना थी कि पशुधन की जब यहां पर चर्चा होगी तो इस प्रदेश में दूध की नदियां बहने की बात आयेगी। लेकिन हमने इस बजट में बहुत ही विचित्र बात देखी है। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए केवल 20 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया है और पशु रोग अनुसंधान सेवाओं एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु 15 करोड़ रु0 की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, प्रदेश के गांवों में समग्र पशुपालन विकास के कार्यक्रम चलाये जाने के सम्बन्ध में पूरा बजट मौन है। आज स्थिति यह है कि दुधारो जो जानवर है उनकी संख्या घटती जा रही है। दूध की कमी होती जा रही है। अभी हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री जी ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा था कि दूध के नाम पर यूरिया मिलाकर दी जा रही है। तो इससे समझा जा सकता है कि दूध उत्पादन की फिर गति क्या होगी। उसके लिए सोचना चाहिए था लेकिन यह बजट में मौन है।

मान्यवर, बाढ़ की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं कि उस समस्या के निदान के लिए बजट पूरी तरह से मौन है। बाढ़ आती है बाढ़ के आने के समय जब भी व्यवस्थायें की जाती हैं तब जो पैसा उसमें खर्च किया जाता है। उस पैसे का हिसाब नहीं मिलता है तो कह दिया जाता है कि सीमेंट बह गयी पत्थर बह गये बालू बह गयी। जो सक्षम तथा पर्याप्त व्यवस्था समय रहते होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। आज जहां भी व्यवस्थायें हो रही हैं वह सब अस्थायी व्यवस्था हो रही है। कोई स्थायी व्यवस्था की ओर ध्यान इस सरकार का नहीं है। मान्यवर, मैं बहराइच जनपद से आता हूं। वह जनपद बाढ़ की विभीषिका से हर वर्ष घिरा होता है। बहराइच से ही घाघरा और राप्ती नदियों का जन्म होता है। वह पूरा का पूरा बाढ़ ग्रस्त इलाका है वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, सरकार का उसमें केवल चिन्तन होता है और बाढ़ जब आ जाती है तब उसके सम्बन्ध में उपाय किये जाते हैं। जितनी भी सामग्री उपलब्ध होनी होती है वह उस समय उपलब्ध करायी जाती है। जब ऐसे समय में उस पीड़ित

व्यक्तियों का सब कुछ बह जाता है। उस समय बाढ़ पीड़ितों की समस्या और भी बढ़ जाती है। जब वास्तव में उसको राहत की जरूरत होती है उस समय राहत नहीं मिल पाती है। केवल उस समय बाढ़ राहत का बीस प्रतिशत ही खर्च हो पाता है अस्सी फीसदी जेबों में चला जाता है। आपको जबकि बाढ़ की समस्या के निदान के लिए स्थायी इंतजामों के बारे में सोचना चाहिए। बाढ़ आने के बाद आप उनके लिए अस्थायी कैंप बनाते हैं, टेंट सामान और दूसरी चीजें मुहैय्या कराते हैं। आपको पता है कि बाढ़ का एरिया हमारे यहां चिन्हित है लोग चिन्हित हैं कि यह लोग प्रभावित होंगे। जब आप अस्थायी व्यवस्था के नाम पर पैसा खर्च ही करते हैं हर वर्ष तो स्थायी समाधान के लिए आप यह कर सकते हैं कि बंधों के लिए पांच-पांच किलोमीटर की दूरी पर 100-100, 200-200 अच्छे घर बनवा दीजिये ताकि बाढ़ पर उस इलाके के लोग अपने बच्चों के साथ न घरों में जा सके अपना कृषि उत्पाद वहां पर सुरक्षित रख सकें। उससे उनका अनाज बाढ़ में नहीं बहेगा और सरकार को हर साल अधिक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। मान्यवर, दूसरे बाढ़ रोकने के वैज्ञानिक स्थायी निदानों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए जो वहां पर उपाय हुए हैं और सफल रहे हैं उनके प्रयोग के बारे में सोचना चाहिए। बहराइच में इसका प्रयोग हुआ है और अच्छा रहा है। उसमें बालू का अच्छा इस्तेमाल करके रोक पर से हटाकर बहाव का पानी को पानी की धारा को दिशा दी जाती है जिससे काफी राहत मिल जाती है और उससे बंधा भी सुरक्षित रहता है। हम चाहते हैं कि वहां के अभियन्ताओं से बात करके इसके स्थायी समाधान का इसके स्थायी प्रयोग पर आपको काम करना चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से इस बजट में सरकार की ओर से बाढ़ के स्थायी समाधान के संबंध में कोई स्थायी योजना का प्रावधान नहीं है।

मान्यवर, बहराइच में शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है। कई विद्यालय वहां पर ऐसे हैं जहां पर अध्यापक नहीं हैं वह अध्यापक विहीन हैं। शिक्षा मित्रों के सहारे वह विद्यालय चल रहे हैं और जो दूसरी तरीके की औजी अध्यापन व्यवस्था होती है उससे काम चल रहा है। जिसमें अध्यापक खुद तो विद्यालय नहीं जाता है महीने में एक बार तनख्वाह लेने विद्यालय जाता है और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है। शेष समय के लिए गांव के किसी पढ़े लिखे नवयुवक को हजार दो हजार रु0 देकर बच्चों को पढ़वाता है। उसमें सबका पैसा बना रहता है चाहे एसडीआई हों या प्रधानाध्यापक हों। मेरा कहना यह है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और अध्यापकों की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए।

इसका भी स्थाई चिन्तन करके उन विद्यालयों को स्थाई शिक्षक दिये जाने चाहिए। एक तो शिक्षक नहीं है और दूसरे उनको जो शिक्षक मुहैया भी कराये जाते हैं वह वहां जाना नहीं चाहते। उनकी जगह पर जो जा रहे हैं जो औजी हैं। मान्यवर, एक अभी चर्चा हो रही थी और उस चर्चा में कहा गया कि सबके लिए पारदर्शी योजनाएं और पारदर्शी चिन्तन है और सराहना हो रही थी इस बजट की मिड-डे-मील योजना की व्यवस्था मदरसों में भी हुई है। लेकिन क्या संस्कृत पाठशालाओं के लिए भी चिन्तन हुआ, क्या वह उस क्षेत्र में नहीं है। यदि आपकी ऐसी समग्र दृष्टि है तो जैसे आपने मदरसों के लिए चिन्तन किया है वैसे ही प्राइमरी स्तर पर चलने वाले प्रत्येक विद्यालय चाहे वह संस्कृत पाठशाला ही क्यों न हो उसके लिए भी चिन्तन होना चाहिए। मान्यवर, इन सारे सोचों से परे यह जो बजट है वह चिन्तनीय है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के दो विषयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते

हुए अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा बिजली की भीषण दिक्कत है और बिजली की दिक्कत दो अगल-बगल की विधान सभाएं ऐसी हैं जो सत्तारूढ़ दल के विराजमान हैं वहां पूरे समय तक बिजली नहीं मिलती। दोनों तरफ से लोगों का फोन आता है। सत्तारूढ़ दल के जहां लोग होंगे उसमें बिजली मिलेगी लेकिन जहां विपक्षी होगा उस विधान सभा क्षेत्र में बिजली नहीं मिलेगी। यह स्थिति बहुत ही चिन्तनीय है, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। मैं आभारी हूं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, हस्तक्षेप की कोई आवश्यता नहीं थी, चर्चा चल रही थी, इसका समुचित उत्तर सही समय पर आयेगा और माननीय सदस्य ने और दूसरे अन्य सम्मानित सदस्य ने जो विषय उठाये हैं उन पर बात आई है। मैं सिर्फ एक बात के लिए माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता था मुझे लगा कि वह इस बात पर धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए हैं कि आज तक बाढ़ के पूर्व किसी सरकार ने व्यवस्था की चिन्ता नहीं की और यह पहली सरकार है जो चिन्ता कर रही है क्योंकि जिस सूबे के मुख्य मंत्री का प्रदेश में पहला दौरा लगा वह बाढ़ और कटान के सम्बन्ध में ही लगा लखीमपुर खीरी में। उसके बाद मैं स्वयं बहराइच में गया था, मैं समझ रहा था आप बैठक में आयेंगे आप बैठक में नहीं आये जबकि सूचना थी और बैठक में नहीं आने के अलावा मैं समझ रहा था कि आप इस बात का उल्लेख करेंगे कि साहब मुझे अच्छा लगा कि पहली बार सरकार बाढ़ आने के पूर्व उसके उपायों की चर्चा कर रही है और आपने इसका उल्लेख नहीं मुझे आश्चर्य हुआ, आप कदाचित भूल गये और मान्यवर, मैंने स्वयं लोक निर्माण मंत्री सिंचाई मंत्री, मुख्य मंत्री जी और हम लोगों ने बाढ़ से प्रभावित होने वाले जितने जनपद हैं अधिकांश, उन सब जनपदों में अधिकांश में हम लोगों ने मीटिंगे कर ली है और वहां के लोगों को तैयारी के लिए आदेश कर दिये गये हैं कि बाढ़ के पूर्व सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय। वहां की समस्याओं को देख लिया गया है। इसलिए मैं समझता यह हूं कि सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना हो तो उसमें सुधार की गुंजाइश बनती है कम और वहां मर्म पर प्रहार कीजिए जहां सुधार की गुंजाइश ज्यादा है लेकिन वहां सहयोग की बात कीजिए जहां सुधार हो रहा है तो सुधार होता है तेज। इसी सुझाव के साथ मान्यवर, मुझे आवश्यकता पड़ी कि मैं माननीय सदस्य को सिर्फ स्मरण कराऊं और कोई ज्यादा बात नहीं कहनी है।

श्री प्रदीप कुमार-

मान्यवर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बाढ़ से हमारा क्षेत्र सहारनपुर भी बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। इसी में हमने पहले माननीय मंत्री जी को लिखकर भी दिया था।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप बोलियेगा।

श्री प्रदीप कुमार-

मान्यवर, एक मिनट चाहूंगा। उसमें अभी वहां पर एक-एक जे0 ई0 भी नहीं पहुंचा। वहां बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की यह हालत हो रही है पिछली दरम्यान भी बहुत बुरा हाल हुआ है और किसानों को बहुत भारी संकट झेलना पड़ा है और फसलों का काफी नुकसान हुआ है। पिछली गवर्नमेन्ट में मात्र ढ़ाई-ढ़ाई सौ पांच-पांच सौ और तीन-तीन सौ के चेक मिले हैं। लेकिन अबकी बार भी वहां पर कोई

व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा क्षेत्र गंगोह बाढ़ से काफी प्रभावित रहता है। मेरा अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में बाढ़ से बचने के लिए ठोकरे बनवाने के लिए व्यवस्था की जाये।

* श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता के सम्मान के लिये जो उत्तर प्रदेश के हर दिल अजीज युवा मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने इस सदन में अपना बजट भाषण दिया है, उसके समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार के गठन के पहले उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बैठी थी जिसने उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया। मैं सदन में बैठे हुए सुन रहा था। कोई जी0टी0 टैक्स की बात कर रहा था, कोई मूर्ति घोटाले की बात कर रहा था, मान्यवर, कोई माननीय सदस्य खजूर घोटाले की बात कर रहे थे। मान्यवर, 5 साल की इस जकड़न के साथ उत्तर प्रदेश में एक सरकार गठित हुई उत्तर प्रदेश की बहादुर जनता ने जिनको हम सब बार-बार मुबारकबाद देता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाई और माननीय मुलायम सिंह यादव जिनके दिल में उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिये, मजलूमों के लिये अकलियतों के लिये दर्द था और इसके पहले भी जो उत्तर प्रदेश के वजीरे आला रहे हैं और उन्होंने अपनी कलम से किसानों, मजदूरों, नौजवानों, बेकसों, अगड़ों पिछड़ों सभी का ख्याल रखते थे। मान्यवर, मैं अपने मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को मुबारकबाद देते हुए यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले किसानों की बात से अपना बजट भाषण शुरू किया। किसानों को दुर्घटना बीमा का पैसा 5 गुना कर दिया। किसान जो कर्ज में डूबे हुए हैं और प्रदेश में परेशानी महसूस कर रहे हैं। उन किसानों के लिये 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। वह किसान जो भुखमरी का शिकार होकर सूबे में कर्ज से डूबा किसान आत्म हत्या करने की सोच रहा था उसको राहत पहुंचाने का काम यह सरकार करेगी। मान्यवर, गन्ना उत्पादन में पहले महाराष्ट्र का पहले नम्बर पर स्थान था लेकिन अब गन्ना उत्पादन में पहले महाराष्ट्र का पहले नम्बर पर स्थान था लेकिन अब गन्ना उत्पादकता में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यह पिछली सरकार की नाकामियां थी कि उन्होंने मिल मालिकों का शोषण किया। अगर वह एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में शीरा उठाता था तो उस पर भी टैक्स लाद करके उनको कमजोर करने का काम किया। किसानों को कोई सब्सीडी नहीं दी यहां तक कि किसानों को उर्वरक, खाद न देकर वह उर्वरक और खाद चोरी के रास्ते से तस्करी कर दी गई। लेकिन एक भी बोरी खाद की किसानों को नहीं दी गई। इस सरकार ने खाद के वितरण की उचित व्यवस्था की है इतना ही नहीं खाद के भण्डारण की भी व्यवस्था की है ताकि इसके अभाव में उत्तर प्रदेश का किसान जो देश की रीढ़ है, अन्नदाता है उसको तकलीफ न हो। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये डा0 राम मनोहर समग्र विकास योजना चलाने का ऐलान किया है। वह लोहिया जी जिन्होंने देश की आजादी के लिये अपना जीवन दे दिया। पिछली सरकार में माननीय मुलायम सिंह जी ने एक अस्पताल बनाया था। गोमती नगर में और उन्होंने वहां लोहिया जी की मूर्ति लगाने का काम किया लेकिन उनकी सरकार चली गई और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। मैं आपको बतना चाहता हूं कि जब मैं उस रास्ते से गुजरते हुए जब डा0 लोहिया जी की मूर्ति को एक बरसाती और पन्नी से बंधा देखा तो मैंने मजबूर होकर इसी सदन में कार्य-स्थगन के माध्यम से उठाया और अध्यक्ष जी से कहा कि आप व्यवस्था दे दीजिये कि डा0 लोहिया जी ने जेल की यातना सहकर इस देश को आजाद कराया है उस महापुरुष डा0 राम मनोहर लोहिया जी की मूर्ति को पन्नी से और मोटे रस्सों से बांधकर रखा गया है उस पन्नी और रस्सों को हटा दिया जाय। जब मैंने कार्यस्थगन की सूचना दी और कार्यस्थगन की सूचना यहां आई तो सरकार के कान पर जूं रेंगा मान्यवर, और अध्यक्ष महोदय की पीठ से व्यवस्था हुई कि डा0 लोहिया की मूर्ति को खोला जाए इस तरह से तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान है। हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने डा0 लोहिया के नाम पर जो पिछड़े ग्राम हैं उनको चलाने का काम किया है इसमें मान्यवर 720 करोड़ की व्यवस्था की है। लोहिया राष्ट्रीय नलकूप योजना का प्रारम्भ किया जा रहा है। इसी तरह से डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप योजना जिसमें 300.08 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से श्रीमन् लोहिया ग्रामीण आवास योजना शुरू की है यह गरीब किसान मजदूर, मुफलिस, बेकस जिनके पास छत नहीं है जिनके पास घर नहीं है, उनको आवास देने के लिए मान्यवर 395 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मैं अपने युवा मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं विद्युत फीडर बढ़ाने के लिए मान्यवर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हम इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। कमजोर वर्गों के लिये, कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। बी0पी0एल0 परिवार के लोगों को पहली बार भारत में बनी हुई किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि गरीबों के लिए कुछ किया जाए। हमारी यह पहली सरकार है जिसने गरीब महिलाओं को दो-दो साड़ी देने का एलान किया है। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अर्न्तगत जीवन यापन करने वालों को चार सौ रुपया प्रतिमाह देने की बात की गई है इसमें भारी रकम की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे प्रदेश के अन्दर अकलियतों ने 1857 से लेकर 1942 के महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आन्दोलन में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया है। हजारों लोगों को काला पानी की सजा हुई। हजारों लोगों ने जेल की यातना से तंग आकर फांसी का फंदा चूमा। पंडित राम प्रसाद बिसमिल के साथ अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद की जेल में फांसी हुई। यह पहली सरकार है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव की, जिन्होंने अकलियतों के उत्थान के लिए योजना चलाई। यही नहीं इस सरकार ने मान्यवर, 10वें और 12वें पास होने वाले लड़के और लड़कियों को कम्प्यूटर टेबलेट देने का काम किया है।

मान्यवर भारत के किसी कोने में किसी भी सरकार ने ऐसा फैसला नहीं लिया है। हम बधाई देना चाहते हैं अपने मुख्य मंत्री जी को, उन्होंने मान्यवर उत्तर प्रदेश के लड़के चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र के होंगे चाहे वह शहरी क्षेत्र के होंगे वह जब पास होंगे तो उनको लैपटाप टेबलेट देने का काम फ्री में किया जाएगा। इस सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए खासतौर से मुस्लिम लड़कियों के लिए जो गरीब है उनको पढ़ाई का अवसर नहीं मिल पाता है हम बधाई देते हैं अपने मुख्य मंत्री जी को और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, और मंत्रि-मंडल के सभी सहयोगियों को कि आजादी के 63 साल बाद, यहां की आबादी के 22 परसेन्ट लोगों की बेटियों को पढ़ाने के लिए बजट में भारी व्यवस्था की गई है। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं मान्यवर, दृष्टि बाधित, मूक, बधिर

और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लि 407.79 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यही नहीं मान्यवर, शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के लिए बजट में भारी व्यवस्था की गई है। उनके उत्थान और कल्याण के लिए मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी हम आपको बताना चाहते हैं कि दसवीं पास और ग्यारहवीं में प्रवेश पाने के लिए बजट में 302.39 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से कर्मचारियों के कल्याण के लिए अक्सर होता था कि वेतन आयोग की सिफारिश आई और उच्चीकृत वेतन हो गया लेकिन बजट में पैसा नहीं जो ऐतिहासिक है, वर्ष 2011-12 की तुलना में 4 हजार करोड़ रुपये की अधिक व्यवस्था की गई है। यह ऐतिहासिक फैसला है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की क्षेत्रीय विसमताओं को, बार्डर एरिया के डेवलपमेंट के लिए 55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिए इस सरकार ने भारी बजट की व्यवस्था की है, जिससे कानून व्यवस्था की सूबे की सही रहे। पिछले दिनों में हमने देखा सड़क और पुल के लिए इस सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। इसी सदन में पूर्वांचल में एक पुल है, जिसको टांडा-कलवारी के नाम से जाना जाता है। पिछले संसदीय कार्य मंत्री जी उसी क्षेत्र से चुनकर आते थे, मैंने असेम्बली में एक सवाल उपस्थित किया कि टांडा-कलवारी जो पूर्वांचल को जोड़ता है, सन्त कबीर नगर को जोड़ता है अगर यह मार्ग बना दिया जाए तो लोग अयोध्या होकर न आ करके टांडा-कलवारी होकर लखनऊ आ सकते हैं, इलाहाबाद जा सकते हैं। सवाल उपस्थित हुआ लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी यह हिम्मत नहीं जुटा पाये, इतने कमजोर संसदीय कार्य मंत्री थे कि वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो पुल माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था, जिसके खम्भे और आधार ब्रिज बन गया था, मान्यवर, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने कई बार अध्यक्ष जी से कहा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नीचे कुछ पेपर पढ़ रहे हैं इनसे आश्वासन दिला दीजिए कि पुल का निर्माण पूरा करा दिया जायेगा लेकिन नहीं करा पाये। यही नहीं जब प्रतिनिधियों की ऐसी उपेक्षा थी, मैं बड़ी दृढ़ता से इस हाउस में कहना चाहता हूं कि कोई भी सदस्य चाहे वह सत्तापक्ष का रहा हो या विपक्ष का रहा हो, नेता सदन, मा0 मुख्य मंत्री का दर्शन नहीं कर पाया। मैं बधाई देना चाहता हूं, मा0 अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की सरकार को कि 15 मार्च को शपथ लेने के बाद उन्होंने 5 कालीदास मार्ग का दरवाजा खोल दिया। एक तिथि निश्चित कर दी जन प्रतिनिधियों से मिलने के लिए। कोई सत्तापक्ष का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो, कोई किसी भी दल का विधायक हो, मान्यवर, हम लोग भी वहां गए और सदन के इन साथियों को देख करके मुस्कराये कि कम से कम वाह रे बहादुर जनता उत्तर प्रदेश की कि एक ऐसी सरकार बन गई कि जहां एक जमाना था कि अंग्रेजों के राज में कुछ एरिया फिक्स कर दिया जाता था कि यहां इण्डियन नहीं जा पायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री आरि अनवर हाशमी-

मान्यवर, मूल भावना पर आ जाता हूं, अभी तो मैंने शुरू किया है। किसी को जल्दी भी नहीं है। मान्यवर, सब वैरीकेटिंग हट गयी, कोई भी चला जाए, किसी भी दल का चला जाए, मुख्य मंत्री से मिलने, यह है लोकतंत्र, यह है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, मान्यवर, यह महान सपूत बापू की तस्वीर ऊपर

लगी है, विधान सभा में, इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक ही धोती पहनी और एक ही ओढ़ी, हिन्दुस्तान को आजाद कराने के लिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, अभी तो शुरू किया है। मान्यवर, हम विषय पर आ रहे हैं, पंचायती राज और गांव की बात आये, बापू याद न आयें, राष्ट्रपिता न याद आयें, मान्यवर, तो बात कैसे आगे बढ़ेगी ? पंचायती राज में मान्यवर, 5311.84 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज की बात आई, स्वराज की बात आई तो महात्मा गांधी याद आ जायेंगे, मान्यवर। पंचायती राज में इस सरकार ने इतनी भारी व्यवस्था की है। दुग्ध समितियों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। मान्यवर, दूध जीवन-रक्षक है, इसलिए 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध हैण्डलिंग की व्यवस्था यह सरकार करने जा रही है। पशुधन पर 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था पशुपालकों के लिए इस सरकार ने की है। इसी सदन में बैठा सुन रहा था, अभी चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पशुधन पर इस सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है। मैं मान्यवर, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस सरकार ने 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था पशुधन के लिए की गई है। मछुआ समुदाय के लिए बहुत पैसे का इन्तजाम किया गया है। मान्यवर, अभी ऊर्जा की बात चल रही थी।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिए, बहुत ज्यादा बोल चुके हो।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मैं थोड़ी सी बात मान्यवर, कह लूं। पिछली सरकार में हम ऊर्जा मांग रहे थे, सड़क मांग रहे थे, हैण्डपम्प मांग रहे थे, इसी सदन में खड़े होकर हम लोग कह रहे थे कि आप अपने सदस्यों को गनर दे रहे हैं, हमारे भी सदस्य हैं जिनके ऊपर प्राणघातक हमले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत समय हो गया है, समाप्त करें, बाइण्डअप करिए, खत्म करिए।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, हम उधर थे।

(बसपा के कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

घबराइये नहीं, अब इधर आपको नहीं आना है, वहीं बैठे रहना हैं मान्यवर, अगर आपकी इच्छा यही है तो एक शेर जो मैंने माननीय नेता सदन को सुनाया था जब सरकार कुछ नहीं कर रही थी। मैं अनुशासित हूं, मान्यवर, मैंने कहा था वादा कर रहे थे कि हां, हां, हां, प्रोसीडिंग में है, "कि होंठों पर हंसी, अधरों पर सिकन, इकरार भी है, इस वायदे को क्या मतलब समझूं, आसान भी है, दुश्वार भी है।" एक पुल नहीं बनवा पाये, उस सरकार के जो संसदीय कार्य मंत्री थे, अपने क्षेत्र का

एक पुल नहीं बनवा पाये। हमारी सरकार तो पूरे प्रदेश में सड़क और पुलों का जाल बिछाने जा रही है। इसलिए मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए जो बजट रखा है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री विजय कुमार दूबे-

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने काफी अच्छा बजट दिया है, किसानों के लिए, सिंचाई की व्यवस्था के लिए, विद्युतीकरण की व्यवस्था के लिए, लेकिन हम उस विधान सभा के लिए क्या कहें, जो देश के एक छोर पर बसा है। जहां नेपाल और बिहार की सीमा लगे होने के कारण न केवल विकास की किरणें ही, न केवल योजनाओं के लाभ बल्कि हमें लगता है कि बजट के अंश भी वहां तक पहुंचते-पहुंचते समाप्त हो जाते हैं। मैं मान्यवर, के माध्यम से प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि खड्डा विधान सभा के अन्तर्गत बेलवा, खानू, छपरा, कोहरगड्डी जैसे दर्जनों रजबाहे और दर्जनों माइनरें सिंचाई की सुविधा के लिए हैं। मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उस विधान सभा क्षेत्र से, नहरों और रजबाहों में सिल्ट जमा होने के कारण महीनों-महीनों से पानी नहीं आ सका है, किसान को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल सकी है। अभी चन्द दिनों पहले पता लगा है कि नहर के रख-रखाव के लिए माइनर और रजबाहों की सिल्ट सफाई के लिए देवरिया और फाजिल नगर में करोड़ों-करोड़ों रुपया आए और जहां नहरों के जाल हैं, जो सिल्ट भरा होने के कारण सूखें पड़े हैं, उस जगह उस उस विधान सभा में मात्र 8 से 10 लाख रुपये ही नहरों की मरम्मत के लिए आवंटित हुआ है। यह खड्डा विधान सभा के साथ भेदभाव का नतीजा है कि आज के समय भी खड्डा विधान सभा क्षेत्र में लकड़ी के जर्जर पोलों के सहारे 11 हजार की हाई टेंशन लाइनें काम करती हैं। जर्जर तारों के कारण लगभग हर साल दर्जनों लोग असमय मौत का शिकार होते हैं। अभी पिछली धान की रोपाई के समय में हाईटेंशन की तार कौआ बैठ जाने के कारण टूट जाने से तीन परिवारों के मुखियाओं की मौत हो गयी थी। यह खड्डा विधान सभा के रख-रखाव की अनदेखी का नतीजा है कि 50-80 किमी0 की दूरी तय करके वहां की जनता एक तहसील की सुविधा पाती है। अगर देखें तो दूसरे रूप में मानक 2-2 विकास खण्ड मुख्यालय, दो-दो पी0एच0सी0, 6-6 सी0एच0सी0, 4 महाविद्यालय, दर्जनों इण्टरमीडिएट कालेज, खड्डा में एक बड़ी शुगर मिल, खड्डा नगर पंचायत। सब मानक तय करने के बावजूद आज 15 सालों से वहां की जनता के जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन देने का काम किये हैं। पचासों ऐसे प्रमुख मार्ग हैं जहां पर गर्मी में धूल उड़ती है तो बारिश में कीचड़ से भर जाते हैं। ऐसे किनारे बसे उस विधान सभा क्षेत्र जहां पर बजट की सुविधा पहूंचते-पहुंचते समाप्त हो जाये। प्रदेश सरकार के ऐसे बजट जो हजारों करोड़ के हों, हम उनकी सराहना करें या आलोचना। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि खड्डा विधान सभा क्षेत्र और फाजिलनगर क्षेत्र के माइनर, रजवाहा और नहरों की वस्तुस्थिति का सम्पूर्ण विवरण अधिशासी अभियंता से मंगवा लें। कौन सा वह कारण है जहां नहरों की सुविधा नहीं वहां करोड़ों रुपया आवंटित किया गया। जहां सिंचाई के लिए नहरों का जाल है वहां पर मात्र 10 लाख रुपये आवंटित किया गया। तो ऐसी स्थिति में हम अपने विधान सभा क्षेत्र के किसानों की तरफ से बजट की आलोचना करें या सराहना। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। प्रणाम।

* श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं नवयुवक मुख्य मंत्री जी को बधायी देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है कि जो यहां के सत्तापक्ष के एक विधायक हैं जो किसान के पक्ष में इस बजट को बताते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बागपत जिले से आता हूं। बागपत जिला यमुना के किनारे बसा हुआ है। और बागपत जिले के 40-50 गांवों के किसान तकरीबन हर महीने डी0एम0 के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं कि यमुना की धारायें हमारे गांव के एक दम पास तक आ गयी हैं, वहां पर कोई बांध नहीं है, कोई ठोकर वहां पर नहीं लगी है। इस कारण से तमाम गांव के किसान इस बात से परेशान रहते हैं। मान्यवर, 35-40 गांवों की करीब 35 हजार एकड़ जमीन हरियाणा की तरफ चली गयी है और हरियाणा वालों से रोज संघर्ष होता है। रोज दंगाफसाद होता है क्योंकि वह जमीन छोड़ना नहीं चाहते। जमीन उत्तर प्रदेश के बागपतवासियों की है। वह अपनी जमीन लेना चाहते हैं इस पर बहुत बड़ा विवाद रहता है। अगर गांव के किनारे बांध ठोकरें लग जाये तो 40-50 गांव के किसानों की जान बचायी जा सकती है वरना वह किसान भूख की कगार पर पहुंच जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार किसानों की बात करती है। हमारे यहां एक मलकपुर शुगर मिल है। वह मोदी की है। वर्ष 2007-2008 का 15 करोड़ रुपया उस मिल पर बकाया है। किसान चक्कर काट-काट कर परेशान हो गया लेकिन उस मिल मालिक ने किसानों को एक पैसा बकाये का नहीं दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, जब बी0एस0पी0 के लोग बोलते हैं। हम नए विधायक चुन कर के आये हैं, इधर के लोग इस तरह से भनक-भनक कर बैठते हैं, जैसे हमने इनका कुछ ले कर के खा लिया हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं, इन्होंने अभी बोला है, अभी बताओ किसका ले लिया, 80 करोड़ रुपया इस मिल मालिक पर फरवरी का बकाया, जनवरी का बकाया है, जब उसने देखा सरकार समाजवादी की आ गई है, उसने एक पैसा आज तक एक भी किसान को नहीं दिया है। आप किसानों की बातें करते हैं पर यह तो देखो, किसान का दर्द क्या होता है, किसान का दर्द माननीय अध्यक्ष जी, बहन कुमारी मायावती जी को मालूम था। 125 रुपये कुन्तल, अंग्रेजों के जमाने से चली हुई सरकार जब आजाद देश हुआ था, 2007 तक था और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस दलित मजदूर किसान की बेटी ने पांच वर्षों में 125 रुपया प्रति कुन्तल बढ़ा कर के किसान को बता दिया, किसान के बेटे को बता दिया कि आपकी दु:खती रग पर मैं मरहम लगा सकती हूं। यह ज्यादा तादात होने से हाय-होल्ला मचाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपने एक भी योजना, एक भी किसान की बात मजबूती के साथ नहीं की, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मा0 अध्यक्ष जी यह 80 करोड़ रुपया जो मिल मालिक पर बकाया है, यह दिलवाने की आप अतिकृपा करें और इसी के साथ सिंचाई विभाग की तरफ से मा0 अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं हमारे ओसिका गांव है, इदरीशपुर गांव, बुढ़ेरा गांव है, एक नहर चलती है आये दिन वह टूट जाया करती है, उस नहर के टूटने से तमाम किसानों की बहुत बड़ी मात्रा में फसल के नष्ट हो जाने से वह बहुत टूट जाते हैं, हमारे पास आये थे, विधायक जी आप नए विधायक बन गये, कुछ करते क्यों नहीं, मैंने कहा अब यह बजट आया है इसमें देखो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों के लिए क्या करते हैं। एक पुलिया टूटी हुई है, वह पुलिया तो यह बना नहीं सकते, रोज डी0एम0 साहब के यहां बुढ़ेरा गांव के लोग एक छोटी सी पुलिया के लिए गिड़गिड़ाते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, नल-वल तो यह देने वाले नहीं है, किसी भी दशा में नहीं है, रोज 41 हजार नए हैण्डपम्प की बात करते हैं, नल हमने लगा दिये, अगर कोई भी हमारा विधायक भाई गलती से यह कह देता है कि मेरे क्षेत्र में पानी की दिक्कत है तो यह तुरन्त कह पड़ते हैं कि तुमने क्या हमको दिये थे, अरे हम और तुम कौन होते हैं, सरकार सबकी होती है, जब एक मुख्य मंत्री बनता है तो वह अकेले समाजवादी का नहीं, वह पूरे प्रदेश का मुख्य मंत्री बनता है, प्रधान मंत्री अगर कोई बनता हैं तो वह पूरे भारत वर्ष का बनता है किसी पार्टी या समाज का नहीं बनता है। आपको गरिमा से रहना चाहिए आप [xxx] कर बोलते हो, कोई कुछ कहता है तो [xxx] करने लगते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली की समस्या पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय सदस्य नौजवान हैं, उत्साही हैं, इसलिए अपनी बातों को कहने का उनका अपना ढंग है, धीरे-धीरे सब सीख जायेंगे। उन्होंने अभी कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए। [xxx] इस तरह के शब्द नहीं बोले जाते हैं, यह शब्द असंसदीय हैं। तो मान्यवर, इस तरह के जो-जो शब्द हों उनको आप दिखवा लेंगे। मैंने तो सिर्फ आपकी मदद के लिए कहा है कि आदमी उत्साह में इन बातों को कह जाता है, लेकिन वह चीजें फिर बाद में आपके खिलाफ आती हैं, इसलिए आपकी मदद के लिए ही मैंने यह कहा। आप अपनी आलोचना जारी रखें। तो इस तरह के शब्द मान्यवर कार्यवाही में न इस्तेमाल हों। अच्छे ढंग से लोग भाग ले रहे हैं, अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको दिखवा लेंगे।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने इधर के पक्ष के विधायकों को सम्मानित सदन में उन्होंने [xxx] बनाया, क्या यह संसदीय परम्पराओं के अनुरूप है। यह किस तरह की बातें हो रही है, सारे लोग ऐसे हैं क्या। यह हम लोगों का अपमान है माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह की परम्परा नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं, जो भी असंसदीय शब्द होते हैं, वह सब बाद में कार्यवाही से निकाल दिये जाते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी तो [xxx] को भी [xxx] नहीं कहते हैं, तो इनको क्यों [xxx] कहेंगे।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी, बस दो मिनट में हमारी बात समाप्त हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी हमारे यहां बागपत जिले में एक प्रापर्टी सोसाइटी का मिल है, वह शुगर मिल इतना गन्दा पानी फेंकता है, केमिकलयुक्त पानी फेंकता है, ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट नहीं चलाता हैं मान्यवर, हमारे यहां एक कालेज है, पृथ्वीराज चौहान डिग्री कालेज, उसमें कन्यायें, हमारी बहनें बेटियां पढ़ती हैं।

आज एक, डेढ़ महीने, दो महीना पहले ही हमारी बेटियां मूर्छित हो गयी, उसके पानी की वजह से। मा0 मंत्री जी का भी मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। वह जो नाला है जो शुगर मिल से निकलता हैं इसके लिये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। बजट आप चाहें जितना दे दें। मूल रूप से जब तक हम लोग उस पर नहीं आयेंगे तब तक उस बजट का कोई औचित्य नहीं है। परम आदरणीय अध्यक्ष जी, बिजली की बात पर आता हूं, मैं बड़ौत विधान सभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुन करके आया हूं। वहां पर मात्र 7, 8 घण्टे बिजली आती हैं मालूम नहीं पड़ता कि सुबह आयेगी कि शाम को आयेगी। शाम को गयी हुयी रात को आयेगी। आज कल लोगों का बच्चों का नाम भी बिजली करके बुलाने लगे क्योंकि जब बिजली आती है तो बच्चे बड़ा हल्ला मचाते हैं तो वैसे ही मालूम पड़ जाता है, जिसके यहां बिजली नहीं भी है तो बिजली आ गयी होगी जिसके लिये बच्चे हल्ला मचा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि कई जगह डबल ग्रुप में हो गया है, कई जगह सिंगल ग्रुप में है। हमारा बड़ौत सिंगल ग्रुप में है उसको डबल ग्रुप में कराने की अतिकृपा करें। हम नये नये विधायक बने हैं तमाम लोग भीड़ ले करके वहां पर पहुंच जाते हैं और देखो विधायक जी ये क्या हो रहा है। परली तरफ तो देखो कितना उजाला है और इधर कितना अंधेरा है। हमने कहा कि भैया हम अपनी विधान सभा में जा करके आपकी बात को बतायेंगे और निवेदन करेंगे अपने अध्यक्ष जी के माध्यम से कि इसको कराने का कष्ट करें। मान्यवर, एक छोटा प्रश्न मेरा और है कि बागपत जिले में एक अस्पताल नया बन गया है, बहुत आधुनिकीकरण से बना है, बड़ा स्वच्छ बन रहा है, कम्पलीट हो गया है परन्तु किसी कारणवश उसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्षेत्र में जो नर्सिंग होम बड़े बड़े सेठों के खुले हुये हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के खुले हुये हैं, वे उसका उद्घाटन नहीं करने देते। तो मैं बिना समाजवादी पार्टी का नाम लिये हुये मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसका उद्घाटन करवाने की कृपा करें। ये उद्योगपति उसका उद्घाटन नहीं होने दे रहे हैं। एक हमारे जिले में छोटा सा अस्पताल है उसमें एक्स-रे मशीन नहीं है। सीएमओ साहब ने मुझसे फोन करके कहा कि आप अपनी निधि से मुझको एक एक्स-रे मशीन दे दीजियेगा। मैंने कहा कि भैया मैं तो दे दूंगा। मगर इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारी विधान सभा में होती है स्वास्थ्य के नाम पर, किसान के नाम पर। मा0 अध्यक्ष, हमारा जिला कोई गरीब जिला नहीं है। हमारे जिले में 3 विधान सभा क्षेत्र है। अगर किसी के पास 100 बीघा जमीन है तो 95 बीघे में वो गन्ना बोने का काम करता है और पूरे भारत वर्ष में मैं कह सकता हूं कि जमीन की आबादी के हिसाब से बागपत जिला तमाम विश्व में सबसे बड़ा शूगर उत्पादक जिला है। परन्तु जब हमारे किसान भाई बैलों और झोटों से गन्ना लेकर के मिल पर जाते हैं, बैलगाड़ियों में अपना गन्ना लेकर के जब किसान आते हैं तो इतनी जर्जर सड़कें हो गयी हैं कि जो उनके बैल और झोटों आते हैं, उनके पैर भी लहुलुहान हो जाते हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि कम से कम उनको रिपेयर करा दिया जाये। मिल वाली की करा दें और किसी की हो न हो। मिल वाली सड़कों पर जानवर जो नहीं बोल सकता, उसको कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जब वह

चलता नहीं है तो किसान उसको डण्डा मारता है क्योंकि किसान को अपना गन्ना डाल करके घर वापस भी जाना होता है। मा0 अध्यक्ष जी, आपसे मेरा निवेदन है कि उस पशु पर आप जरूर किसान के पशु पर क्योंकि वह बेटे से भी प्यारा है उसको, परन्तु डण्डा मारना उसकी मजबूरी है क्योंकि गन्ना उसे मिल तक पहुंचाना है। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री मुहम्मद रमजान-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमें 2012-13 के बजट भाषण के समर्थन पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी, विगत 5 साल के कार्यकाल में जनता इतना त्रस्त हो गयी थी। लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, घूसखोरी इतनी चरम सीमा पर पहुंच गयी थी कि जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी। बड़े ही आकांक्षा की दृष्टि से हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी की तरफ देख रही थी कि कब समाजवादी पार्टी की सरकार आये तो हम लोगों को इस लूट और अत्याचार से छुटकारा मिले। समाजवादी पार्टी की सरकार आयी और हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था जो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में चुनाव प्रचार के समय कहा था, उसको पूरा करके उस बजट भाषण में करके दिखा दिया। मैं मा0 नेता जी का बहुत ही आभारी हूं और उनके समर्थन में मैं अपनी बात कह रहा हूं। मा0 अध्यक्ष जी, 5 साल के कार्यकाल में जनता की गाढ़ी कमायी का पैसा सिर्फ मूर्तियों, स्मारकों और पार्कों में खर्च कर दिया गया।

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को मूर्ति लगवाने का इतना शौक पैदा हो गया कि उन्होंने अपनी मूर्ति स्वयं लगवा दी, वह भी जनता की कमाई से, जबकि हमारे भारत देश में यह संस्कृति नहीं है जिन्दे व्यक्ति की मूर्ति लगवायी जाए, लेकिन उन्होंने अपनी मूर्ति लगवा दी। जनता की गाढ़ी कमाई का अनाप-शनाप खर्चा किया और जनता निराश हो गई, तब जाकर के उसने समाजवादी पार्टी की सरकार बनवायी। मैं बधाई देता हूं मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 अखिलेश यादव जी को कि मुसलमानों के हित की पहल की। बहुत अच्छी सोच रही उनके प्रति, मुसलमान भी उनकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा था, जैसे ही हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मा0 मुख्यमंत्री जी ने मुसलमानों के हित के लिए उनके जो कब्रिस्तान थे, जिसके ऊपर लोग कब्जा कर रहे थे। उन कब्रिस्तानों की सुरक्षा के लिए बाउण्ड्रीवाल दिया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं और आभारी हूं मुख्यमंत्री जी का। मा0 मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यकों की बच्चियों को शिक्षा हेतु बढ़ावा देने के लिए जो 30 हजार रुपये की घोषणा की उसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं और बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उनकी अल्पसंख्यक जैसे कि पहले मुसलमान पैदा होते या उसके पहले ही वह कांग्रेसी हो जाता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की सरकार ने क्या किया मुसलमानों के साथ यह किसी से नहीं छिपा है। अब मुसलमान केवल समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, आशा भरी निगाह से और सिर्फ मुलायम सिंह के ऊपर ही विश्वास करता है। इसके ऊपर जो उन्होंने मुसलमानों की लड़कियों के हित के लिए कार्य किया है, मुस्लिम भाइयों के कब्रिस्तानों की बाउण्ड्री के लिए काम किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, बहुत-बहुत आभारी हूं। इसी के साथ मैं कुछ आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जनपद श्रावस्ती बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। वहां वनस्पति संपदा बहुत है, वह जंगली एरिया है। मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर हमारे क्षेत्र में एक पेपर मिल

लग जाए और एक शुगर मिल लग जाए तो वहां के लोग बहुत की खुशहाल हो जाएंगे। इसी के साथ मैं पुनः बधाई देता हूं, मा0 मुख्यमंत्री जी को और मा0 अपने नेता जी को। इसके पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारे सारे विधायकों को 200-200 नल हर साल देते थे और दस-दस ग्राम समग्र विकास योजना के अन्तर्गत दिया था। पांच-पांच ग्राम विद्युतीकरण के लिए दिया था, सारे विधायकों को बिना किसी भेद-भाव के और ये सारी कल्याणकारी योजनाएं बसपा के लोगों ने, बसपा की मुख्यमंत्री मायावती जी ने बंद कर दी। हमेशा शौतेला व्यवहार किया। मैं इसी के साथ आपका आभारी हूं और आपका बहुत-बहुत, धन्यावाद।

श्री रवीन्द्र भड़ाना-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। आदरणीय, अध्यक्ष जी मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है उसमें किसी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र के आधार पर मतभेद नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं कि विकास कार्यों में कहीं-न-कहीं कुछ भेद करने की कोशिश की गयी है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूं। मेरठ से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास विकास की योजनाएं वहां प्रस्तुत नहीं की गई है। दूसरा यह है धर्म के आधार ऐसा हुआ है जैसे किसी व्यक्ति का देहांत होता है, उसकी अंत्येष्ठि होती है। आप कब्रिस्तानों के लिए उनकी चौबन्दी करने के लिए व्यवस्था करने का प्रावधान करते हैं, कोई बुराई का विषय नहीं है, आप करें लेकिन दूसरे वर्गों की जब अंत्येष्ठि होती है तो उनके श्मशानगृहों की भी ठीक प्रकार से व्यवस्था हो और उनकी चारदीवारी हो, उनकी टीन शेडों का निर्माण हो यह व्यवस्था भी करने का काम इस सरकार को करना चाहिए था। सरकार घोषणा करें मैं आपके माध्यम से मा0 अध्यक्ष जी इस सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि उसमें यह भी जोड़ने का मैं अनुरोध कर रहा हूं। किसानों के दुर्घटना बीमा के सम्बन्ध में कितनी राशि उसमें नियत की है सरकार ने और क्या वह उस किसान परिवार के जो उस पर आधारित है, उसकी आय पर आधारित है, उस परिवार के सभी लोगों को मिलेगी अथवा नहीं। मिलेगी तो कितनी मिलेगी, उसकी व्यवस्था सरकार बनाने का प्रयत्न करे। किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की नई नीति किस प्रकार से तय की गयी है क्योंकि जो भी नीति बनती है, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि किसान का मुआवजा, मीटर के हिसाब से अगर हम देखें तो इतना कम उसको देने का प्रयत्न किया जाता है और जब सरकारें उसको विकसित करके बेचती हैं तो 20 गुना, 50 गुना और 100 गुना तक कीमत आगे बढ़ जाती है और किसान को मिलने वाली कीमत अत्यन्त कम रहती है अर्थात् किसानों की भूमि का अधिग्रहण जो हो वह उसकी सहमति के आधार पर होना चाहिये और उसकी भूमि का वाजिब दाम मिलना चाहिये। मान्यवर, यह सरकार किसानों का दम भरती है, किसान की बात करती है। लेकिन किसान अपना गन्ना देने के लिये पिछले कई वर्षों से मेरठ के अन्दर ट्रैक्टर ट्रालियों में गन्ना लेकर कई-कई मिलों पर घूम रहा है लेकिन मेरठ की मोईउद्दीनपुर शुगर मिल बन्द है, पिछली सरकार ने उसको बेचने का प्रयत्न किया था वह डील पूरी नहीं हो पाई थी। वह डील पूरी न हो पाने के कारण वह न तो इधर की रही और न तो उधर की रही। आज मोइउद्दीनपुर का किसान परेशान है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मोइउद्दीनपुर शुगर मिल किसान के हित में तत्काल चलाई जाये, यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। किसानों के ऋण की बात आती है

तो सरकार ने उसकी राशि बढ़ाई है और यह सुगमता की बात कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि किसानों को एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जाये। किसानों की बात हम लोग करते हैं, बजट के अन्दर किसानों के प्राविधान की हम बात करते हैं लेकिन हमने निजी नलकूप लगाने के लिये किसानों को जिस प्रकार से उसको उसका कनेक्शन मिलना चाहिये लेकिन उसके कनेक्शन का प्राविधान कहीं नहीं किया है। आज किसान कनेक्शन के लिये भटक रहा है, उसमें सरकार की सहायता किसान के मिलनी अत्यन्त आवश्यक है। उनकी लाइन खिंचवाई जाये और उनको ट्रांसफारमर उपलब्ध करवाये जायें। अगर किसान निजी खर्चे पर कनेक्शन लेना चाहता है तो उसको उसमें भी विलम्ब हो रहा है और उसको कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं, ऐसे कनेक्शन उसको मिलने चाहिये। मान्यवर, बी0पी0एल0 कार्ड की संख्या जितनी 2002 में थी, आज भी संख्या उतनी ही है। कोई एक-आध व्यक्ति मर जाता है तो उसके स्थान पर दूसरे का कार्ड बन जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि बी0पी0एल0 कार्ड की संख्या बढ़ाई जाये और इसकी पुनः जांच हो कि जो उसमें वास्तव में जो उसका हकदार है, उसको बी0पी0एल0 कार्ड मिलना चाहिये, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। मान्यवर, क्षेत्र की जो विकास निधि है, वह अत्यन्त कम है, उसकी राशि बढ़ाई जाये, वह बहुत ही आवश्यक है। मान्यवर, हैण्ड पंपों की जितनी संख्या है उसकी संख्या के आधार पर क्षेत्र की पूर्ति नहीं हो पा रही है। मैं हैण्ड पंपों की संख्या सरकार से बढ़ाये जाने का अनुरोध करता हूं। पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डाक्टर के पास में जा सकता है लेकिन जब पशु बीमार हो जाता है तो उसको आप 5 किमी0 तक चला नहीं सकते वह पैदल नहीं जा सकता है इसलिये प्रत्येक न्याय पंचायत में एक पशु चिकित्सालय अवश्य होना चाहिये और वहां पशुओं की देख-रेख की व्यवस्था हो, पशु चिकित्साधिकारी को जो, पशु देखने के लिये जाता है किसी गांव के अन्दर तो उसको रास्ते का जो ट्रैवल का खर्च है, वह भी उसको नहीं मिलता है, अर्थात् जिस व्यक्ति का पशु बीमार है, वह उस खर्चे को उससे वसूलता है। तो उसमें ऐसा लगता है कि शायद डाक्टर बीच में पैसे खा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था हो जिससे डाक्टर वहां तक जा सके और पशुओं की पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था हो। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा में मैं सरकार से मांग करता हूं कि कन्या इण्टर कालेज, राजकीय इण्टर कालेज एक भी नहीं है तो वहां कन्याओं के लिये इण्टर कालेज खोले जायें, कन्याओं के पढ़ने की समुचित व्यवस्था हो और राजकीय इण्टर कालेज खोले जायें। मान्यवर, बेसिक विद्यालयों में जो अध्यापक हैं उन अध्यापकों की नियुक्ति इतनी-इतनी देर कर दी जाती है कि वह अपने परिवार का पालन-पोषण करने में अक्षम हो जाते हैं, आस-पास के जनपदों में अगर उनकी नियुक्ति की व्यवस्था की जाये तो उससे बड़ी सुगमता हो जायेगी। वृद्धावस्था किसान पेंशन के रूप में योजना पर सरकार ने 1473.59 करोड़ रुपये का बजट रखा है, लेकिन यह कितने किसानों को मिलेगी और इस पेंशन के मिलने का आधार क्या होगा क्या वह सभी किसानों को मिल पायेगी ? मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार सभी को पेंशन देने की व्यवस्था करे। मेरठ में खेलकूद का सामान बनाने का वहां एक विशेष क्षेत्र है, उसको खेलकूद उद्योग का दर्जा दे करके उसे विकसित किया जाये। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि सड़कें विकास की रीढ़ हैं और मेरठ के अन्दर सड़कों का बुरा हाल है। मेरठ से दिल्ली जाने के लिये एन0 एच0-58 में चार-चार घण्टे लाइन में लगा रहना पड़ता है। मान्यवर, मेरा सरकार से आग्रह है कि उसको दुगना चौड़ा बनाया जाये और उसे अतिक्रमणमुक्त किया

जाये। यदि रोड अतिक्रमणमुक्त होगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाले लोगों को सुगमता होगी। मान्यवर, मेरठ में इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, बाई-पास, जुरीरपुर रेलवे ओवर ब्रिज और ततीना सोनी एक गांव है वहां रेल का फाटक न होने के कारण कितने ही निरीह लोगों की जाने जा चुकी हैं, उस पर फाटक लगाने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाये। मान्यवर, मेरठ के अन्दर एक हवाई अड्डे की विशेष रूप से आवश्यकता है। दिल्ली के अन्दर इतना ज्यादा दबाव हो गया है कि मेरठ के अन्दर हवाई अड्डा बनना बहुत ही आवश्यक हो गया है, इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह केन्द्र सरकार से बात करके वहां हवाई अड्डे का प्रस्ताव भेजने का काम करे। मान्यवर, हमारे यहां एक गगौल तीर्थ है, जो हमारी विधान सभा में पड़ता है वह विश्वामित्र जी की तपोस्थली है, उसे पर्यटन का रूप दे करके विकसित किया जाये। मान्यवर, विद्युत् उत्पादन नहीं हो पा रहा है, उसमें नये-नये केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है ताकि विद्युत् उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि विद्युत् उत्पादन की ओर सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिये। मान्यवर, मेरठ के अन्दर एक भोला का स्थान है उस भोला के अन्दर पूर्व में लगे तीन टर्बाइन थे, मान्यवर, वह काफी समय से बन्द पड़े हैं अगर वह टर्बाइन चालू कर दिये जायें तो मेरठ के लिये वहां से विद्युत् उत्पादन हो सकता है, इसके लिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। मान्यवर, विद्युत् की लाइनें घनी आबादी के ऊपर से गुजर रही है। मान्यवर, 35-40 वर्ष पूर्व की आबादी के ऊपर से 11 हजार की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। मान्यवर, मेरठ के अन्दर ब्रह्मपुरी क्षेत्र विशेन चौक से माधवपुरम तक और मेडिकल के पास हनुमान बिहार यह प्रमुख क्षेत्र है जहां लोग अत्यन्त परेशान हैं इस हाई टेंशन लाइन से और कई लोग तो अपनी जान गवां चुके हैं। मान्यवर, मलियाना में जैन समाज के मन्दिर के पास से एक बड़ी लाइन जा रही है जो जसवन्त शुगर मिल की ओर जा रही है वह बस्ती के ऊपर से है, मैं उसे हटाने का सरकार से अनुरोध करता हूं एक भोपाल बिहार के पास है उसे भी आप देख लें। मान्यवर, मेरठ में जिस प्रकार से प्रदूषण का माहौल है, प्रदूषण इतना है कि मेरठ से जो हापुड़ रोड है वह मीट के व्यापार के रूप में विकसित हुई है, मीट व्यापारी वहां मीट पैकेजिंग के नाम पर अवैध पशु कटान कर रहे हैं। उस दिन मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी भी थे और उन्होंने इस ओर ध्यान भी इंगित किया था मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरठ से ऐसे कबाड़ को निकाला है लेकिन मान्यवर, मीट के पैकेजिंग प्लांटों व अवैध और व्यवसायिक कटान के कारण हापुड़ रोड और पूरा मेरठ नर्क बन गया है और वहां का जल प्रदूषित हो गया है। मान्यवर, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का जो एक ब्लाक शास्त्रीनगर का ट्यूबवेल है जो चलता है तभी क्षेत्र में हाहाकार मच जाता है उसमें नीचे से सीधा वह पानी कनेक्ट हो गया है और रक्तरंजित और चिकना पदार्थ उस ट्यूबवेल के अन्दर से आ रहा है उसे बन्द करने के लिये मैंने नियम-51 में सूचना दी थी। मान्यवर, प्रदूषण के कारण काली नदी प्रदूषित हो रही है। मेरठ व आसपास क्षेत्र की वहां की फैक्ट्रियों का चाहे वह दौराला शुगर मिल हो, दौराला आर्गेनाइज फैक्ट्री हो, उन फैक्ट्रियों का जल कानी नदी में छोड़ा जा रहा है। नीचे जमीन में छोड़ा जा रहा है। मान्यवर, हम लोग एक तरफ बात करते हैं सरकार एक तरफ बात करती है कि हम लोग नदी को प्रदूषण मुक्त करने की बात कर रहे हैं, नदियों के अन्दर नालों का पानी, फैक्ट्रियों का पानी, मीट फैक्ट्रियों का पानी छोड़ा जा रहा है। मेरठ के अन्दर जल प्रदूषण का अत्यन्त खतरा है। इन अधिकारियों से वह बात करें कि आखिर इतना प्रदूषण होने के बाद भी सरकार को वह क्यों अवगत नहीं करा रहे हैं कि यहां पर

इतना प्रदूषण है। जिसका या तो अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं या उन सभी साक्ष्य जबकि और तथ्यों को सरकार के सम्मुख आने से रोक रहे हैं प्रदूषण अधिकारी क्या स्वयं सारी नियमावली बना रहे हैं क्या सरकार अनभिज्ञ है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

मान्यवर, मेरी दो-तीन बातें और हैं। तालाबों को कब्जा मुक्त कराने हेतु सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद तालाब कब्जा मुक्त नहीं हो रहे हैं अपितु मेरठ के अछनौडा गांव में एक ऐसी घटना है कि सरकार बनते-बनते वहां पर एक बहुत बड़े तालाब पर कब्जा करने की कोशिश की गयी है। मान्यवर, मेरठ की जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ी है, थानों की संख्या कम है, वहां पर थानों की संख्या बढ़ायी जाये ताकि कानून-व्यवस्था ठीक प्रकार से काम कर सके।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

शिक्षा आदि के क्षेत्र में धर्म वर्ग के आधार पर यह व्यवस्था उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

सत्ता पक्ष की तरफ से कोई मा0 सदस्य बोलना चाहते हैं ?

श्री रविन्द्र भड़ाना-

अध्यक्ष जी, मात्र दो मिनट का समय और दे दें। शहरों से बारसात के पानी की निकासी हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, नालों के सफाई की व्यवस्था की जाये। अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मेरठ के अन्दर एक कताई मिल थी वह बन्द पड़ी है, उसकी राजकीय सम्पत्ति खुर्द-बुर्द हो रही है उसमें डिग्री कालेज खोले जाने की मैं आपसे आग्रह करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी, यह सब आप लिखकर दे दीजिये।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

एक फेडरेशन गगौल (पराग) दुग्ध इकाई के अन्दर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि हर रोज वहां पर करोड़ों रुपये की लूट हो रही है पिछली सरकार के काल से आज तक वहां भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। जो पिछली सरकार में अधिकारी भ्रष्टाचार में लगे हुये थे वास्तव में वही जमे हुये हैं। उसमें सरकार जांच करे और यह देखे कि करोड़ों रुपये की राजकीय सम्पत्ति कहां से लूटी जा रही है ? इसमें संलिप्त लोगों की जांच हो। ऐसे लोगों को वहां से हटाया जाये।

श्री अध्यक्ष-

10 मिनट से ज्यादा हो गया, अब आप समाप्त करें।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

मान्यवर, नदियों की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जो बजट पेश हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर गांव-गांव में इस बात की चर्चा है कि इतना अच्छा बजट पिछली सरकारों में कभी नहीं आया। एक-एक बिन्दु पर चर्चा हुई है, उस बात को जानने से पता लगता है कि सरकार जनता की भलाई के लिये किस तरह से काम कर रही है। हमारी सरकार ने जो एलान किया था उसका एक भी बिन्दु नहीं छूटा है, घोषणा-पत्र का। जनता अपने युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बधाई दे रही है। ऐसा बजट ला करके हिन्दुस्तान के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कल्पना थी, वह साकार होगा। एक भी बिन्दु नहीं छूटा है। कहा भी गया है कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ वर्क। समय, स्थान और कार्य, तीनों को समाहित कर ले जाता है, चाहे वह सरकार हो, चाहे जो भी कार्य हो, उसमें वह सफल रहता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मा0 मुलायम सिंह यादव, मा0 अध्यक्ष जी गांव-गांव में शुरुआत किये थे कि किस प्रकार यूनिटी बनती है, संगठन बनता है, कैसे कार्य होता है, समय सीमा क्या होती है ? उन्होंने इस बात को करके दिखाने का कार्य किया था। इस प्रकार से कुल मिलाकर जो यह बजट है वह समाज के लिये हर प्रकार से सुविधाजनक है। कुछ लोग जो विरोधी है, जिनको पसन्द नहीं आता है वह कहते हैं कि लुभावना बजट है। लुभावना नहीं है, समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। तमाम मा0 सदस्य उल्टी-सीधी बातें बोल गये। सदस्यगण वह बात तकलीफदेह जरूर है। लेकिन किसानों के लिये, बुनकरों के लिये, छात्रों के लिये, महिलाओं के लिये, अल्पसंख्यकों के लिये एक-एक बिन्दु पर बजट पेश हुआ है वह बजट निश्चित ही हिन्दुस्तान का अग्रणी बजट है और इस बजट से उत्तर प्रदेश का विकास सुनिश्चित है और आने वाले दो वर्षों में यह बजट आपको एहसास करा देगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुये बजट की सराहना करते हुये अध्यक्ष जी मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां नदी का किनारा है सुल्तानपुर से शाहगंज तक नदी का किनारा होने के नाते आज गर्मी के महीने में पेयजल का संकट गहरा गया है। जहां पर हम लोगों ने मांग किया था कि यहां पर पानी की टंकी लगाई जाय या इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्प से पेयजल की समस्या दूर की जाय क्योंकि पिछली सरकारों में हमारा कादीपुर विधान सभा क्षेत्र या पूरा जनपद इतना परेशान हुआ कि जो भी प्रतिनिधि रहे जो भी सरकारें रहीं हमारे सुल्तानपुर जनपद के नदी के किनारे के लोगों के पेयजल की समस्या के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। गोमती नदी का सुल्तानपुर जनपद में और जौनपुर में गन्दा पानी बहता है गोमती नदी का जल प्रदूषित हो रहा है बगल में जंगल है हमारे किसानों के सामने समस्या है नील गायों और जंगली सुअरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। उनके लिये कुछ न कुछ उपाय करना जरूरी है क्योंकि नील गायों और सुअरों से किसानों की सारी खेती नष्ट होती जा रही है। हमारे यहां जो पर्यटन केन्द्र में सम्मिलित है। बिजथुवा महाबीरा वहां हर मंगलवार को मेला लगता है और शाहगंज से सूरापुर में बरसात के महीने में इतना जलभराव हो जाता है कि सड़क पर जाना मुश्किल हो जाता है, सड़क के बारे में हमने मांग किया है कि उस सड़क की

ऊंचाई बढ़ाई जाय। बिजथुआ और हनुमान ही धाम तक सड़क का निर्माण होना चाहिये। ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं कि उसमें हमारी विधान सभा में सहयोग किया जाय। इसी प्रकार हमारे अम्बेडकर नगर से सटे हुये साहीपुर दोसपुर तक जल भराव हो जाता है वहां सड़क बनना आवश्यक है। इसी प्रकार बेलवाई जो बहुत बड़ा मंदिर है वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। बेलवाई शंकर धाम को भी पर्यटन केन्द्र के रूप में लिया जाय वहां पर अम्बेडकर नगर तक जो सड़क जाती है। बेलवाई से लेकर बीबीगंज देवनगर तक सड़क न बनने से आवागमन बाधित हो गया है। मान्यवर, हमारे यहां विद्यालय बहुत हैं महाविद्यालयों की भरमार है 14 महाविद्यालय हमारी विधान सभा क्षेत्र में हैं लेकिन महाविद्यालय खोलने से हमारे क्षेत्र का विकास संभव नहीं है मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में पालीटेक्निक कालेज खोला जाय जिससे टेक्निकल एजूकेशन के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करें। उदाहरण के लिये नागासाकी हिरोसिमा जब एटम बम से नुकसान पहुंचाया गया था जापान का और जर्मनी जो ध्वस्त हो गये थे तो जर्मनी और जापान के ध्यस्त होने के बाद वहां की जो नई सरकार बनी उस नई सरकार ने प्लेटो की शिक्षा नीति को कम्पल्सरी किया और प्लेटो ने हाई स्कूल शिक्षा को कम्पल्सरी किया और हाई स्कूल में 80 प्रतिशत लोगों को फेल नहीं किया बैक किया उनको कहा कि इनको टेक्निकल एजूकेशन दिया जाय जो 20 प्रतिशत बचे उनको इण्टरमीडिएट की शिक्षा दी और 15 प्रतिशत को सैनिक शिक्षा दिया पांच प्रतिशत को हायर एजूकेशन दिया।

मान्यवर, आज हमारे यहां टेक्निकल एजूकेशन के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने का काम होना चाहिये। मान्यवर, जर्मनी यहां का एक छोटा बच्चा खिलौना बनाता है और वह बाजार में भेज देता है वह चार-पांच रुपये में बिक जाता है। और उसे बड़े शौक से हम लोग खरीद लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी सरकार जो है हमारे क्षेत्र में पालीटेक्निक कालेज खुलवाये और वहां पर टेक्निकल एजूकेशन को बढ़ावा दिया जायेगा। वहां पर हायर एजूकेशन को बढ़ावा दिया जायेगा। जब इन सभी शिक्षाओं को बढ़ावा दिया जायेगा तभी हमारे प्रदेश का और हमारे देश का विकास होगा। मैं चाहता हूं कि कादीपुर में पालीटेक्निक इंस्टीट्यूट खुलवाया जाये, गवर्नमेन्ट द्वारा पालीटेक्निक कालेज खुलवाया जाय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं सहारनपुर जिले से आता हूं और जो उत्तर प्रदेश के सबसे लास्ट में पड़ता है। मान्यवर, आये दिन वहां पर विभिन्न प्रकार की दुर्घटनायें होती हैं, एक्सीडेंड होते हैं, मर्डर और हत्यायें होती हैं। जो वहां पर हास्पिटल है वहां पर सभी प्रकार की सुविधायें नहीं हैं। वहां पर सभी सुविधायें दी जायें ताकि मरीजों का समुचित इलाज हो सके। मान्यवर, हमारी बहन मायावती जी के प्रयासों से सहारनपुर में एक मेडिकल कालेज की स्थापना का काम हुआ है वह 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। लेकिन अभी तक वहां पर ओपीडी शुरू नहीं हो सकी है। अभी वहां पर मात्र कुछ वार्ड ही तैयार हो पाये हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुये वहां के निर्माणाधीन मेडिकल कालेज को शीघ्र पूर्ण कराया जाय वहां पर ओपीडी प्रारम्भ करायी जाये और आपरेशन थियेटर को

चालू कराया जाये। मान्यवर, वहां पर मेडिकल कालेज के पूर्ण होने के साथ-साथ सारी सुविधायें प्रारम्भ करना बहुत जरूरी है।

मान्यवर, इस बजट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को शिक्षा की मद में दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि की मद में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि उस धनराशि का कोटा इसमें बढ़ाया जाये ताकि अधिक से अधिक इस जातियों के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।

मान्यवर, जो बीपीएल की सूची है वह 2002 की बनी हुई है। उसमें अभी भी बहुत से गरीब लोगों को सुविधायें नहीं मिल पायी हैं। मान्यवर, 2002 की सूची में बहुत से बीपीएल कार्ड होल्डर ऐसे हैं जिनके पास मकान हैं, कार है, ट्रैक्टर है और दूसरी सुविधायें हैं वह उसका लाभ ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जांच करायी जाये और उनके स्थान पर जो मानक में आते हैं उन लोगों के नामों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाये।

मान्यवर, हमारे यहां रामपुर ब्लाक में रामपुर मनियारान में तहसील भवन की बात थी हमारी सरकार के समय में उसका सृजन हुआ था। उसमें जमीन न मिल पाने के कारण जिले में पैसा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वहां पर तहसील भवन का बनना बहुत जरूरी है उसको बनवाया जाये।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक 132 केवीए का बिजली घर पर काम किया गया था वह पूर्ण नहीं हो पाया है उसको बनवा दिया जाय और चालू करवा दिया जाय। वह पूरा हो जाये। मान्यवर, हमारे यहां लोगों को दो ढाई घंटे बिजली मिल पाती है। वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बिजली लाइनों को पूरी तरह से पड़ने नहीं दिया वह काम बीच में ही रुक गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि वह बिजली घर चालू करवाया जाये। मान्यवर, आप इस बारे में सरकार को निर्देश देने का काम करें। वह बिजली घर वहां पर 21 करोड़ की लागत से बन रहा है। मान्यवर, एक गांव हमारे यहां पड़ता है टपरी। वहां पर हिन्डन नदी है। वहां पर स्टार पेपर मिल है वहां पर स्लाटर हाउस है उसके गन्दे पानी से वहां पर जो नाला है, जब उससे गुजर कर पशु निकलते हैं तो उनके हाथ पैर गल जाते हैं। जो किसान गुजरते हैं उनके हाथ पैर गल जाते हैं। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और उस क्षेत्र में लगभग 20-25 गांव ऐसे हैं जिन गांवों के अन्दर कैंसर के रोगियों की संख्या काफी बढ़ रही है क्योंकि वहां पर हर 5 फिट का जो चोवा है पानी का वहां पर पानी का जलस्तर इतना गिर चुका है, वहां पर पानी पीला हो चुका है। जो समस्या है पानी की बहुत गम्भीर है इस समस्या को आपके माध्यम से मैं जरूर हल कराना चाहता हूं। आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री रणजीत सुमन-

धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत आभारी हूं कि वर्ष 2012-13 के बजट के लिये आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के वर्ष 2012-13 के लिये सबसे बड़ा बजट जो सदन में पेश किया उसके लिये बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा सदन में इतना बड़ा बजट पेश किया गया जिसमें

समाज के सभी वर्गों अल्पसंख्यक, पिछड़े, कमजोर, मजदूरों का पूरा ध्यान रखा गया है और मैं यह भी कह सकता हूं कि महात्मा गांधी, जय प्रकाश नरायनजी और डा0 राम मनोहर लोहिया जी के और वर्तमान में उस समाजवादी विचारधारा के अलख को जगाने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समाजवादी विचारों और नीतियों को लगातार बनाये रखने के लिये जो बजट पेश किया है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उससे प्रदेश में विकास की एक धारा बहेगी और आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान को इस प्रदेश में एक उन्नति दिखाई देगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इस बात के लिये बधाई देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव में जो वायदे किये थे उन वादों को इस बजट के द्वारा पूरा करने का भी फैसला किया और वह पूरे हो रहे हैं। जैसे कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिये काफी इजाफा किया जिसमें कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल, अल्पसंख्यक मलिन बस्ती में विकास, अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिये शिक्षा और इसके अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ता, छात्रों को लैपटाप व टेबलेट, किसानों की कर्ज माफी, कन्या विद्याधन और बीपीएल महिलाओं के लिये साड़ियां और पुरुषों के लिये कम्बल, बुनकरों के लिये बिजली बिल माफ, साहित्यकारों एवं खिलाड़ियों को यशभारती का प्राविधान किया है यह बहुत ही सम्मान योग्य बात है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिलों के लिये त्वरित आर्थिक विकास योजना में जो लोहिया ग्रामीण आवास योजना चलाई गयी, गरीब ग्रामीणों के लिये आवास, नलकूप, बोरिंग के लिये लोहिया नलकूप योजना, सरकारी अस्पतालों में असाध्य रोगों के इलाज के लिये निःशुल्क चिकित्सा, सभी जिला मुख्यालयों को चार लेन, हाइवे से जोड़ना, शहरों को सफाई का नया मिशन यह ऐसी पहल है जिससे प्रदेश को लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उ0 प्र0 सरकार का स्पष्ट मत है प्रदेश की जनता का जो पैसा है वह प्रदेश की जनता के विकास के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाने का फैसला किया है। हमने पिछली सरकार में देखा जो लोग दलितों की बहुत दुहाई देते थे, दलितों के मसीहा बनने की कोशिश करते थे मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने जब दौरा किया था मायावती ने जब दौरा किया था उनकी मौजूदगी में दलितो पर लाठियां बरसाने का काम किया गया था। मैं जनता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अपने बजट में किसी के साथ कोई भेद-भाव नहीं रखा है। प्रदेश की जनता को समान रूप से विकास और उन्नति की ओर देखा है। जो पैसा प्रदेश का था विगत सरकार ने उस पैसे को मूर्तियों पर, पार्कों पर और उन लोगों के नाम लेकर खर्च किया महापुरुषों का, जिनको हमने अपनी आंखों से देखा है कि जिनकी गिनती महापुरुषों में नहीं होती आज वह सारे महापुरुष कोने में उनके साथ खड़े हैं। इससे ज्यादा अपमान महापुरुषों का कोई हो नहीं सकता। नेता प्रतिपक्ष आज यहां पर इस समय मौजूद नहीं हैं। मैं उनकी मौजूदगी में कहना चाहता था कि हम सदन में नये आये हैं, पहली बार चुनकर आये हैं। हमने देखा है सदन में कोई बात छिड़ती थी उन्होंने एक बात हर मुद्दे पर कही। गुन्डा राज, कानून व्यवस्था खराब, अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार। माननीय अध्यक्ष जी यह सब सारी चीजें पहले थीं लेकिन इस प्रदेश की जनता ने एक बहुत बड़ा फैसला 6 मार्च, 2012 को लिया था कि इस बहुजन समाज पार्टी की सरकार को धूल चटाकर यह बता दिया कि गुन्डाराज नहीं चलेगा तभी समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत बड़े आधार के साथ उत्तर प्रदेश में आई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिये भी बधाई देना चाहता हूं कि आज से पहले उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना लोकप्रिय बजट कभी नहीं आया।

इसलिये जनता पर बिना अधिक भार डाले जो बजट पेश किया गया है वह इस प्रदेश के लिये मील का पत्थर साबित होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जब मैं यहां आया था सदन में पहली बार तो आपने दो दिन का प्रबोधन कार्यक्रम चलाया था। हमको इस बात का गर्व हुआ कि हमारी पीठ पर हाथ रखने वाला और हमको सदन में राह दिखाने वाला और आगे ले जाने वाला भी कोई है। आपने बताया था कि स्वामी प्रसाद मौर्या जी को भी आपने वहां बुलाया है। लेकिन यहां देखकर ऐसा लगा कि अगर वह वहां आते तो हमको क्या सीख देते। यह बहुत अच्छा हुआ कि वह वहां नहीं थे। आपने हमको बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार के सटे सीमा पर हमारा विधान सभा क्षेत्र पड़ता है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्ताव में बहुत सारी चीजों को रखने का काम किया है उस सन्दर्भ में मैं अपने जनपद की कुछ विशेष समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। इन्सेफलाइटिस से पूरा पूर्वांचल ग्रसित है। उसमें सबसे ज्यादा ग्रसित है तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र। यहां पर पिछले साल लगभग 133 लोग कालकवलित हुये थे। जैसा कि आप सब लोगों को पेपर और तमाम चीजों के माध्यम से जानकारी हुई। 133 लोगों के मरने का कारण इन्सेफलाइटिस में जो स्थिति रही वहां जो इन्जेक्शन की चर्चा पिछले समय सदन में चल रही थी माननीय श्री आजम खां साहब और डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी के बीच में। इन्जेक्शनों की स्थिति यह थी कि हमारे यहां सारे इन्जेक्शन जो बच्चों को लगाने के लिये आये थे, नाले में पाये गये उन इन्जेक्शनों का अच्छे ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। उसकी जांच आज तक लम्बित है और उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। कुशीनगर जनपद में मुसहर जाति जो सबसे ज्यादा है और मुसहरों की स्थिति यह है कि हर साल कुपोषण से सबसे ज्यादा मुसहरों की मौत होती है। पिछले दिनों 26 तारीख को 4 मुसहर मरे और कल की तारीख में एक और मुसहर की मौत हो गयी। उनकी स्थिति यह है कि वह हर वर्ष कुपोषण का शिकार होते हैं। मुझे खेद है कि इस बजट में कुशीनगर जनपद में मुसहरों के लिये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे उनका ठीक ढंग से पुनर्वास किया जाय, ठीक ढंग से उनके रहने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, मैं नहरों के पानी के लिये कहना चाहता हूं कि जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी कृषि का साधन हुआ करती है। उन नहरों के पानी के लिये कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। नहरों के पानी के लिये इतने ठोस पैसे नहीं दिये गये हैं कि नहरों जो मुख्य पश्चिमी गंडक नहर 81.0 से लेकर 131 किलोमीटर तक की नहरों के पूरे मेन कैनाल में पूरा सिल्ट पटा हुआ है। और वह सिल्ट ढाई मीटर पटा हुआ है। सारे फाटक टूटे हुये हैं सारे हैड टेल, रजवाहे और माइनर हैं वह सब टूटे हुये हैं उनके रख रखाव या उनमें हैड से टेल तक पानी देने के लिये कोई विशेष पैकेज की व्यवस्था नहीं की गई है। आपके बजट में आशा कार्यकत्री जो आज हास्पिटल की सबसे जिम्मेदार कार्यकत्री के रूप में आप देख लीजिये, किसी स्त्री को अगर प्रजनन की सुविधा होती है तो वही आशा कार्यकत्री के भरोसे महिला को ले आती है और वह आशा कार्यकत्री उसका प्रसव कराने का काम करती है। आशा कार्यकत्री के लिये इस बजट में कोई ऐसा पैसा नहीं दिया गया है जिसके कारण वह ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिये सहायक हो सके। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत मित्र आज

जो आज आम आदमी की रीढ़ बने हुये हैं ग्राम सभाओं में सचिव की बहुत भारी कमी है पंचायत मित्रों के भरोसे पूरे गांव का कामकाज चल रहा है और पंचायत मित्रों के लिये कोई विशेष पैसा बजट में नहीं दिया गया है जिससे गांव का ठीक से कार्य संचालित हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान केन्द्र एशिया का प्रथम अनुसंधान केन्द्र हमारे सेवरही में स्थित है। पहले यहां डायरेक्टर का पद होता था, ज्वाइन्ट डायरेक्टर का पद होता था वहां पर तमाम बीज शोध किये जाते थे। आज पैसे न मिल पाने के कारण पूरा गन्ना अनुसंधान केन्द्र अस्त व्यस्त पड़ा है, इस बजट में मैं मांग करना चाहूंगा सरकार से, गन्ना अनुसंधान केन्द्र को पैसे दिये जायें कि गन्ना का शोध नई-नई तरीके से हो सके। आप जानते हैं कि इन्सेफेलाइटिस की चर्चा हो रही थी। इन्सेफेलाइटिस के बारे में मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि हमारे कुशीनगर जनपद में अगर यह बीमारी है तो उसका सबसे बड़ा कारण है पानी। पानी का जलस्तर इतनी खराब स्थिति में है कि जो सरकारी नल 113 फिट पर गड़ना चाहिये वह मात्र 50 से 60 फिट पर गाड़कर पानी दिया जा रहा है और पानी की स्थिति यह है कि हमारे इलाके के सारे हैण्डपम्प, लगभग 90 प्रतिशत हैण्डपम्प सूखे पड़े हैं। अगर कोई गांव वाले हैण्डपम्प की शिकायत करने जाते हैं तो यह कहा जाता है ग्राम सभा के प्रधान से मिलकर रिपेयरिंग कराइये। वहां स्थिति यह होती है कि पर्याप्त धन नहीं होता है कि उस हैण्डपम्प को ठीक कराया जा सके और लोगों को पानी मिल सके, फिर जल निगम द्वारा यह कहा जाता है कि इसको री-बोरिंग कराया जाये और री-बोरिंग के लिये पैसा नहीं मिल पाता है और वह हैण्डपम्प सूखे पड़े रहते हैं मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि कठकुइया चीनी मिल जो बरसों-बरसों से बन्द पड़ी हुई है सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस कटकुइया चीनी मिल को पुनः चलाया जाये। चूंकि हमारा क्षेत्र गन्ने पर आधारित है उसकी व्यवस्था समुचित तरीके से चल सके और गन्ना किसानों का गन्ना उस फैक्ट्री में गिर सके इसलिये इसको पुनः चलवाने का कष्ट करें। कुशीनगर जनपद में खासतौर पर तमकुही क्षेत्र में भीषण अग्निकांड हर साल होता है। हमारा इलाका जो मड़ई कहा जाता है उस मड़ई पर आधारित है। वहां फूस-फास के घर हैं वहां आवास की व्यवस्था कर दी जाये तो हो सकता है कि उनका घर हर साल न जले। इसके लिये मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि हर थाना क्षेत्र तमकुहीराज में अगर एक-एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी रख दी जाये तो शायद अग्नि पीड़ा से हम लोग ठीक ढंग से निपट सकें। हमारे इलाके में 1984 में भीषण बाढ़ आयी थी वहां तमकुहीराज रोड बड़वा पट्टी रोड टूटी थी उसको बाबू गेंदासिंह जी ने बनवाया था। 1984 के बाद से वह रोड नहीं जुड़ पाया। वहां पुल के निर्माण की मांग बहुत दिनों से चल रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उस पुल को बनवाकर तमकुहीरोड, बरवा पट्टी मार्ग को जोड़ने का काम किया जाये। मान्यवर, किसानों पर पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी-अपनी बातों को रख रहे थे। मान्यवर, हमारे क्षेत्र के लोगों का पैसा जो पहले कोआपरेटिव बैंक में जमा हुआ करता था। आज आपके सामने एस0बी0आई0, पी0एन0बी0 तमाम बैंक खुल गये हैं। उस समय के लोगों का सारा पैसे का संचालन कोआपरेटिव बैंक से चलता था। आज कोआपरेटिव बैंक के बन्द होने से लाखों किसानों का पैसा उस बैंक में पड़ा है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि उन कोआपरेटिव बैंकों को चालू करके लोगों के बकाये का पैसा

दिलवाने की व्यवस्था करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं।

* श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी ने जो शानदार और जानदार बजट पेश किया है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज मैं इस पीठ का नमन करते हुये बताना चाहता हूं कि गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिये हितैषी कही जाने वाली सरकार ने करोड़ों की संख्या में बसने वाले मछुआ समाज के लिये अपने इस बजट में 1500 आवास की व्यवस्था करायी है। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ सरकार कहती है कि समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं 16 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कहती है और दूसरी तरफ इनकी जो व्यवस्था है, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो इस समाज को व्यवस्था दी है उस व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम यह सरकार कर रही है। यही जानदार-शानदार यह बजट है। माननीय अध्यक्ष जी, आज गरीबों, किसानों की बात करने वाली सरकार के लिये तमाम साथियों ने तमाम बातें कही हैं, मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार ने बालू खनन की जो व्यवस्था बनायी थी जिसमें आरक्षण बनाया था और तालाबों के पट्टे के बारे में आरक्षण बनाया था। मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज भी मेरे तहसील चौरीचौरा में जो शहीदों की धरती कही जाने वाली चौरीचौरा तहसील है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरेआम राजस्व विभाग की धज्जियां उड़ायी जा रही है। वहां पर राजस्व विभाग के लोगों ने लेखपाल से लेकर एस0डी0एम0 तक ने गरीबों के बीसों साल से बसे हुये जो घर हैं, मजदूरों के झोपड़े और जो घर हैं उनको उजाड़कर उसके स्थान पर आलीशान बंगला बनाये जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। मैंने उस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यहां तमाम ऐसी समस्यायें हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके विभाग ने एक गरीब परिवार के 70 सागौन के पेड़ जे0सी0बी0 मशीन से उखड़वाकर फेंक दिये और वहां का एस0ओ0, वहां एस0ओ0सी0 और वहां का ए0सी0ओ0 और वहां का कानूनगो बैठकर उनके घर को उजाड़ रहा है। उसके घर को उजाड़ रहा है, उस परिवार का एक व्यक्ति बीमारी की हालत में 15 दिन से हास्पिटल में भर्ती है और पूरा प्रशासन ले जा करके उसको उखाड़ने का काम किया जा रहा है, उस घर को बेदखल करने का काम किया जा रहा है। मा0 राजस्व मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि एक ओर आपकी सरकार की तारीफ में पुल बांधे जा रहे हैं, दूसरी ओर उस सरकार के कारनामे तो देखिये, अपने कान को खोल करके बैठिये और सुनिये, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, आपकी सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम है, आप देख लें। आज सुबह-सुबह की बात है आज बिना किसी आदेश के मेरी ही विधान सभा क्षेत्र में जो छनहा थाने के अन्तर्गत ग्राम सभा विश्वनाथपुर आता है विश्वनाथपुर में समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा उस गरीब परिवार के व्यक्ति को बेदखल किया जा रहा है, बिना किसी आदेश के, बिना किसी एस0डी0एम0 के आदेश के उस घर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को उजाड़ करके जबरदस्ती किसी दूसरे का घर बनवाने का काम किया जा रहा है, यह है कानून, यह समाजवादी पार्टी का कानून, यह है समाजवाद, यह सरकार की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार कहती है कि हम किसानों के लिये पांच लाख रुपये बीमा योजना की व्यवस्था कराये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जब जरूरत पड़ती है तब मछुआ समाज की याद आती है, जब बाढ़ आती है और वहां कोई नहीं पहुंच पाता है, वहां मछुआ समुदाय के लोग पहुंचते हैं, जहां उनकी बहुत जरूरत पड़ जाती है और ऐसी अवस्था में वहां कोई दूसरा पहुंच कर सहयोग नहीं कर पाता है, ऐसी जगहों पर उस गोताखोर और मछुआ की जरूरत पड़ती है, लेकिन मा0 मुख्यमंत्री जी के बजट में उस मछुआ समुदाय के लिये एक भी परसेंट का कही भी किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है और उसके लिये कहीं भी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ देने का कोई भी प्राविधान नहीं किया है, इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी सरकार का मैं पुरजोर विरोध करता हूं, ऐसी सरकार गरीबों की विरोधी है, यह सरकार गरीबों की कभी हितैषी नहीं हो सकती है, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, तमाम ऐसी बाते हैं, जो कि अनवरत हम लोग सुनते रहते हैं, हम अपने पुराने साथियों की बात सुनते-सुनते जो सारी व्यवस्थायें हैं, यह तो यहां कहावत कह लेते हैं, लेकिन वहां गरीबों पर क्या गुजरती है, इनको देखने में नजर नहीं आता है। आज यह सरकार मायावती जी की बात करती है, मायावती जी तो एक ऐसी नेता हैं, जो हम जैसे गरीबों को और सत्ता दल में भी हमारे तमाम साथी ऐसे बैठे है, जिन्हें कभी किसी ने पूछने का काम नहीं किया, उन्हें भी नेता बनाया और नेता बनकर के आज वह जाकर सत्ता में आसीन हैं। यह बहन कुमारी मायावती जी के क्रियाकलापों की बात करते हैं, यह उनके एक तिनके के बराबर भी नहीं हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आज तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में उन गरीबों का जिक्र भी नहीं किया गया, जिन गरीबों के लिये जो कानून बनना चाहिये, उन गरीबों के लिये वह कानून नहीं बना। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके समक्ष जो यह तमाम बातें कही हैं, अगर आप अपनी किसी एजेन्सी से इसकी जांच करायेंगे तो आपको इसकी सच्चाई का पता जरूर चलेगा। हमारी विधान सभा में जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, एक भी हत्यायें नहीं हुई हैं, जैसे ही समावादी पार्टी की सरकार बनी तीसरे ही दिन एक यादव समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाती है और वहां का थानाध्यक्ष कहता है कि हमको पता नहीं है। थाने के बगल में हत्या होती है और उस थानेदार को पता ही नहीं चलता है कि हत्या हो गयी। मा0 अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा की दो तारीख की बात है एक चौधरी समाज के परिवार के बेटे को चार गुण्डों ने घर से उठा लिया और जब सम्बन्धित थाना कोराबाद के थानाध्यक्ष से पीड़ित परिवार ने कहा कि मेरे बेटे का अपहरण कर लिया गया है, तो थानाध्यक्ष के कान में एक बार भी जूं तक नही रेंगा, उल्टे विरोधियों से मिल करके थानाध्यक्ष ने एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं किया और ठीक उसके दूसरे दिन उस परिवार के बच्चे की हत्या कर दी जाती है और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खोरापार का थानाध्यक्ष ने उस परिवार का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। नकरपुर थाने के अन्तर्गत ले जा करके उस लड़के की हत्या कर दी गयी 2 तारीख को। आज जा करके फोटो के माध्यम से उसकी शिनाख्त हुई है। मैंने जा करके एस0एस0पी0 को बताया लेकिन एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं हुआ, उनकी मंशा एफ0आई0आर0 दर्ज करने की नहीं रही और जो हत्यारे हैं उस परिवार से मिल करके इन लोगों ने काम किया है। यह ऐसी सरकार है जिस

सरकार को मैं धिक्कारता हूं, ऐसी सरकार पर लानत है जो सरकार कहती है कि हम गरीबों की सरकार हैं, ऐसी सरकार का मैं पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कई बार विरोध कर चुके हैं। अब बैठ जाइये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने अभी जिन बातों का उल्लेख किया है। मैं दो बाते बताना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे सदन को कि सरकार ने अपनी स्थापना के समय ही शुरू में जो तत्काल निर्देश जारी किये थे उसमें एक निर्देश स्पष्टता से जारी कर दिया है कि किसी भी किसान का किसी भी हालत में कोई उत्पीड़न नहीं होगा किसी वसूली के लिये। अभी ये जो मा0 सदस्य कह रहे थे, अगर ऐसी कोई घटना हुई हो तो मुझे लिख कर दे दें और मैं उस पर पूरी कार्यवाही करा दूंगा। मैं आश्वस्त करता हूं।

(श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

आराम से, आराम से रहो, इतनी जल्दी न करो, सुन लो पहले, आपके मतलब की कह रहा हूं। मा0 अध्यक्ष जी, हमने ये निर्देश ही नहीं दिये हैं बल्कि सुनिश्चित भी कराया है और रिपोर्ट ली है पूरे प्रदेश से कि एक भी व्यक्ति किसी भी तहसील के लॉकअप में सरकार की स्थापना काल से अब तक एक दिन के लिये भी नहीं गया है। यदि कोई रिपोर्ट, कोई सूचना इसके प्रतिकूल किसी मा0 सदस्य के पास हो तो वो मुझे दे देंगे तो हम उसकी गम्भीरता से जांच करवा लेंगे और जिस तरह के उत्पीड़न की बात आपने कही है, अगर आपके संज्ञान में हो तो उसको आप लिख करके दे दीजियेगा। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो हम निश्चित रूप से उसको दण्डित करवायेंगे। ये उन लोगों की सरकार नहीं है जिनके लिये किसान का कोई मतलब नहीं था और किसान पर जो लोग बुलडोजर चलवाया करते थे, ये वो सरकार नहीं है। ये सरकार उनकी है जिनके लिये किसान सर्वोच्च प्राथमिकता पर है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं।)

श्री अम्बिका चौधरी-

इसीलिये अगर कोई भी घटना होती है तो आप उसको दे दें और अभी आपने कहा कानों पर जूं नहीं रेंगी। अभी जब आप बोलने के लिये खड़े हुये तो मैंने तुरन्त हेडफोन लगाया ताकि आपके एक-एक शब्द को साफ-साफ सुन सकूं। मैं तो बहुत गम्भीरता से आपको ले रहा हूं। आप स्वयं गम्भीर नहीं हों तो मैं क्या कर सकता हूं। आप नाराज न होइये लिख करके दे दीजिये, लिख के दे दीजिये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 राजस्व मंत्री जी ने बड़ी सदाशयता दिखायी, कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 राजस्व मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बसपा सरकार बनने के एक हफ्ते के अन्दर हमारे ही एक सांसद ने भूल करके एक गरीब की मड़ही गिरा दी थी और आज तक वो जेल में सड़ रहा है इसलिये बहुजन समाज पार्टी ने तो बुलडोजर चलाने वालों को हमेशा

अन्दर करके रखा। बुलडोजर तो आपकी सरकार चला रही है इस पर नियंत्रण लगाइये, यही गुहार मचाई जा रही है।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 राजस्व मंत्री जी बीच में इण्टरवीन कर गये कुछ।

श्री अध्यक्ष-

आप जो कहना चाहें, कह लें।

श्री हुकुम सिंह-

मैं इसी के बारे में पूछ रहा था।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी कह लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मा0 मंत्रियों का आपस में कुछ संवाद चल रहा है, मैं क्या बोलूं।

श्री अध्यक्ष-

अरे आप बोलिये, उनकी नीचे रहेगी, आपकी आवाज ऊँची ही रहेगी।

श्री हुकुम सिंह-

थोड़ा ध्यान चाह रहा हूं आपका। कभी इनकी सरकार, कभी उनकी सरकार। आप तो दोनों ही सरकार हैं। आप भी सरकार हैं वे भी यहां सरकार थे।

श्री अध्यक्ष-

सरकार तो आप भी रहे हैं, आप काहे ऐसा कहते हैं।

* श्री हुकुम सिंह-

हम तो रहे हैं, ये दोनों तो हैं। मान्यवर, मैं खाली इतनी जानकारी चाह रहा हूं राजस्व मंत्री जी से कि इन्होंने कहा कि कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है, कहीं पर भी कोई भी उत्पीड़न नहीं हो रहा है तो क्या आपने ऐसे कोई आदेश दिये हैं इस प्रकार के शासन से या किसी प्रकार के आदेश गये हैं राजस्व अधिकारियों के लिये कि किसानों का या जिनके ऊपर कुछ देय आपका या किसी बैंक का, उनका उत्पीड़न नहीं होगा, गये हैं क्या। अगर गये हैं तो मैं निश्चित सूचना के आधार पर आपको बताना चाहता हूं कि या तो उन्होंने पढ़े नहीं या पढ़ने के बाद उनको महत्व नहीं दिया। आज ही मेरे पास एक जानकारी आयी है किसान की, सरदार हैं वो, खादर के रहने वाले हैं। वो लॉकअप में बन्द हो जाते तो ठीक था। अब है क्या कि तहसीलदार पीछे-पीछे और वो आगे-आगे। उनका तो वैसे भी हार्ट फेल हो जाएगा भागते-भागते, वह लॉकअप में ठीक रहते अगर वहां रहते तो मान्यवर। हालात यह है कि पहले भी मैंने थोड़ा जिक्र किया हुआ है तहसीलदार ने जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, वह मैं कह ही नहीं सकता। वह आदमी ऐसे नहीं साधारण किसान है, मैं सारी जानकारी भी उनकी दे दूंगा। जानकारी देखने के बाद में कृपया देख लीजिएगा कि ये अधिकारी चाहे सरकार किसी की भी हो, ये अपनी सोच रखते हैं और अपना दृष्टिकोण रखते हैं और जिस हल्केपन से सरकारों को लेने लगे है, मान्यवर, उससे आम जनता का उत्पीड़न होता है। मैं आपको जानकारी दे दूंगा, उस पर सख्त कार्यवाही करिए और चाहूंगा एक-आध के खिलाफ कार्यवाही हो जायेगी तो सारे क्षेत्र में इसका संदेश जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 हुकुम सिंह जी ने जो बात कही, बहुत गंभीरता से कही है और हम सिर्फ उनकी बातों का संज्ञान नहीं लेते हैं, बल्कि उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बात रखी है। एक अनुरोध चाहूंगा कि जिसके लिए आपने स्वयं कहा है कि आप लिखित सूचना दे देंगे। मैंने जो बात कही आपसे उसे पुनः दोहराता हूं अगर किसी मा0 सदस्य के यहां तहसील के लॉकअप में किसी के बंद होने की सूचना हो तो कृपया आप मुझे दे देंगे। हमने यह नहीं कहा कि वसूली बंद कर दी जाए। वसूली तो अमीन का काम है, जिसके लिए उनको तनख्वाह दी जाती है, वसूली तो उनको करनी ही है। तहसीलदार अगर तहसीलेगा ही नहीं तो तहसीलदार काहे का रहेगा। सरकार के राजस्व वसूलने के लिए, बकाया वसूलने के लिए विधि है, उसके अनुसार वह करेगा। वसूली बंद नहीं की है। हमने कहा उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की है, वसूली बंद करने के आदेश नहीं हुए हैं। इसलिए आप जो हैं अगर कोई उत्पीड़न की सूचना हो तो मुझे दे दीजियेगा मैं निश्चित रूप से उसे दण्डित करुंगा और जैसा उदाहरण आपने दिया है, हम चाहते हैं स्वयं कि यह उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके, क्योंकि बिना उसके संदेश स्पष्ट नहीं होता चाहे हम सिद्धान्त रूप में जितनी भी बात करें। इसको आप मुझे दे दीजिएगा, मैं जांच करवा करके अगर दोषी होगा तो उसे दण्डित करूंगा।

* श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्यमंत्री के बजट भाषण पर बोलने का मुझे सुअवसर मिला। मैं तो इतना ही कहूंगा कि बजट में जो है, जो जनता और समाज कह रहा है वह यही कह रहा है कि ''बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर'' बहुत बढ़िया बजट है। और बहुत लोग उतनी दूर देखते हैं कि फल भी नहीं मिलना है और छाया भी नहीं मिलनी है, लेकिन फिर भी फल देखते-देखते मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से हूं, मैं कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र से हूं, लेकिन कानपुर को मुख्यमंत्री जी ने जो ग्रीनपार्क स्टेडियम के विस्तार के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये दिये हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी को भी बधाई देता हूं और एक बधाई के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कानपुर के बगल में कन्नौज, इटावा, औरैया आदि में बिजली आती है। अगर इतना इधर भी कर देंगे तो मैं और ज्यादा बधाई दूंगा। मान्यवर, समय कम है। घड़ी भाग रही है, बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन मुझे लगता है कि पूरा बोल नहीं पाएंगे, फिर भी मैं पहले अपनी विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

वहीं करिए, नहीं तो आपका समय चला जाएगा।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

हमारे विधान सभा में जलभराव है और ऐसा जलभराव है जिसको मैं आपको क्या कहूं, मैंने मा0 नगर विकास मंत्री जी के सामने जब हम लोगों की बैठक हुई थी, उसमें भी हमने जलभराव की बात रखी थी। हमारे यहां इतना जलभराव होता है कुछ आधा क्षेत्र है, जिसमें लोगों का बरसात में निकलना दूभर है। मान्यवर, वह ऐसे क्षेत्र हैं, जहां श्याम नगर, न्यू आजाद नगर, के0डी0ए0 कालोनी, मंगला विहार-1, मंगला विहार-2, देहरी, सुजानपुर, सुजातगंज, बेगमपुरवा, रामपुरम्, गिरिजानगर, गंगाविहार आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर व्यक्ति निकल नहीं सकता है। मान्यवर, जब जलभराव है तो सड़क का कोई मामला नहीं है। बीसों साल से कोई सड़क नहीं बनी है। मान्यवर, जहां सड़क नहीं है वहां कैसे लोग रह रहे होंगे। मान्यवर, सोसाइटी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में पूर्व की सरकार ने पैसा तो लिया, रजिस्ट्री का पैसा लिया, हाऊस टैक्स लिया, लेकिन मान्यवर, काम कुछ नहीं किया। वहां के लोग परेशान हैं। मान्यवर, पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है, हैण्डपम्प थोड़े बहुत जो लगे हैं, वह बिल्कुल खराब हैं। अगर कहीं कोई बात की जाती है तो सीधे कह दिया जाता है कि पैसा नहीं है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि पानी की व्यवस्था करा दी जाए चूंकि एक बार के लिए खाना न मिले, चल जाएगा पर पानी अगर नहीं मिला तो परेशान हो जाएगा। मैं चाहता हूं पानी की व्यवस्था जरूर हो जानी चाहिए। मान्यवर, वहां सीवर की समस्या है और सीवर कहीं पड़ा है, कहीं नहीं पड़ा है। यह जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की योजना चल रही है, उसके अन्तर्गत आधे क्षेत्र में सीवर डाला जा रहा है और आधे क्षेत्र में सीवर नहीं डाल रहे हैं। मान्यवर, हमारे यहां कुछ ऐसी कालोनियां हैं जो बहुत दिनों की बनी हुयी हैं, उनका हाउस टैक्स जमा नहीं कराया जाता है, उनके यहां अगर कोई टूट-फूट हो जाती है तो मान्यवर, वहां पर काम नहीं करने दिया जाता है। अगर काम करते हैं तो उस पर अधिकारी दबाव डालते हैं। मान्यवर, वहां पर सीवर की इतनी समस्या है कि वहां अंदर पानी नहीं जा सकता है, कुल मिलाकर स्थिति बहुत खराब है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी अस्पताल नहीं है, इसलिये मैं छावनी क्षेत्र में एक अस्पताल भी चाहता हूं। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में बिजली की भी बड़ी समस्या है। मान्यवर, समय बहुत कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपके समय के अंदर अपनी सारी बात कह लूं। मान्यवर, समस्यायें बहुत हैं और हमें मालूम है कि सत्ता पक्ष काम करेगी, अगर करेगी तो वाहवाही लेगी, अगर नहीं करेगी तो जवाब जैसा यह दे रहे हैं, कल भारतीय जनता पार्टी भी देगी। मैं चाहता हूं कि आप अच्छा काम करें हम आपको बधाई दें। न आप बनें न आप बनें, मैं तो सोचता हूं कि बराबर अगर आप बनें क्योंकि हमको तो आप कहते हैं कि नहीं। आप जब कहते हैं मैं इधर मैं उधर। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि पृथ्वी पलटती है, भूकम्प आता है, कही न कहीं ऐसा न पलट जाये 2014 की केन्द्र सरकार भाजपा की होगी और उसके बाद 2017 की प्रदेश की सरकार भी भाजपा की होगी, धन्यवाद।

नियम 51 के अन्तर्गत की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 जून, 2012 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की स्वीकृत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित व स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों में कार्यरत अधीक्षक, रसोईया, कहार, स्वीपर, माली, चौकीदार, पुस्तकालयाध्यक्ष आदि पदों पर कार्यरत हजारों कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई'' की जनपद जौनपुर की नगरपालिका शाहगंज की सीमा विस्तार के संबंध में है। वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री मनबोध की दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नवीन सम्बद्धता हेतु महाविद्यालयों को प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के तमकुही राज में पश्चिमी गंडक नहर की सफाई कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवी सूचना श्री बाला प्रसाद अवस्थी की वक्तव्य हेतु स्वीकृत जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खंड पसगवां में क्षतिग्रस्त विद्युत् पोलों को बदलवाये जाने के संबंध में है, छठी सूचना श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद क्षेत्रान्तर्गत यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र के आसपास कुछ फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज विकास खण्ड भनवापुर के अन्तर्गत मंडी समिति सहियापुर के परिसर में मार्केटिंग एजेन्सी के क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा गेहूं की तौल न करने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में नहरों में पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की (नियम-56 के अन्तर्गत प्राप्त) वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रों में तथा नगर के अन्य क्षेत्रों में सीवर लाइनों के भयंकर रूप से जाम होने तथा प्रदूषित जलापूर्ति के कारण कई क्षेत्रों में डायरिया से लोगों के पीड़ित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के कैसरगंज के ग्राम गोडहिया के किसानों को खतौनी और खसरा की नकल न मिलने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत जनपद पीलीभीत ट्रांस शारदा क्षेत्र में शारदा नदी से हो रहे कटान से तटबंध का निर्माण कराकर कतिपय गांवों को बचाये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गई, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री उमाशंकर सिंह, श्री पंकज मलिक, श्री मनीष असीजा, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री उमेश पाण्डेय, श्री मनोज कुमार, श्री कालीचरन सुमन, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री राज नरायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्रीमती नन्दिता शुक्ला, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री मदन चौहान, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री राधेश्याम जायसवाल, डा0 धर्म सिंह सैनी, श्री तसलीम अहमद, श्री जाकिर अली, श्री अली यूसूफ अली तथा श्री जय प्रकाश निषाद।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्रामों की सिंचाई हेतु लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

जनपद प्रतापगढ़ तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्रामों की सिंचाई हेतु लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में। मा0 सदस्य श्री प्रमोद तिवारी जी हैं ?

(सदस्य के अनुपस्थित होने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया।)

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्य नियम-51 में सूचना देते हैं उन्हें उत्तर सुनने के लिए सदन में उपस्थित रहना चाहिए।

जनपद व तहसील बिजनौर में गंगा तट के किनारे बसे गांवों की कृषि योग्य भूमि एवं मकानों को कटान से बचाये जाने के सम्बन्ध में कुंवर भारतेन्द्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

जनपद तहसील बिजनौर में गंगा तट के किनारे बसे गांवों की कृषि योग्य भूमि एवं मकानों को कटान से बचाये जाने के सम्बन्ध में। मा0 सदस्य श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह जी हैं ?

(मा0 सदस्य के अनुपस्थित होने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया)

सदस्यों की अनुपस्थिति पर वक्तव्यों को व्ययगत किये जाने की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष-

जब माननीय सदस्य उपस्थित होंगे तभी माननीय मंत्री जी पढ़ेंगे, जब उन्हीं की रुचि नहीं है तो मा0 मंत्री जी क्यों पढ़ें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, माननीय सदस्य स्वयं अपनी सूचना पर सुनने के लिए यहां नहीं हैं और एक ही सदस्य ने वह सूचना मांगी है तो वह मा0 सदस्य यदि चाहें तो उसकी कापी ले लें लेकिन उसे आगे न पढ़ा जाए, आप ऐसी व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले ही कह दिया, यदि मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं तो मा0 मंत्री जी नहीं पढ़ेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 सदस्य यदि सूचना देंगे तो उनका कम से कम उस समय तक नहीं लिया जाएगा। मान्यवर, आप यह जरूर कराइये अन्यथा इसका दुरुपयोग हो रहा है, यहां से लेकर नीचे तक इतने कागज जाते हैं, समय और धन का अपव्यय होता है।

जनपद गोरखपुर में विद्युत सप्लाई 6 घण्टे से अधिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

जनपद गोरखपुर में विद्युत सप्लाई 6 घण्टे से अधिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में । मा0 सदस्य श्री राजेश त्रिपाठी जी हैं।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, हां।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमारे पास तो वक्तव्य आना चाहिए था ?

श्री अध्यक्ष-

सबके पास दिया गया है, आपके पास नहीं पहुंचा क्या ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरे पास ही नहीं इस लाइन में किसी के पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

सबको दिया जा रहा था मैंने स्वयं देखा है, यदि नहीं है तो बगल से ले लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आ जाएंगे तो कम से कम एक-आध प्रश्न तो कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

जब सदन की सम्पत्ति हो जाएगी तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्यगण, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :-जनपद गोरखपुर के मेरे . . . .

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्यकारी मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में वर्तमान भीषण गर्मी के समय में सरकार द्वारा विद्युत् कटौती की जा रही है। क्षेत्र में एक सप्ताह दिन और एक सप्ताह रात में विद्युत सप्लाई मात्र चार से छः घंटे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की जा रही है, जिससे क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता ने प्रतिदिन दो शिफ्टों में विद्युत सप्लाई हेतु अनुरोध उच्च अधिकारियों से भी की है, परन्तु अभी तक जनता की मांग पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसके विरोध में क्षेत्रीय जनता पिछले कई सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि वर्तमान में गोरखपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार को सामान्य ग्रामीण एवं तहसील स्तरीय कार्यक्रम के तहत 10 घण्टे साप्ताहिक अदल-बदलकर विद्युत आपूर्ति आदेशित है, जिसमें स्थानीय व्यवधान शामिल नहीं है। विद्युत की मांग में अत्यधिक बढ़ोत्तरी एवं उपलब्धता में कमी के कारण इससे अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के दृष्टिगत आकस्मिक कटौती करनी पड़ जाती है, स्थिति सामान्य होने पर आपूर्ति पूर्ववत् कर दी जाती है।]

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहते थे कि आप 6 घण्टे, 8 घण्टे या 10 घण्टे जो भी बिजली दे रहे हैं, ग्रामीण वहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं उनका अनुरोध सिर्फ यह है कि जो भी बिजली आप दे रहे हैं उसे दो शिफ्ट में कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, मा0 सदस्य का कहना है कि जो बिजली आप दे रहे हैं उसे दो शिफ्ट में करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, होता यह है कि इसका भी चार्ट बनता है, उस समय में कहां-कहां बिजली जा रही है इसको दिखवा लेंगे, जैसी राहत सम्भव होगी वह की जाएगी।

जनपद मेरठ शहर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र भड़ाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

जनपद मेरठ शहर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि . . . . .

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ के अभियन्ताओं से शास्त्रीनगर एल-ब्लाक में लगाये गये ट्यूबवेल की शुद्धता एवं अशुद्धता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट के अनुसार नलकूप का जल पूर्ण रूप से शुद्ध एवं पीने योग्य है। दिनांक 24-09-2008 एवं 30-04-2012 को गंगाजल इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, गाजियाबाद में इस नलकूप के नमूने की जांच में टी0डी0एस0 165 मिली ग्राम प्रति लीटर एवं कैल्शियम कार्बोनेट 24 मिली ग्राम प्रति लीटर मात्र है, जिसके कारण इसका पानी अत्यधिक मृदूल है। उक्त नलकूप अनावश्यक शिकायतों के कारण अस्थायी रूप से बन्द है।

कमेले के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में पुराना कमेला इस नलकूप से लगभग एक कि0मी0 की दूरी पर था, जिसे दिनांक 28-04-2012 को यहां से लगभग 10 कि0मी0 दूर नगर निगम क्षेत्र से बाहर घोसीपुर में स्थानान्तरित किया जा चुका है। हापुड़ रोड स्थित पुराने कमेले में हो रहे अवैध कटान व संचालित भट्ठियों को दिनांक 01-05-2012 को बन्द कराया जा चुका है।

इस नलकूप के पानी के नमूने की जांच राष्ट्रीय परीक्षणशाला, गाजियाबाद को दिनांक 18-05-2012 को भेजी गई है। टेस्ट रिपोर्ट के आने के पश्चात् नवीन नलकूप को पूर्ण क्षमता के साथ चलवाया जायेगा। पानी में साबुन के अत्यधिक झाग एवं शरीर से साबुन देर से छूटने के संबंध में सूच्य है कि जल परीक्षण की रिपोर्ट में ऐसा कोई अवयव नहीं है कि साबुन न छूटने की शिकायत हो। इस संबंध में भू-जल हाइड्रोलाजिकल विभाग उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा सूचित किया गया कि उनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार पानी शुद्ध पेयजल हेतु उपयुक्त है। यह नया नलकूप 151.25 मीटर गहरा है जिसका पहला स्लॉट 71.31 मीटर (221 फीट) पर है। अतः इस नलकूप के स्थान पर दूसरे नलकूप के लगाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।]

श्री रविन्द्र भड़ाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा ट्यूबवेल शास्त्रीनगर के एल-ब्लाक में लगाया गया है, इसका लिंक जो जमीन के नीचे प्रदूषित जल छोड़ा गया है उससे हो गया है, इस कारण से उस ट्यूबवेल में चिकने पदार्थ से युक्त पानी आ रहा है तथा उस पानी में खून का भी असर परिलक्षित होता है, पानी बहुत गन्दा है, स्नान करते वक्त कई-कई बाल्टी पानी डालने के बाद में भी साबुन साफ नहीं होता। बहुत ही खराब पानी है? प्रदूषित है और मानकों के अनुरूप ट्यूबवेल नहीं लगाया गया है। इस कार्यदायी संस्था की जांच होकर के इनसे पैसा वसूला जाए। यह सरकार का पैसा बर्बाद करते हैं और जनता को गन्दा पेयजल पिलाने के लिए विवश करते हैं। मा0 मंत्री जी से मैं आग्रह करुंगा कि इस ट्यूबवेल के स्थान पर दूसरी ट्यूबवेल वहां पर लगायी जाए

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिससे पेयजल की शुद्ध आपूर्ति की जा सके। मान्यवर, अभी मैंने जो भाषण दिया था उसमें आपको धन्यवाद दिया था कि आपने एक कमेला मेरठ से हटाया है उसके लिए आप बारम्बार बधाई के पात्र हैं। लेकिन पुनः एक निवेदन करता हूं कि मेरठ से हापुड़ रोड जाने वाली सड़क पर अनेकों कमेले स्थापित कर दिये गये हैं, मीट पैकेजिंग प्लाण्ट के नाम पर, अवैध पशु कटान वहां पर हो रहा है। मा0 मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो क्षेत्र की आस-पड़ोस की जनता है उसको शुद्ध पेयजल मिल सके इसलिए आप वहां पर प्रदूषित जल को रोकने का प्रबन्ध करें।

श्री अध्यक्ष-

भड़ाना साहब मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिए आप तो अपना ही वक्तव्य पढ़ डाले।

श्री रवीन्द्र भड़ाना-

जो प्रदूषण अधिकारी है और सरकार को रिपोर्ट देते हैं कि यहां पर कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, उसकी पुनः जांच करके, इनकी भी खोज-खबर ली जाए कि आखिर किस तरह की रिपोर्ट सरकार को देते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो व्यवस्था है, हम रिपोर्ट तो उन्हीं लोगों से लेंगे। रिपोर्ट तो बहुत बढ़िया है, मीठा पानी है। मैं इसे अलग से दिखवा लूंगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इतना गंदा पानी है कि शरीर पर साबुन लगा है वह भी नहीं छूट रहा है इतना तक तो कहा गया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने कहा कि इसमें जो रिपोर्ट है, हम उसको अलग से दिखवा लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हुकुम सिंह जी सिर्फ अपने तजुर्बे का फायदा उठा रहे हैं, ऊपर का पानी भी मीठा है और नीचे का पानी भी अच्छा है। आपने कहा है कि साबुन नहीं छूट रहा है। साबुन बढ़िया छूट रहा है फिर भी मैं दिखवाऊंगा। पानी की शिकायत गंभीर शिकायत है और मैं इस रिपोर्ट पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा हूं। इसको खासतौर से अलग से देखूंगा। मैं यहां तक कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे शिकायतें एस0एम0एस0 से भी मिलती हैं तो उसी वक्त संज्ञान लेता हूं, कार्रवाई कराता हूं और अधिकारियों से कहता हूं कि शिकायतकर्ता का नं0 यह है, इस नम्बर पर जाकर सम्पर्क करें और उसकी परेशानी तत्काल दूर करें, इस हद तक कोशिश कर रहा हूं। जहां तक कमेले का मामला है, 40 साल से आप उसका फायदा उठा रहे थे लेकिन अगले चुनाव में उसका फायदा नहीं उठा पायेंगे, वह हट गया है। जितना बाकी है, वह सब नगर निगम की जमीन है उसका हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है वहां से क्लीयर हो जाए तो वहां पर गर्ल्स कालेज बनाने का इरादा है उसका प्रस्ताव भी नगर निगम से आ गया है। शहर के बाहर, कटान तो होगा ही, नहीं तो खायेंगे क्या ? वह जानवर नहीं कटने चाहिए जो प्रतिबंधित हैं, वह नहीं कटेगा, बीमार नहीं कटेगा और कुछ ऐसा भी हम विचार कर रहे हैं

कि जितना लाइसेंस है उससे ज्यादा नहीं कटेगा और हो सकता है कि यह भी प्राविधान करें कि ऐसे जितने भी काटने के कारखाने हैं उनके यहां सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगें और चौबीस घण्टे वीडियो रिकार्डिंग हो, जिससे यह पता चले कि कितने पशु काटे गये, उनका स्वास्थ्य कैसा था ? इस पर भी विचार चल रहा है। अगर यह नियमतः दुरुस्त हुआ तो इसकी भी कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कर सकें। मैंने एक दिन सदन में कहा ही था कि दूध के जानवर बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, भैंसों की संख्या कम हो गयी है, उसको रोकने क तरीके भी करेंगे।

प्रदेश में फूड एण्ड सेफ्टी ऐक्ट 2006 के अन्तर्गत नये लाइसेंस एवं नवीनीकरण प्रक्रिया को आन लाइन व्यवस्था के साथ मैनुअल का भी विकल्प लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री रवीन्द्र जायसवाल जी हैं ?

(श्री रवीन्द्र जायसाल के उपस्थित न होने पर)

चूंकि मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए इनके वक्तव्य को व्यपगत माना जाता है।

वाराणसी नगर में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, वर्तमान में वाराणसी नगर को प्रतिदिन कुल 22 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने का शिड्यूल है . . . . .

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[परन्तु गर्मी के कारण विद्युत की मांग अत्याधिक बढ़ जाने तथा ग्रिड में उपलब्धता कम होने के कारण वाराणसी नगर में निर्धारित विद्युत कटौती अपराह्न 2:00 बजे से 5:00 बजे तक की जा रही है एवं प्रणाली नियंत्रण द्वारा रात्रि में आकस्मिक कटौती रात में 10:00 बजे से 12:00 तक करनी पड़ रही है। इस प्रकार वाराणसी नगर को औसतन 17 घण्टे की विद्युत आपूर्ति हो रही है। घनी आबादी में जहां अत्यधिक भार है, वहां परिवर्तकों के जलने अथवा ब्रेक डाउन की स्थिति को दूर करने के लिए वाराणसी नगर के लिये 13 ट्रान्सफार्मर ट्राली उपलब्ध है जिससे जले/क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के स्थान पर तत्काल लगाने की व्यवस्था की जाती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-वाराणसी नगर में 33/11 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्र की अतिभारिता को दूर करने के लिए नये विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण एवं अन्य विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का कार्य वर्ष 2011-12 में निम्नवत् पूर्ण कराया गया है :-

(1)	33/11 के0वी0 सांस्कृतिक स्कूल (मकबूल आलम रोड)	-	2 x 5 एम0वी0ए0
(2)	33/11 के0वी0 कबीर नगर	-	1 x 10 एम0वी0ए0
(3)	33/11 करौंदी	-	1 x 10 एम0वी0ए0

<u>क्षमतावृद्धिः-</u>

(1)	33/11 के0वी0 रामनगर	-	1 x 5 एम0वी0ए0 से 5 + 10 एम0वी0ए0
(2)	33/11 के0वी0 डी0पी0एच0	-	2 x 10 एम0वी0ए0 से 3 x 10 एम0वी0ए0
(3)	33/11 के0वी0 तरना	-	5 + 10 एम0वी0ए0 से 2 x5 + 10 एम0वी0ए0
(4)	33/11 के0वी0 बड़ा तालपुर	-	3 + 5 एम0वी0ए0 से 2 x 5 एम0वी0ए0

इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र प्रस्तावित है :-

(1)	33/11 के0वी0 अलईपुर (कज्जाकपुरा)	-	2 x 10 एम0वी0ए0-कार्य प्रगति पर
(2)	33/11 के0वी0 कोटवॉ	-	1 x 10 एम0वी0ए0-भूमि चिन्हित
(3)	33/11 के0वी0 कंचनपुर	-	1 x 10 एम0वी0ए0

3-वाराणसी नगर की विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु 11/0.4 के0वी0 के 56 नये विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण एवं 11/0.4 के0वी0 के परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि वर्ष 2011-12 में करायी जा चुकी है। वर्ष 2012-13 में 62 नये उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य तथा 60 नग उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि का कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 के लिये 300 पुराने जर्जर खम्भों एवं 100 कि0मी0 तारों को बदले जाने की कार्य योजना बिजलेस प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

4-220/33 के0वी0 भेलूपुर उपकेन्द्र का कार्य गंगा नदी के पास कछुआ संचुरी के रास्ते 220 के0वी0 लाइन हेतु रीवर क्रासिंग टावरों के निर्माण का अनापत्ति प्रमाण-पत्र वन विभाग से न मिलने के कारण बाधित है। प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष दिनांक 03-04-2012 को सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। कमेटी द्वारा अपनी आख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तुत की जानी है।

पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी में प्रबन्ध निदेशक की तैनाती कर दी गयी है एवं लगभग सभी वितरण खण्डों एवं उपखण्डों में भी अधिकारियों की तैनाती करा दी गयी है जिससे वाराणसी नगर में विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से बनाई जा सके।]

जनपद आगरा में मासूमों के साथ आये दिन हो रही यौन दुराचार एवं हत्याओं के सम्बन्ध में श्री सूरज पाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत में दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद आगरा में मासूमों के साथ आए दिन हो रही यौन दुराचार एवं हत्याओं के सम्बन्ध में.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा से आख्या प्राप्त की गयी।

2-प्राप्त आख्यानुसार अप्रैल माह में जगदीशपुरा झुग्गी बस्ती की मासूम बालिका को स्कूटर सवार उठाकर ले जाने के संबंध में दिनांक 23-04-12 को वादी श्री राजू पुत्र श्री राम सिंह (लौहपीटा) निवासी हेमा पेट्रोल के सामने सड़क के किनारे थाना जगदीशपुरा, आगरा द्वारा पुत्री कुमारी आरती उम्र 05 वर्ष को दिनांक 23-04-12 को रात्रि 2.00 बजे एक्टिवा सवार व्यक्ति द्वारा उठा कर ले जाने तथा डाक्टरी परीक्षण में अपहृता कुमारी आरती के साथ दुराचार की घटना पाये जाने पर मु0अ0सं0 296/12 धारा 363/376 भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना थानाध्यक्ष जगदीशपुरा द्वारा सम्पादित की जा रही है। घटना के अनावरण के प्रयास जारी है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर संलिप्त अभियुक्त के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, विवेचना प्रचलित है।

3-दिनांक 03-05-12 को वादी श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री बच्चे कश्यप निवासी फजल बिहार कालोनी पुरुषोत्तम का मकान थाना न्यू आगरा द्वारा पुत्री कुमारी पायल उम्र 06 वर्ष के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुराचार कर छोड़ जाने तथा उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दिनांक 3-05-12 को मु0असं0 416/12 धारा 376/302 भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता कुमारी पायल के इलाज के दौरान दिये गये बयानों से अंशू भैया नाम का व्यक्ति पता अज्ञात प्रकाश में आया है जिसकी तलाश की जा रही है, विवेचना प्रचलित है।

4-दिनांक 21-5-12 को वादी श्री सुभाष निवासी डी-137 ए सूर्यलोक कालोनी, थाना न्यू आगरा द्वारा पुत्री कुमारी प्रियांशी उम्र करीब 03 वर्ष दिनांक 18-05-12 को घर के पास से खेलते-खेलते गुम हो जाने के संबंध में वादी द्वारा दी गयी लिखित सूचना पर गुमशुदगी दिनांक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

21-05-12 को प्रातः 8.00 बजे अंकित की गयी। जांच के दौरान गुमशुदा का पता न लग पाने के कारण गुमशुदगी को धारा 363 भादंवि में तरमीम करते हुए मु0अ0सं0 506/12 धारा 363 भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अपहृता कुमारी प्रियांशी की सकुशल बरामदगी हेतु क्षेत्राधिकारी, हरिपर्वत के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, विवेचना प्रचलित है।

5-दिनांक 22-05-12 को वादी श्री रूपा पुत्र श्री शिव सिंह, निवासी कुकथला, थाना अछनेरा द्वारा पुत्री कुमारी पिंकी उम्र 06 वर्ष को अभियुक्त लोहरे पुत्र माता प्रसाद, निवासी अयेला, थाना सैया, आगरा हाल पता मघटई रोड बिचपुरी, आगरा खिलाने के बहाने ले जाकर बलात्कार कर हत्या कर देने के संबंध में दिनांक 22-05-12 को मु0अ0सं0 343/12 धारा 376/302 भादवि बनाम लोहरे के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी अछनेरा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, विवेचना प्रचलित है।]

जनपद मथुरा में यमुना नदी पर स्थित वृन्दावन मांट पुल के सम्पर्क मार्ग को कटान से बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री प्रदीप माथुर का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए यह व्यपगत माना जायेगा।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के विकास खण्ड बेलघाट में कम्हरिया घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्त प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री सन्त प्रसाद का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए यह व्यपगत माना जायेगा।

प्रदेश में मांस निर्यात मूलक इकाई द्वारा विदेशों में अधिकतम मांस निर्यात कारण दूध उत्पादन पर पड़ रहे क्रयभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए यह व्यपगत माना जायेगा।

जनपद पंचशील नगर के गढ़मुक्तेश्वर नगर में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सीवर से सम्बन्धित घटिया कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री मदन चौहान का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए यह व्यपगत माना जायेगा।

जनपद कुशीनगर में श्री सत्येन्द्र दुबे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर हुए कातिलाना हमले के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि...

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[दिनांक 18-05-12 को समय 20-30 बजे ग्राम हरकपुर, थाना अहिरौली बाजार के पास वादी श्री सत्येन्द्र कुमार दुबे पुत्र स्व0 धर्मराज, निवासी ग्राम पैकौली बाबू टोला, मंगुरही, थाना कोतवाली हाटा, कुशीनगर जाते समय पुरानी रंजिश को लेकर प्रतिवादीगण 1-बृज नारायण सिंह उर्फ भोला पुत्र स्व0 मुंशी सिंह, 2-प्रदीप सिंह, प्रमुख मोतीचक पुत्र हरी नरायन सिंह, 3-छन्नू उर्फ जुबेर अहमद पुत्र अजीमुल द्वारा जान से मारने की नियत से सत्येन्द्र कुमार दुबे के ऊपर फायर किया गया जिससे वह घायल हो गये, जिनका इलाज मेडिकल कालेज, गोरखपुर में चल रहा है। इस संबंध में थाना अहिरौली बाजार पर मु0अ0सं0 208/12 धारा 307 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक, श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा द्वारा की जा रही है। इस अभियोग में अभियुक्त बृज नारायण सिंह व छन्नू उर्फ जुबेर अहमद को दिनांक 20-05-12 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अभियुक्त प्रदीप सिंह की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी कसया, कुशीनगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक हाटा व थानाध्यक्ष अहिरौली बाजार, कुशीनगर मय पुलिस कर्मियों की टीम गठित कर सतत् प्रयास किया जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।]

आगरा महानगर की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आगरा नगर की जलापूर्ति...

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[यमुना नदी से प्राप्त कच्चे जल पर निर्भर है। आगरा नगर का भू-गर्भ जल खारा एवं फ्लोराइड युक्त है। यमुना नदी के जल में प्रदूषण की सान्द्रता को कम करने हेतु गोकुल बैराज के अपस्ट्रीम में मॉट ब्रान्च से हरनौल स्केप के माध्यम से 150 क्यूसेक गंगाजल मिलाया जाता है। नगर की जलापूर्ति जीवनी मण्डी स्थित-प्रथम एवं सिकन्दरा स्थित द्वितीय जलकल से यमुना नदी के कच्चे जल को शोधन उपरान्त 22 जोनल पम्पिंग स्टेशन एवं 22 शीर्ष जलाशयों के माध्यम से नागरिकों को 270 एम0एल0डी0 की जलापूर्ति 260 एम0एल0डी0 की मांग के सापेक्ष की जा रही है। 40 एम0एल0डी0 पेयजल की आपूर्ति केन्द्रीय संस्थानों को भी की जा रही है।

नगर में 7,399 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। टेढ़ी बगिया, नगला किशनलाल, इस्लामनगर, सुशीलनगर में हैण्डपम्पों एवं नागरिकों की मांग के आधार पर टैंकरों से जलापूर्ति की जाती है। नगर में पेयजल की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों में मांग की अनुसार 17 टैंकरों के माध्यम से निःशुल्क जलापूर्ति की जा रही है।

आगरा नगर की यमुना पार क्षेत्र नुनिहाई, नरायच, नगला बालचन्द्र, मोतीमहल, फाउन्ड्री नगर में पेयजल आपूर्ति सामान्य है। टेढ़ी बगिया, नगला किशनलाल, इस्लाम नगर, हनुमान नगर, सुशील नगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछायी गयी है, जिसकी टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

नगर की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल पुनर्गठन परियोजना व गंगाजल परियोजना बनायी गई हैं। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित आगरा जलपूर्ति परियोजना तथा आगरा जल सम्पूर्ति (गंगाजल) परियोजना के पूर्ण होने पर आगरा में जलापूर्ति की क्षमता में वृद्धि होगी। आगरा जलसम्पूर्ति परियोजना के अन्तर्गत अपर गंगा नहर से 140 क्यूसेक कच्चा जल, 130 किमी0 की पाइप लाइन के माध्यम से लाया जाना है। उक्त परियोजना का वित्त पोषण जापान इण्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी (जायका) द्वारा किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत नवीनतम तकनीकी का 144 एम0एल0डी0 क्षमता का वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, पलरा फाल पर सैटलिंग टैंक एवं यमुना नदी पर पुल निर्माणाधीन है।

नागरिकों को आपूर्ति जल की जांच स्टेट हेल्थ इन्स्टीट्यूट, लखनऊ से बराबर करायीं जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड से टेस्ट कराने पर लेड व कैडमियम नहीं पाया गया। रेजीड्यूल क्लोरीन टेस्ट

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जलकल विभाग नगर निगम, आगरा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त टीम द्वारा टेस्ट किया जाता है। नागरिकों को आपूर्ति जल पीने योग्य है।]

जनपद सोनभद्र में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री सुनील कुमार सिंह यादव का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए यह व्यपगत माना जाएगा।

प्रदेश की नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न कल कारखानों द्वारा उसमें डाले जाने वाले विषैले रसायनयुक्त जल तथा कचड़े को रोकने हेतु कठोर प्राविधान करने विषयक दिनांक 29 मई, 2012 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त वायपेयी आदि द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा के सम्बन्ध में था। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का एक पत्र आया है जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि एक आवश्यक कार्य से उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ रहा है अतः इसे आगे किसी दिन लगा दें। अगर कल समय रहेगा तो कल लगा दिया जायेगा, नहीं तो परसों इस पर चर्चा लगा दी जायेगी।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर यहीं मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 05 जून, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-171 विधान सभा (314)-22-08-2012-813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।